

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXXVI, Seventeenth Session, 2019/1940 (Saka)
No. 10, Wednesday, February 13, 2019/Magha 24, 1940 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	11
ORAL ANSWER TO QUESTION	
* Starred Question Nos.141	13-22
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.142 to 160	23-84
Unstarred Question Nos.1611 to 1840	85-637

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	639-704
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
Minutes	705
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	
(i) 20 th Report	705
(ii) Statement	705
COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN	
14 th to 16 th Reports	706
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE	
Action Taken Statements	706-708
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS	
24 th and 25 th Reports	708
STANDING COMMITTEE ON FINANCE	
71 st and 72 nd Reports	709
STANDING COMMITTEE ON LABOUR	
57 th Report	709
STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS	
54 th and 55 th Reports	710
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL	
49 th Report	710

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT**

67th Report 711

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

149th Report 711

STATEMENTS BY MINISTERS

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 310th Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.
- Dr. Harsh Vardhan** 712
- (ii) Status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Labour, on 'Regulatory framework of the EPFO on the Excluded category vis-a-vis implementation of various PF Acts', pertaining to the Ministry of Labour and Employment
- Shri Santosh Kumar Gangwar** 712

- (iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation.
Shri Ramesh Jigajinagi 713
- (iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development
Shri Arjun Ram Meghwal 713
- (v) Status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Labour on 'Jan Shikshan Sansthan Scheme' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)
Shri Ananthkumar Hegde 714
- (vi) Status of implementation of the recommendations/ observations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Water Resources on 'Review of the Accelerated Irrigation Benefits Programme' pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Shri Arjun Ram Meghwal 714

(vii)(a)	Status of implementation of the recommendations contained in the 33 rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Resettlement of Ex-Servicemen', pertaining to the Ministry of Defence.	715
(b)	Status of implementation of the recommendations contained in the 34 th Report of the Standing Committee on Defence on 'Provision of Medical Services to Armed Forces including Dental Services', pertaining to the Ministry of Defence	
	Shri Arjun Ram Meghwal	715
 SUBMISSION BY MEMBER		
	Re : Reported manhandling of Members of Parliament by UP Police	716-718
 BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES BILL, 2018		
	Shri Piyush Goyal	719-748 719-720
	Shri Adhir Ranjan Chowdhury	721
	Dr.Kirit Somaiya	722
	Shri Anandrao Adsul	723
	Shri Mohammad Salim	724
	Shri T.G. Venkatesh Babu	725
	Shri Bhartruhari Mahtab	726-727
	Prof. Saugata Roy	728-729
	Shri A.P. Jithender Reddy	730

Shrimati Supriya Sadanand Sule	731
Dr. Farooq Abdullah	732
Shri N.K. Premachandran	733
Shri Dushyant Chautala	734
Shri Kaushalendra Kumar	735
Shri Rajesh Ranjan	736
Shrimati Butta Renuka	737
Motion to Consider	739
Clauses 2 to 42 and 1	740-745
Motion to pass	748

**JALLIAN WALA BAGH NATIONAL MEMORIAL
(AMENDMENT) BILL, 2018**

	750-772, 775-794
Motion to Consider	750
Dr. Mahesh Sharma	750-752, 788-791
Dr. Shashi Tharoor	753-759
Shri Nishikant Dubey	760-762
Prof. Sugata Bose	763-765
Shri Bhartruhari Mahtab	766-772
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	775-779
Shri Arvind Sawant	780-781
Shri M.B. Rajesh	782-784
Shri Prem Singh Chandumajra	785-787

Clauses 2, 3 and 1 792-793

Motion to Pass 794

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

AND

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 773-774

PERSONAL LAWS (AMENDMENT) BILL, 2019

Amendment made by Rajya Sabha -- Agreed to 796-797

VALEDICTORY REFERENCES 798-857

Shri K.C. Venugopal 798-799

Shri Sudip Bandyopadhyay 800-801

Shri Bhartruhari Mahtab 802-804

Shri Anandrao Adsul 805-806

Shri A.P. Jithender Reddy 807-809

Shri P. Karunakaran 810-812

Shri Mulayam Singh Yadav 813

Shri Ramvilas Paswan 814-816

Shrimati Supriya Sadanand Sule 817

Shrimati Harsimrat Kaur Badal 818-821

Shri H.D. Devegowda 822-826

Shrimati Anupriya Patel 827-828

Shri Kaushalendra Kumar 829

Shri N.K. Premachandran 830-831

Shri Dushyant Chautala	832
Dr. M. Thambidurai	833-836
Shri Narendra Modi	837-847

NATIONAL SONG	857
----------------------	-----

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	858
Member-wise Index to Unstarred Questions	859-863

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	864
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	865

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, February 13, 2019/Magha 24, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBTIARY REFERENCE

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व साथी श्री कुंजीलाल के दुःखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री कुंजीलाल राजस्थान के सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं लोकसभा के सदस्य थे। इससे पूर्व, श्री कुंजीलाल चार कार्यकाल के लिए राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी रहे। श्री कुंजीलाल का निधन 82 वर्ष की आयु में राजस्थान के सवाई माधोपुर में 07 जनवरी, 2019 को हुआ। हम अपने पूर्व सहयोगी के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11 01 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ओम शांति: शांति:।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय अध्यक्ष जी, कल प्रयागराज में मेरे साथ, मेरे साथी सांसद
 ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको प्रश्नकाल के बाद बोलने के लिए समय दूंगी ।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल अलग बात है ।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: After Question Hour please.

...(Interruptions)

श्री धर्मेन्द्र यादव: आपके संरक्षण में सांसद पिट रहे हैं, खुले आम पिट रहे हैं ।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Yes, I can understand.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल के बाद अपना विषय पूरी तरह से उठा लें । आप विषय ऐसे
 उठाएं कि वह रिकॉर्ड में जाए । आपको बोलने के लिए समय दे दूंगी ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल के बाद बोलेंगे तो वह रिकॉर्ड में जाएगा । मैं आपको बोलने के
 लिए पूरा समय दूंगी ।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Question no. 141 – Shri Nishikant Dubey.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा नहीं करें, मैं आपको समय दे दूंगी ।

...(व्यवधान)

11 03hrs

*At this stage Shri Kalyan Banerjee, Shri Dharmendra Yadav, Shri Kodikunnil
 Suresh and some other hon. Members came and stood on the
 floor near the Table.*

11 03 ½ hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER : Question No.141.

(Q.141)

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, मैं जिस इलाके से आता हूँ, वह इलाका बहुत पिछड़ा है।... (व्यवधान) नक्सलाइट एरिया होने के कारण टेलीकॉम टावर की बहुत परेशानी है।... (व्यवधान) माननीय मोदी जी की सरकार ने यूएसएफओ फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम टावर लगाने का काम जो यूपीए सरकार के कारण वर्ष 2011-12 में रुका हुआ था, उसको उन्होंने वर्ष 2014 में शुरू किया।... (व्यवधान) लेकिन आज भी स्थिति उसी तरह की है।... (व्यवधान)

11 04 hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एलडब्ल्यूई, जो हमारा इलाका है, उसमें फेज-टू का टावर लगाने के लिए इस हाउस में माननीय मंत्री जी ने सितम्बर, 2016 में आश्वासन दिया और उसके लिए एक कमेटी बनाई।... (व्यवधान) वह कैबिनेट से पास भी हो गया।... (व्यवधान) तीन साल हो गए।... (व्यवधान) मैं आपको बताऊँ कि माननीय मंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी, जिसने यह बताया। उस हाई पावर्ड कमेटी का सितम्बर, 2018 का डिसिजन है कि यदि बीएसएनएल उस टावर को बनाएगी तो उसमें केवल 3,869 करोड़ रुपये लगेंगे।... (व्यवधान) अगर वह प्राइवेट सेक्टर से लगाना चाहते हैं तो उसमें 7,330 करोड़ रुपये लगेंगे, लेकिन टेलीकॉम के अधिकारियों के कारण, तीन सालों से वह प्रोजेक्ट रुका हुआ है और एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट में जो

नहीं लगा हुआ है, उसके पीछे क्या रीजन है और मंत्री जी ने उसके ऊपर आज तक क्या कार्रवाई की है ?...(व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, एलडब्ल्यूई फेज-वन का जो काम था, 12 स्थानों को छोड़कर बाकी सभी टावर्स बीएसएनएल ने लगाए थे ।...(व्यवधान) बीच में माननीय गृहमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी माननीय मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, जो एलडब्ल्यूई राज्यों से आते हैं ।...(व्यवधान) सभी मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर से यह बात कही थी कि आज के युग में केवल वॉयस ही नहीं बल्कि डेटा की भी जरूरत है ।...(व्यवधान) इसलिए विभाग ने यह फैसला किया कि मैम्बर टेक्नोलॉजी के अधीन एक समिति बनाई जाए, जो तय करे कि किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए ।...(व्यवधान) इसके कारण जो समिति थी, उसने फैसला किया कि 2G प्लस 4G, यह स्पेसिफिकेशन होगा ।...(व्यवधान) कैबिनेट ने धन की स्वीकृति कर दी है ।...(व्यवधान)

11 05 hrs

At this stage Shri M. Venkateswara Rao came and stood on the floor near the Table.

अब राज्य सरकार एक बार आइडेंटिफाई करके दे दे।...(व्यवधान) हमारा टेंडर प्रक्रिया में है, इसलिए उस काम को हम करेंगे । मैं समझता हूं कि इसमें कोई लापरवाही या गड़बड़ी विभाग द्वारा नहीं हुई है ।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

11 06 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12 00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

12 01 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North East Centre for Technology Application and Reach, Shillong, for the years 2013-2014 and 2014-2015, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North East Centre for Technology Application and Reach, Shillong, for the years 2013-2014 and 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10955/16/19]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) मजदूरी संदाय (खान) (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 53(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (3) मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवाएं) (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 55(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) न्यूनतम मजदूरी (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 56(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) प्रसूति प्रसुविधा (खान और सर्कस) संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) बोनस का संदाय (संशोधन) नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) औद्योगिक विवाद केंद्रीय संशोधन नियम, 2019 जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 59(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10956/16/19]

12 02 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay on the Table:-

1. (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, for the years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, for the years 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017.

2. Four statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10957/16/19]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) वर्ष 2016-2017 के लिए संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का 67वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (2) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में सूचित मामलों के संबंध में आयोग की सलाह अस्वीकृत किए जाने के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 10958/16/19]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10959/16/19]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
- (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10960/16/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2017-2018.
(ii) A copy of the Annual Accounts of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.
(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Delhi Urban Art Commission, New Delhi, for the year 2017-2018.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10961/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

1. A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10962/16/19]

2. A copy of the Foreign Exchange Management (Borrowing and Lending) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1213(E) in Gazette of India dated 17th

December, 2018 under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 10963/16/19]

3. A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Defence Services) Air Force (No. 3 of 2019)-Performance Audit on Capital Acquisition in Indian Air Force under Article 151(1) of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 10964/16/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं मेरे साथी श्री एस.एस. अहलुवालिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10965/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): I beg to lay on the Table:-

1. A copy of the Report (Hindi and English versions) under Section 15A (4) of the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year 2017.
2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10966/16/19]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदया, मैं मेरे साथी श्री राम कृपाल यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) (एक) नेशनल रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रुरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10967/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Hassan Mangalore Rail Development Company Limited, Bangalore, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10968/16/19]

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): On behalf of Shri Shiv Pratap Shukla, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Rural Banks for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 10969/16/19]

(2) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Brokers) (First Amendment) Regulations, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./2/153/2019 in Gazette of India dated 25th January, 2019 under Section 27 of the Insurance

Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 10970/16/19]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) to Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) S.O.449(E) published in Gazette of India dated 25th January, 2019, regarding amalgamation of Gramin Bank of Aryavart and Allahabad UP Gramin Bank as Aryavart Bank.

(ii) S.O.476(E) published in Gazette of India dated 28th January, 2019, regarding amalgamation of Pallavan Grama Bank and Pandyan Grama Bank as Tamil Nadu Grama Bank.

(iii) S.O.567(E) published in Gazette of India dated 31st January, 2019, regarding amalgamation of Vananchal Gramin Bank and Jharkhand Gramin Bank as Jharkhand Rajya Gramin Bank.

(iv) S.O.291(E) published in Gazette of India dated 14th January, 2019, regarding amalgamation of Narmada Jhabua Gramin Bank and Central Madhya Pradesh Gamin Bank as Madhya Pradesh Gramin Bank.

(v) S.O.6408(E) published in Gazette of India dated 31st December, 2018, containing corrigendum to the Notification No. S.O.6254(E) dated 21st December, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10971/16/19]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) to Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) The Sarva Haryana Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. SHGB/HRDD/2018/3483 in Gazette of India dated 19th November, 2018.

(ii) The Sarva Haryana Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. SHGB/HRDD/2018/3484 in Gazette of India dated 19th November, 2018.

(iii) The Sarva UP Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. Supgb.1/2018 in Gazette of India dated 22nd November, 2018.

(iv) The Sarva UP Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. Supgb.2/2018 in Gazette of India dated 22nd November, 2018.

(v) The Meghalaya Rural Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. MEGRRB/Service (Amendment) Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(vi) The Meghalaya Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. MEGRRB/Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(vii) The Rajasthan Marudhara Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. RMGB SR Amendment 2018 in Gazette of India dated 21st December, 2018.

(viii) The Rajasthan Marudhara Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. RMGB Pension Regulations 2018 in Gazette of India dated 21st December, 2018.

(ix) The Jharkhand Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. JGB/Service (Amendment)/2018-19 in Gazette of India dated 27th December, 2018.

(x) The Jharkhand Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. JGB/Pension/2018-19 in Gazette of India dated 27th December, 2018.

(xi) The Chaitanya Godavari Grameena Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. CGGB/ Service (Amendment) /2018-19 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(xii) The Chaitanya Godavari Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. CGGB/Pension/2018-19 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(xiii) The Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. APGVB-SRAmendment/2018 in Gazette of India dated 13th December, 2018.

(xiv) The Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification F No. APGVB-Pension/2018 in Gazette of India dated 13th December, 2018.

(xv) The Kaveri Grameena Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. KGB (Service Amendment Regulations 2018) in Gazette of India dated 20th December, 2018.

(xvi) The Kaveri Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. KGB (Pension Regulations) 2018 in Gazette of India dated 20th December, 2018.

(xvii) The Madhyanchal Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. M.G.B. Service (Amendment) Regulations, 2018 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(xviii) The Madhyanchal Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification M.G.B. Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(xix) The Telangana Grameena Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. TGB SSR (Amendment), 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(xx) The Telangana Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification F. No. TGB Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(xxi) The Kerala Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. KGB/Pension Regulation-2018 in Gazette of India dated 31st December, 2018.

(xxii) The Kerala Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. KGB/Pension Regulation-2018 in Gazette of India dated 31st December, 2018.

(xxiii) The Vidharbha Konkan Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. VKGB/Service (Amendment) Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(xxiv) The Vidharbha Konkan Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. VKGB/Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(xxv) The Prathama Bank Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 1-SR-Amendment/2018 in Gazette of India dated 20th November, 2018.

(xxvi) The Prathama Bank Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. 1-Pension/2018 in Gazette of India dated 20th November, 2018.

(xxvii) The Uttar Bihar Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. HO/TBC/11/2018-19/877 in Gazette of India dated 3rd December, 2018.

(xxviii) The Uttar Bihar Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. HO/TBC/11/2018-19/877 in Gazette of India dated 3rd December, 2018.

(xxix) The Andhra Pragathi Grameena Bank (Officers and Employees') Service

(Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. APGB-SRAmendment/2018 in Gazette of India dated 11th December, 2018.

(xxx) The Andhra Pragathi Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. APGB-Pension/2018 in Gazette of India dated 11th December, 2018.

(xxxii) The Allahabad UP Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. AUPGB/Service(Amendment)/2018-19 in Gazette of India dated 7th December, 2018.

(xxxiii) The Allahabad UP Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. AUPGB/Pension Regulation/2018-19 in Gazette of India dated 7th December, 2018.

(xxxiv) The Odisha Gramya Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. CH/HRD/496/2018 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(xxxv) The Odisha Gramya Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. CH/HRD/497/2018 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(xxxvi) The Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. AGVB/PER/ESTT-B/08/02/2018-19 in Gazette of India dated 24th December, 2018.

(xxxvi) The Assam Gramin Vikash Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. AGVB/PER/ESTT-B/08/02/2018-19 in Gazette of India dated 24th December, 2018.

(xxxvii) The Dena Gujarat Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. DGGB/HO/PER/1209/2018-19 in Gazette of India dated 19th December, 2018.

(xxxviii) The Dena Gujarat Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. DGGB/HO/PER/1209/2018-19 in Gazette of India dated 19th December, 2018.

(xxxix) The Manipur Rural Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. MRB/OESR/A/2018 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(xl) The Manipur Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. MRB/EPR/I/2018 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(xli) The Nagaland Rural Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. NRB/Service (Amendment) Regulation 2018-19 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(xlii) The Nagaland Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. NRB/Pension Regulation 2018-19 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(xliii) The Paschim Banga Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PBGB/Service (Amendment) Regulation, 2018 in Gazette of India dated 5th December, 2018.

(xliv) The Paschim Banga Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PBGB/Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 5th December, 2018.

(xlv) The Chhattisgarh Rajya Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. Service (Amendment) Regulations, 2018 in Gazette of India dated 26th December, 2018.

(xlvi) The Chhattisgarh Rajya Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. Pension Regulatatory, 2018 in Gazette of India dated 26th December, 2018.

(xlvii) The J&K Grameen Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. JKGB/HRDD/2018-4318 in Gazette of India dated 28th November, 2018.

(xlviii) The J&K Grameen Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. JKGB/HRDD/2018-4319 in Gazette of India dated 28th November, 2018.

(xlix) The Vananchal Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. VGB/Service (Amendment)/2018-19 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(I) The Vananchal Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. VGB/Pension/2018-19 in Gazette of India dated 17th December, 2018.

(li) The Uttarakhand Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. UGB/Service (Amendment) Regulations, 2018 in Gazette of India dated 13th December, 2018.

(lii) The Uttarakhand Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. UGB/Pension Regulations, 2018-19 in Gazette of India dated 13th December, 2018.

(liii) The Maharashtra Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. MGB/Service Amendment Regulations, 2018 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(liv) The Maharashtra Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. MGB/Pension/Regulation/2018 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(lv) The Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. KGSGB/HO/HRIR/1244/2018 in Gazette of India dated 11th December, 2018.

(lvi) The Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. KGSGB/HO/HRIR/1244/2018 in Gazette of India dated 11th December, 2018.

(lvii) The Karnataka Vikas Grameena Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. KVGB/Service (Amendment) Regulations/2018 in Gazette of India dated 20th December, 2018.

(lviii) The Karnataka Vikas Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. KVGB/Pension Regulations/2018 in Gazette of India dated 20th December, 2018.

(lix) The Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BRKGB/2018-19/HRM/21421 in Gazette of India dated 4th January, 2018.

(lx) The Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BRKGB/2018-19/HRM/21422 in Gazette of India dated 4th January, 2018.

(lxi) The Tripura Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. 238/02/2018 in Gazette of India dated 13th December, 2018.

(lxii) The Tripura Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. 238/03/2018 in Gazette of India dated 13th December, 2018.

(lxiii) The Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. UBKGB/Service Regulation(Amendment)/2018 in Gazette of India dated 10th December, 2018.

(Ixiv) The Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. UBKGB/Pension Regulation/2018 in Gazette of India dated 10th December, 2018.

(Ixv) The Arunachal Pradesh Rural Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. GN/142/1963 in Gazette of India dated 4th January, 2019.

(Ixvi) The Arunachal Pradesh Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. GN/142/1962 in Gazette of India dated 4th January, 2019.

(Ixvii) The Purvanchal Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. P.B.(Service Amendment Regulations 2018) in Gazette of India dated 5th December, 2018.

(Ixviii) The Purvanchal Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. P.B.(Service Amendment Regulations 2018) in Gazette of India dated 5th December, 2018.

(Ixix) The Pandyan Grama Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. pgb/Service (Amendment)/2018-19 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(Ixx) The Pandyan Grama Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. pgb/Pension Regulation/2018-19 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(lxxi) The Ellaquai Dehati Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. EDB/1016/Service Amendment Regulation, 2018 in Gazette of India dated 5th December, 2018.

(lxxii) The Ellaquai Dehati Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. EDB/1015/Pension Regulation, 2018 in Gazette of India dated 5th December, 2018.

(lxxiii) The Pragathi Krishna Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PKGB/Service (Amendment) Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(lxxiv) The Pragathi Krishna Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PKGB/Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

(lxxv) The Pudukkottai Bharathiar Grama Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. Pudukkottai Bharathiar Grama Bank/Pension/Amendment/01/2018-19 in Gazette of India dated 27th December, 2018.

(lxxvi) The Pudukkottai Bharathiar Grama Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. Pudukkottai Bharathiar Grama Bank/Pension/Amendment/01/2018-19 in Gazette of India dated 27th December, 2018.

(lxxvii) The Langpi Dehangi Rural Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. RRB/37/PER&HR/779 in Gazette of India dated 31st December, 2018.

(lxxviii) The Langpi Dehangi Rural Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. RRB/37/PER&HR/779 in Gazette of India dated 31st December, 2018.

(lxxix) The Bangiya Gramin Vikash Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BGVB/Service (Amendment)Regulations 2018-19 in Gazette of India dated 10th December, 2018.

(lxxx) The Bangiya Gramin Vikash Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BGVB/Pension Regulations 2018-19 in Gazette of India dated 10th December, 2018.

(lxxxii) The Utkal Grameen Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PER/1678(1) in Gazette of India dated 24th December, 2018.

(lxxxii) The Utkal Grameen Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. PER/1678(2) in Gazette of India dated 24th December, 2018.

(lxxxiii) The Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BUPGB/Service Amendment Regulations, 2018 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(lxxxiv) The Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. BUPGB/Pension Regulations, 2018 in Gazette of India dated 12th December, 2018.

(lxxxv) The Himachal Pradesh Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. HPGH/HO/HRD/2018 in Gazette of India dated 3rd December, 2018.

(lxxxvi) The Himachal Pradesh Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. HPGH/HO/HRD/2018 in Gazette of India dated 3rd December, 2018.

(lxxxvii) The Baroda Gujarat Gramin Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. BGGB:HO:HRM:14:1232 dated 27/11/2018 in Gazette of India dated 21st December, 2018.

(lxxxviii) The Baroda Gujarat Gramin Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. BGGB:HO:HRM:14:1232 dated 27/11/2018 in Gazette of India dated 21st December, 2018.

(lxxxix) The Saptagiri Grameena Bank (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification F No. SGB/Service(Amendment)/2018-19 in Gazette of India dated 6th December, 2018.

(xc) The Saptagiri Grameena Bank (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification F No. SGB/Pension/2018-19 in Gazette of India dated 6th December, 2018.

(xci) The Gramin Bank of Aryavart (Officers and Employees') Service (Amendment) Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. GBA/Service (Amendment)/2018-19 in Gazette of India dated 27th November, 2018.

(xcii) The Gramin Bank of Aryavart (Employees') Pension Regulations, 2018 published in Notification No. F. No. GBA/Pension/2018-19 in Gazette of India dated 27th November, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 10972/16/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) मेडिकल डिवाइसेस (संशोधन) नियम, 2019 जो 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 30(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 जो 25 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 47(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10973/16/19]

- (2) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10974/16/19]

- (4) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10975/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): I beg to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Testing and R &D Infrastructure Project, New Delhi, for the years 2015-2016 and 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Testing and R &D Infrastructure Project, New Delhi, for the years 2015-2016 and 2016-2017.
2. Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10976/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

1. (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.
 - (ii) Annual Report of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10977/16/19]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10978/16/19]

(ख) (एक) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10979/16/19]

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956 :-

1. S.O.170(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 44 (Jowai to Meghalaya and Assam Border Section) in the State of Meghalaya.
2. S.O.298(E) published in Gazette of India dated 14th January, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 27 (Allahabad to Uttar Pradesh/Madhya Pradesh Border Section) in the State of Uttar Pradesh.
3. S.O.299(E) published in Gazette of India dated 14th January, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O. 895(E) dated 26th March, 2014.
4. S.O.415(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2019, making certain amendments in the Notification No. S.O. 353(E) dated 3rd February, 2016.

5. S.O.508(E) published in Gazette of India dated 29th January, 2019, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 116 (Tonk-Sawaimadhopur Section) in the State of Rajasthan on EPC basis.

[Placed in Library, See No. LT 10980/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the India International Convention and Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of India International Convention and Exhibition Centre Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10981/16/19]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

- (i) S.O.3941(E) published in Gazette of India dated 8th August, 2018, regarding amendment in Para 2.05 of Foreign Trade Policy 2015-2020.

- (ii) S.O.3999(E) published in Gazette of India dated 17th August, 2018, regarding amendment of import policy condition of Petcoke.
- (iii) S.O.4054(E) published in Gazette of India dated 21st August, 2018, regarding amendment in import policy of biofuels.
- (iv) S.O.4197(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2018, containing corrigendum to Notification No. 25/2020 dated 17th August, 2018.
- (v) S.O.4210(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2018, regarding withdrawal of Notification No. 15 dated 02.07.2018 regarding amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].
- (vi) S.O.4214(E) published in Gazette of India dated 30th August, 2018, regarding amendment in the import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].
- (vii) S.O.4883(E) published in Gazette of India dated 17th September, 2018, regarding amendment in import policy and policy condition of pepper classified under Chapter 9 of ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].
- (viii) S.O.5016(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2018, regarding amendment in import policy of Peas under Chapter 7 of the ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].
- (ix) S.O.5017(E) published in Gazette of India dated 28th September, 2018, regarding amendment of import policy of Petcoke.

- (x) S.O.5105(E) published in Gazette of India dated 3rd October, 2018, regarding amendment of import policy of certain items under Chapter 29 and 30 of ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].
- (xi) S.O.5146(E) published in Gazette of India dated 5th October, 2018, regarding amendment of Policy Conditions of Urea under Chapter 31 of the ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].
- (xii) S.O.5375(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2018, regarding amendment of import policy condition of Petcoke.
- (xiii) S.O.5881(E) published in Gazette of India dated 30th November, 2018, regarding amendment of import policy of items under HS Code 7108 12 00 under ITC [HS] 2017, Schedule – I [Import Policy].

[Placed in Library, See No. LT 10982/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI

P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Legal Services Authority, New Delhi, for the year 2016-2017.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10983/16/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of my colleague Dr. Subhash Ramrao Bhamre, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 10984/16/19]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2017-2018.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 10985/16/19]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सत्यपाल सिंह): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10986/16/19]

- (3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, अगरतला के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10987/16/19]

- 5) (एक) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10988/16/19]

- (7) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10989/16/19]

- (9) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टिट्यूट्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 10990/16/19]

- (11) (एक) वेस्ट बंगाल सोसाइटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वेस्ट बंगाल सोसाइटी फॉर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 10991/16/19]

- (13) (एक) कश्मीर केद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10992/16/19]

(15) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10993/16/19]

(17) उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10994/16/19]

(19) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10995/16/19]

(21) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक के 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10996/16/19]

(23) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10997/16/19]

(25) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग - I एवं II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10998/16/19]

- (27) (एक) चण्डीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चण्डीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चण्डीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चण्डीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10999/16/19]

- (29) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11000/16/19]

- (31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोटा के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11001/16/19]

- (33) (एक) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11002/16/19]

- (35) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेकनोलॉजी, चित्तूर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेकनोलॉजी, चित्तूर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11003/16/19]

- (37) (एक) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) विश्व-भारती, शान्ति निकेतन के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11004/16/19]

(39) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11005/16/19]

(41) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11006/16/19]

(43) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11007/16/19]

(45) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11008/16/19]

(47) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11009/16/19]

(49) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेकनोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेकनोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11010/16/19]

- (51) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2017, जो 11 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. सीयूजे/परिनियम/1/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11011/16/19]

- (52) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन प्रदान करना) विनियम, 2018, जो 2 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. एबी/आरईजी/एआईसीटीई/2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11012/16/19]

- (53) भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018 के परिनियम, जो 6 दिसम्बर 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1181(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 11013/16/19]

12 05 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Minutes

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Forth-sixth sitting of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

12 06hrs**COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES****(i) 20th Report**

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, मैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(ii) Statement

श्री गणेश सिंह : महोदया, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12 07hrs

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
14th to 16th Reports

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I beg to lay on the Table the following Original Reports (English and Hindi versions) of the Committee on Empowerment of Women (2018-19):-

- (1) Fourteenth Report on the Subject 'Yoga and Sports Facilities for Women'.
 - (2) Fifteenth Report on the Subject 'Working Conditions of Women Teachers in schools'.
 - (3) Sixteenth Report on the Subject 'Higher Education and Research and Development – Prospects for Women'.
-

12 08hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

Action Taken Statements

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): I beg to lay on the Table the Further Action Taken Statements (Hindi and English versions) of the Government on the Recommendations contained in Chapter I of the following Reports:-

(1) Twenty-seventh Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-second Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2016-17 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 23)'.
(2) Thirty-fifth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-ninth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2017-18 pertaining to Revenue Budget of Army, Navy and Air Force (Demand No. 20)'.

(3) Thirty-sixth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-first Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2017-18 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21)'.

(4) Thirty-eighth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirtieth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants for the year 2017-18 on Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance (DGQA) and National Cadet Corps (NCC) (Demand No. 20)'.

(5) Thirty-ninth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirty-fourth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Provision of Medical Services to Armed Forces including Dental Services'.

12 08 1/2 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

24th and 25th Reports

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): महोदया, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2018-19) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. विदेश मंत्रालय की वर्ष 2018-19 की अनुदानों की मांगों के बारे में 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।
 2. 'डोकलाम, सीमा स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित चीन-भारत संबंध' विषय के बारे में 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 25वां प्रतिवेदन।
-

12 08 ¾

STANDING COMMITTEE ON FINANCE

71st and 72nd Reports

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): I beg to lay on the table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Finance:-

(1) Seventy-first Report on 'Central assistance for Disaster Management and Relief'.

(2) Seventy-second Report on 'Strengthening of the Credit Rating Framework in the country'.

12 09hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR

57th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं दिशा-निर्देश, निगरानी, रेटिंग और विनियामक प्रणाली, बांडों और ऐसे लिखतों में निवेश की स्थिति – (पीएफ फंडों, पेंशन फंडों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाओं) (आईएलएंडएफएस) के उदाहरण के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 57वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ

12 09 1/2

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

54th and 55th Reports

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

(1) Fifty-fourth Report on the subject 'Prices of Drugs with special reference to Drugs (Prices Control) Order, 2013' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

(2) Fifty-fifth Report on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Forty Sixth Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Promotion and Coordination of basic, applied and other research in areas related to the Pharmaceutical Sector' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

12 10 hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

49th Report

PROF. CHINTAMANI MALVIYA (UJJAIN): I beg to present the Forty-ninth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Coal and Steel on 'CSR Activities by PSUs under Ministry of Mines'.

...(Interruptions)

12 10 1/2hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

67th Report

श्री रमेश बैस (रायपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के “राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) की सूक्ष्म-ऋण वित्त योजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन” के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2018-19) का 67वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12 11hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

149th Report

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR) : I beg to lay on the Table the 149th Report (Hindi and English versions) on Action Taken by Government on the Recommendations / Observations of the Committee contained in its 145th Report on 'Impact of Chinese Goods on Indian Industry'.

...(Interruptions)

12 11 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 310th Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.*

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 318th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests on Action Taken by the Government on the recommendations contained in 310th Report of the Committee on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11014/16/19.

12 12hrs

(ii) Status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Labour, on 'Regulatory framework of the EPFO on the Excluded category vis-a-vis implementation of various PF Acts', pertaining to the Ministry of Labour and Employment*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Labour, on 'Regulatory framework of the EPFO on the Excluded category vis-a-vis implementation of various PF Acts', pertaining to the Ministry of Labour & Employment.

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11015/16/19.

12 12½ hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation.*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (SHRI RAMESH JIGAJINAGI): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Drinking Water and Sanitation.

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11016/16/19.

12 13hrs

(iv) Status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shri Ram Kripal Yadav, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 42nd Report of the Standing Committee on Rural Development on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development.

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11017/16/19.

12 13½ hrs**(v) Status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Labour on 'Jan Shikshan Sansthan Scheme' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) ***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI ANANTKUMAR HEGDE): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 41st Report of the Standing Committee on Labour on '*Jan Shikshan Sansthan Scheme*' pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE).

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11018/16/19.

12 14hrs

(vi) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Water Resources on 'Review of the Accelerated Irrigation Benefits Programme' pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations / observations contained in the 14th Report of the Standing Committee on Water Resources on 'Review of the Accelerated Irrigation Benefits Programme' pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11019/16/19.

12 14½ hrs

(vii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Resettlement of Ex-Servicemen', pertaining to the Ministry of Defence *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Dr. Subhash Ramrao Bhamre, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 33rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Resettlement of Ex-Servicemen', pertaining to the Ministry of Defence.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11020/16/19.

(b)Status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Defence on 'Provision of Medical Services to Armed Forces including Dental Services', pertaining to the Ministry of Defence *

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Dr. Subhash Ramrao Bhamre, I beg to lay the following statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 34th Report of the Standing Committee on Defence on 'Provision of Medical Services to Armed Forces including Dental Services', pertaining to the Ministry of Defence.

...(Interruptions)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 11021/16/19.

12 15hrs**SUBMISSION BY MEMBERS****Re : Reported manhandling of Members of Parliament by UP Police**

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कुंभ के मेले में वहां के सबसे बड़े महंत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उनको लखनऊ में रोक दिया। हम लोग इलाहाबाद में मौजूद थे।...(व्यवधान) हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर, मैं खुद, मेरे साथ नागेन्द्र पटेल, प्रवीण, निषाद सहित कई सांसद, विधायक, एमएलसी थे।...(व्यवधान) हम लोग गांधी जी की मूर्ति पर माला चढ़ा रहे थे।...(व्यवधान) अहिंसा के पुजारी के नारे लगा रहे थे। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह संवेदनहीन सरकार, अहिंसा के पुजारी की मूर्ति पर जिस समय एमपी माला चढ़ा रहे थे, इनकी पुलिस के कप्तान नितिन तिवारी, वहां के डीएम, वहां के पुलिस प्रशासन के लोग, हमारे निहत्थे साथियों पर लाठीचार्ज, गोली चला रहे थे।...(व्यवधान) यही नहीं, पिटते-पिटते यह हालत हुई कि हम तीनों सांसद, कई विधायक, कई एमएलसी, कई हमारी महिलाएं, कई हमारे यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी सबको पीटा गया। हमारी छात्राओं को पीटा गया, हमारे बुजुर्गों को पीटा गया। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, उसका उदाहरण आप देख रही हैं, लोक सभा चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, मीडिया के माध्यम से देश ने देखा है कि किस तरह से लाठियां हम सांसदों सहित पूरे समाजवादी लोगों पर चलाई गई हैं।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, चलाई किसने, जिसका सबसे बड़ा इतिहास है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, जिस मुख्य मंत्री का सबसे बड़ा इतिहास है, उसने चलाया और उस मुख्य मंत्री को इसी सदन में लोगों ने रोते हुए भी देखा है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, हम समाजवादी लोग रोने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी लोग ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर से देंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इलाहाबाद के कप्तान नितिन तिवारी, वहां के डीएम सुहास एल.वाई. की ओर से मैं स्वयं, हमारे साथी नागेन्द्र पटेल, हमारे साथी प्रवीण पटेल, हम तीनों सांसद आपकी सेवा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस देते हैं। अध्यक्ष जी, आपसे अपील करते हैं, इसको स्वीकारिए। 16वीं लोक सभा का यह आखिरी दिन है। अध्यक्ष जी, एक ऐसी परम्परा डालिए कि जो हमारी लोक सभा की स्पीकर हैं, वह हमारी अभिभावक हैं। वह पक्षपात नहीं करेंगी। ये अधिकारी, जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, जो अन्याय करना चाहते हैं, जो अत्याचार करना चाहते हैं, ऐसे अधिकारियों का इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है... (व्यवधान) हालांकि अध्यक्ष जी, जो सरकार चल रही है, जो मुख्य मंत्री हैं और जिनके निर्देश पर मुख्य मंत्री चल रहे हैं, इनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक संस्था में कोई आस्था नहीं है, कोई भरोसा नहीं है।

इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे इस नोटिस को और हमारे साथियों के नोटिस को स्वीकार करिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आप निर्देश दीजिए। यह हमारी अपील है। धन्यवाद।
... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और श्रीमती सुप्रिया सुले को श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): बंगाल में यह रोज होता है... (व्यवधान) आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि तब ये कहां रहते हैं? ... (व्यवधान) बंगाल में रोज ऐसा होता है... (व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे सांसद ने जो बात व्यक्त की, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। ... (व्यवधान)

12 18hrs

At this stage, Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

लेकिन उन्होंने जो व्यक्त किया वह सच नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अखिलेश जी का कार्यक्रम था और उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रशासन को लिख कर दिया कि ये आएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। ... (व्यवधान) इस कारण उनको रोकना पड़ा। ... (व्यवधान) इसका भारतीय जनता पार्टी और सरकार से कोई भी लेना-देना नहीं है। ... (व्यवधान)

12 19 hrs

BANNING OF UNREGULATED DEPOSIT SCHEMES BILL, 2018

HON. SPEAKER: Now, we take up Item No.44. Shri Piyush Goyal.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने ले लिया न। मैंने आपको बोला है कि ले लिया। आप मुझे दे दीजिए। अब आप जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, अब आप जाइए।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): मैडम स्पीकर, मुझे लग रहा है, यह जो आज का दृश्य है, यह अपने आपमें दिखा रहा है कि शायद ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश के गरीब, छोटे निवेशक हैं, जो गलतफहमी में आकर चिटफंड में पैसा डाल देते हैं, उनका प्रोटेक्शन हो, उनका संरक्षण हो और उनका पैसा बचाया जाए।
...(व्यवधान) यह दृश्य दिखा रहा है कि शायद कुछ पार्टियां भी उसमें सम्मिलित हो सकती हैं।
...(व्यवधान)

इसी कारण आज जब इतना महत्वपूर्ण बिल आया है जो खासतौर से अनरेग्युलेड डिपोजिट को बैंक करने और उन संस्थाओं में जिसमें लोग निवेश करते हैं। जो सेबी, आरबीआई या नाबार्ड के संरक्षण में नहीं हैं, ...(व्यवधान) ऐसी फर्जी संस्थाओं को बंद करने के लिए आम सहमति थी, ताकि गरीब, पिछड़े, किसानों को नुकसान न हो। ...(व्यवधान) उस नुकसान को रोकने के तहत इस बिल पर सभी ने सहमति दी, यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी,

...(व्यवधान) रिपोर्ट के तहत आज इस बिल पर चर्चा करके पारित किया जाएगा, इसका निर्णय सभी दलों ने मिल कर लिया था। मैं आपसे और सदन से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास करें और देश के गरीबों को संरक्षण दें। ...(व्यवधान) कुछ लोग और कुछ पार्टियों के प्रमुख नेता जो गलत प्रकार के काम करते हैं, उन सभी को रोको। आज का जो दृश्य है, यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि कौन सी पार्टी और कौन से नेता चिट फंड को सपोर्ट करते हैं, और कौन बेचारे गरीब निवेशकों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मोदी सरकार करेगी। सरकार इस प्रकार के गलत कामों को कभी नहीं होने देगी। ...(व्यवधान) मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matter connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बंगाल में लाखों की तदाद में जो गरीब लोग हैं, गरीबों का पैसा लूटा गया ... (व्यवधान) आज यहां शोर मचाते हैं। मुझे लगता है कि इनको यह कहना चाहिए कि चोर मचाते शोर, ये सारे बंगाल के ...* हैं। बंगाल को लूट कर यहां आए हैं, बंगाल के लुटेरा का साथ दे रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ ... (व्यवधान)

लेकिन हमें इस बिल पर कुछ कहना है, जैसे अनरेग्युलेटड डिपोजिट का जो डिफिनेशन है, वह डिफिनेशन सही नहीं है। इसमें ऐम्बग्यूअटी है, अनरेग्युलेटड डिपोजिट स्कीम्स में ऐम्बग्यूअटी है। दूसरा, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इन्फोर्समेंट एजेंसी को अनफेटर्ड पॉवर दिया जा रहा है। इसके ऊपर इसको रोकना चाहिए। बंगाल में पच्चीस लाख से ज्यादा लोगों का धन लूटा गया। वह बेचारा गरीब अभी भी परेशान है ... (व्यवधान) वे पैसा जमा नहीं कर सकते। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जो धन लूटा गया, उस धन को वापस करे। गरीबों के लूट हुए धन को वापस करे। कोई लूट का छूट नहीं होना चाहिए, जो लुटेरा लुटे है, उसको सजा होनी चाहिए ... (व्यवधान) कोई लूट का छूट नहीं होना चाहिए। बंगाल में बीस हजार से तीस हजार करोड़ रुपये के धन का लूट हुआ है। इन लोगों के जमाने में हुआ है। ये बंगाल की सत्ताधारी पार्टी है। ... (व्यवधान) जो बड़ी-बड़ी चिट फंड कंपनियां हैं, ये मिलीभगत करके लूट किए हैं, लुटेरा को सजा होनी चाहिए। मैं यही बात कहते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

* Not recorded.

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) :माननीय अध्यक्ष महोदया, हिन्दुस्तान में लगभग दो करोड़ छोटे निवेशक लूटे गए, चार लाख करोड़ रुपये फंस गया। यह बिल लाकर नरेन्द्र मोदी जी ने उन छोटे निवेशकों और गरीबों की रक्षा करने का निर्णय किया है। हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं। ... (व्यवधान) मैं पश्चिम बंगाल सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी केन्द्र स्तर पर कानून आ रहा है, उसे पहले राज्य स्तर पर लाया गया। महाराष्ट्र में 1998-99 में भाजपा-शिवसेना की सरकार थी, तब महाराष्ट्र में यह कानून आया। उसके पश्चात् गुजरात में आया, तमिलनाडु में लाया गया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2015 तक राज्य सरकार का कानून नहीं लाया था। अब जब केन्द्र सरकार कानून ला रही है तो शारदा चिट फंड को बचाने के लिए यह विरोध हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज तक शारदा चिट फंड, रोजवैली, सहारा, पॉलेग्रो, गोल्डन फोरहेड, समृद्ध जीवन, साईप्रसाद, टिवंकल, मैत्रेयी, केबीसीएल ने चार लाख करोड़ रुपये लूटा है। ... (व्यवधान)

मैं माननीय पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कानून लेकर आए हैं और पूरा सदन इसका समर्थन करता है। धन्यवाद।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। यह बहुत पुरानी मांग थी कि जो भी अनरैगुलेटिड डिपोजिट स्कीम चलती हैं, इनके कारण बहुत से गरीब लोगों का नुकसान होता है, डिपोजिट करने वाले लोगों को अच्छा इन्टरस्ट मिलता है, वे अपना पैसा वहाँ रखते हैं, लेकिन वह पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियों का दिवाला निकल चुका है। हम बहुत दिनों से राह देख रहे थे कि यह बिल कब आए। ... (व्यवधान)

यहाँ तक कि स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका समर्थन किया है, मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ और फिर एक बार वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): आरदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी चिट फंड या पोंजी स्कीम का मामला आता है तो कुछ लोग हाइपर एक्टिव हो जाते हैं...(व्यवधान) हम बंगाल से आते हैं, हमारा अनुभव है और आज भी आप देखेंगे कि चाहे सदन के अंदर हो या सड़क पर हो, खासकर हमारी मुख्य मंत्री हैं, ...* यहां ऐसे बहुत से ...*, जिनको जेल में रहना चाहिए था, हजारों लाखों गरीब लोगों, चाहे वह विधवा मां हो, चाहे हॉकर हो, चाहे किसान हो, उनका पैसा इकट्ठा करके हर पोलिटिकल पार्टी में कुछ करप्ट लोग रहते हैं। ...* करप्ट लोगों की पार्टी बनी है और इसमें कुछ लोगों का जुगाड़ किया गया है। हम पिछले 17 साल से कहते आ रहे हैं, आज पूरे देश को मालूम होगा कि इस स्कीम को बैन करने के लिए 2002 में बंगाल की वाम फ्रंट सरकार, जब एनडीए की हुकूमत थी, तब हमने यह बिल बंगाल में बनाया था। चूंकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के साथ वाजपेयी जी की सरकार में थी, इसलिए केंद्र सरकार ने उस बिल में एक्सेशन नहीं दी, एक्सीड नहीं किया वरना आज इतने लोगों को पैसा गंवाना नहीं पड़ता...(व्यवधान)

आज हम पीयूष गोयल जी का समर्थन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां बैठे हुए लोग हैं, इनमें तृणमूल ...* राजनीतिक सौदाबाजी करके ये जेल के बाहर आ गए और यहां आकर भाषण देते हैं। लाखों लोग सीना पीट कर ...* के घर में पहुंचे कि हमारा पैसा वापिस दो। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री ने कहा जो गया सो गया। अब पता चल रहा है कि वह चिट फंड का पैसा कहाँ गया? यह कानून लाकर सिर्फ चिट फंड बैन करने से कुछ नहीं होगा, सीबीआई की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था, कोई सौदेबाजी नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो इन ...* गरीब जनता का पैसा वापिस करना पड़ेगा। मैं यह मांग करता हूँ।

* Not recorded.

SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Madam Speaker, in the proposed Bill it is said that the multi-State Cooperative Societies can accept deposits only from voting members and cannot accept deposits from nonvoting members. In such a case, the Repco Bank, which is owned by the Ministry of Home Affairs of Government of India and southern State Governments, will not be able to accept deposits from nonvoting B-class members, that is the general public who are in large numbers.

In view of above, hon. Chief Minister of Tamil Nadu has requested the Union Finance Minister to make suitable amendments to the Bill for providing an exemption for accepting deposits from nonvoting members also in the Government owned multi-State Cooperative Societies. The Act may be amended by including the following clause:

“Those multi-State Cooperative Societies in which the Central and State Governments hold more than 51 per cent paid up share capital shall continue to accept deposits from nonvoting members also.”

The above amendment could facilitate the Repco Bank to continue to accept deposits from nonvoting members also. With this amendment, we accept the Bill.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, this Bill has emanated from the Standing Committee on Finance recommendation in its 21st Report which was titled – ‘Efficacy of Regulation of Collective Investments Schemes’. ...(*Interruptions*) That recommendation had suggested that there are various gaps in regulating the Unregulated Deposit Scheme. That is the reason why this Bill was made by this Government. It was on the recommendation of the Finance Committee that still certain gaps are there and it is necessary that appropriate legislative provision coupled with effective administrative and enforcement measures in order to protect the hard-earned savings and investment made by millions of people is required. ...(*Interruptions*) That is the reason why this Bill has come into existence.

The Finance Committee went in detail on this Bill and still I find there are certain lacuna which still exist. First, the definition is not very clear. As Adhir Ranjan Chowdhury just now mentioned, ambiguity still exist. ...(*Interruptions*) But the major concern which is expressed through this Bill is illegal deposit taking activities is a concern and as larger sections of the income of the population who actually makes certain deposit is going haywire. However, that is something which is of major concern....(*Interruptions*)

Madam Speaker, I would like to draw the attention of the Government relating to the provision that this Bill makes to return back the deposit that is there to identify the depositors and return it back. That is the major concern. ...(*Interruptions*) But it gives adequate or more power to the police force to act against anyone. That is something which is of concern that needs to be

corrected. But again, I would like to mention here that when we are saying that this is the best Bill, it all depends on the State Government to implement it.

...(Interruptions) The Central Government cannot implement this provision. It is left to the State Government to implement it. There is necessity that a certain regulatory mechanism should be there where both the Union Government and respective State Government should work together to regulate this unaccounted deposit scheme. ...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I rise to speak on the Banning of Unregulated Deposit Schemes. Madam, I rise to speak on that. I know, that the BJP does not want me to speak. ...(*Interruptions*) Already, one Member from ... * has spoken against Mamata Banerjee. Another person from CPM, who won by 1,100 votes, he has spoken. Madam, listen to me. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Your people are also boycotting the discussion. आपके लोग चिल्ला भी रहे हैं तो कैसे बोलोगे?

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, none of the chit funds were started during Mamata Banerjee's regime. All the chit funds started in 1980 when the Left Front was in power in West Bengal. ...(*Interruptions*)

When the Saradha scam broke, Mamata Banerjee took the trouble of arresting the main person, Sudipta Sen from Kashmir and brought him in. Her Government brought him back from Kashmir. She set up a Commission to return the money to investors. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Are you opposing the Bill?

... (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : After the CBI has taken it over, not one rupee has been returned. Now, all these people, CPM men and Congress who spoke, they are linked to Saradha issue and they are linked to Rose Valley. ...(*Interruptions*)

* Not recorded.

I am asking this Government what are they doing for five years. On the last day, they are bringing the Bill. Our Finance Standing Committee had a meeting. We gave a report on a meeting held on 2nd January. The Committee gave a report, but the Government has not agreed to a single recommendation of the report. ...(*Interruptions*) The Committee suggested that the word 'any other agency' must be added after 'Central Bureau of Investigation'. They have not agreed to that. ...(*Interruptions*) We suggested that the Bill should be changed accordingly; we suggested that the Bill be redrafted, but the Government has not redrafted the Bill. These people who are speaking are all agents. ...(*Interruptions*) That is why we have no objection to this Bill provided it is amended as suggested by the Standing Committee on Finance. We want all chit funds banned. ...(*Interruptions*) There is chit fund not only in Bengal; there is chit fund in Punjab; there is chit fund in Odisha, east coast; there are other chit funds and here is an agent who won only by 1100 votes. That is why I protested it.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam, I thank you for allowing me to speak on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018. ...(*Interruptions*) This Bill, as we know, seeks to prevent unregulated deposit taking activities. ...(*Interruptions*) It criminalises soliciting, promoting or accepting deposits that constitute an unregulated deposit scheme as a punishable offence. ...(*Interruptions*) Hon. Speaker Madam, this Lok Sabha will be memorable for its stand against economic offenders. ...(*Interruptions*)

This particular Bill goes in the same direction and is, therefore, a welcome move. ...(*Interruptions*) A prime component of the Bill is the constitution of the competent authority which has been entrusted with the power of a civil court in investigation mandate of the irregular deposit activities. ...(*Interruptions*) It is interesting to note that the State Government has been given the task of appointing the competent authority. मजेदार इसलिए है कि सोलहवीं लोक सभा में यह पहली बार हुआ है कि सेवेन्थ शेड्यूल के नीचे जो स्टेट गवर्नमेंट के पॉवर्स हैं, they have been reflected in a piece of legislation. Madam, our Party, Telangana Rashtra Samiti has always encouraged entrepreneurship and start-ups. ...(*Interruptions*) This is the major reason why Telangana is one of the most booming economies in India. ...(*Interruptions*) Telangana's youth drive our economy. Our economy has a growth rate of 11 per cent per annum. ...(*Interruptions*) As a result, I echo the recommendations of the Standing Committee on Finance's report that vague definitions of the Bill stand to hurt the financing of start-ups as illegal. Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI) : Hon. Speaker Madam, on behalf of our party, we support the Bill with one small suggestion that hon. Shri Veerappa Moily actually brought this Bill to support poor people. So, I take this opportunity to congratulate Shri Veerappa Moily and the entire Standing Committee on Finance for bringing this Bill. ...(*Interruptions*) I just hope no misuse of power is made against anybody and the Bill is implemented in a fair and transparent way. ...(*Interruptions*) I would request all the recommendations made by the Standing Committee on Finance to be implemented. ...(*Interruptions*) I thank the hon. Minister of Finance and I hope he will make sure that the Bill is flawlessly implemented in the country. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dr. Farooq Abdullah. Do you want to speak? You have to go to your seat.

... (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Hon. Speaker Madam, thank you for giving me this time. ...(*Interruptions*) I am in favour of this Bill. The Standing Committee had suggested some improvements in this Bill. ...(*Interruptions*) I would like the Government to consider those issues so that the Bill can be complete in its totality. That would be wonderful for all of us. Thank you.

HON. SPEAKER: Premachandran ji, I will allow you to speak if you can finish your submission in one minute. I will give you one minute only and not more than that.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam. I rise to support this Bill because it protects the interests of the small and medium investors and depositors. At the same time, I would like to say that the principle of natural justice has to be complied with before taking any punitive action. ...(*Interruptions*)

There are cardinal differences between the cooperative banks and the cooperative societies. I have given notices of 14 amendments in this regard. This may be taken into consideration. Cooperative society and cooperative bank are entirely different from each other....(*Interruptions*)

I would say that the principle of natural justice has to be complied with. This principle should be complied with before the attachment of the assets of the person. With these words I support the Bill. Thank you.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ...(व्यवधान) जिस प्रकार से बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथियों ने जो बातें कही हैं, बड़ी हैरानी की बात है कि इस बिल को कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल तक सीमित करके रखने का हम काम करें।...(व्यवधान) हम पर्ल कंपनी की बात करें या अनेक ऐसी छोटी-छोटी चिट फण्ड कंपनीज छोटे-छोटे शहरों में आज शुरू हो रही हैं।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please do not talk to them.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No cross talk please.

... (Interruptions)

श्री दुष्यंत चौटाला: क्या वित्त मंत्री जी यह क्लियर करेंगे कि उन छोटी कंपनीज को भी मॉनीटर करने के लिए काम करेंगे?...(व्यवधान) जो कंपनीज सोसाइटी एक्ट के अन्दर अपने आपको इस्टैबलिश करके, इंट्रेस्ट की लालच में आज लोगों को कंसॉलिडेट करके, उनसे पैसे लेकर भागने का काम कर रही हैं, क्या इस बिल के माध्यम से उन लोगों को भी कवर किया जाएगा?...(व्यवधान) इसके साथ ही जो पुलिस की कार्रवाई है, उसे निष्पक्ष किस तरह पर किया जाएगा? क्या द्वेष भावना के साथ काम नहीं होगा?...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिल लेकर आए हैं, जिससे नया जमाना आएगा और लूटने वाला जेल जाएगा, यह मुझे भरोसा और विश्वास है।...(व्यवधान) मैडम, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से बिहार में चोरों की सरकार को बदल करके,...(व्यवधान) उसी तरीके से यहां सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं।...(व्यवधान) इस बिल के आने से अब गरीबों का पैसा लूटा नहीं जाएगा, बल्कि लोगों की जेब में जाएगा। यही बात कहकर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल के पक्ष में हूँ... (व्यवधान) चूंकि यह ऐसा बिल है, ऐसे चिट फण्ड्स जिसमें बिहार के मिडिल क्लास और गरीब लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं... (व्यवधान) मैं मानता हूँ कि चाहे चिट फण्ड का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों, राफेल का मामला हो, ... (व्यवधान) हमारे यहां सृजन घोटाला हुआ, जिसमें कई सांसद इनवाल्ड हैं, कई मंत्री इनवाल्ड हैं... (व्यवधान) सृजन घोटाले पर भी इसमें चर्चा होनी चाहिए... (व्यवधान) मंत्री जी द्वारा जो बिल लाया गया है, वह बहुत ही सही कदम है... (व्यवधान)

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you Madam, Speaker for allowing me to speak on this Bill. The Bill is aimed at tackling the menace of taking deposit by luring people with the offer of attractive returns. The case in point is Agri Gold and Akshaya Gold Schemes in Andhra Pradesh.

People running such dubious schemes exploit innocent people of their hard-earned savings. Through this enactment depositors are banned from promoting, operating, issuing advertisements or accepting deposits in any unregulated deposit scheme.

The Bill also contain penal provisions for attachment of properties for repayment to depositors where such money is raised illegally.

The Bill offers clarity on the nature of deposit scheme and classifies all deposit schemes. The proposed Bill also covers wrongful inducement in relation to unregulated deposit schemes.

HON. SPEAKER: It means that you are supporting the Bill.

SHRIMATI BUTTA RENUKA : Madam, I would like to say that these things are going on all over India and hence it should be taken seriously. We welcome this Bill but at the same time if the Government comes out with some such scheme where people can safeguard their money with the Government in a more secured manner then they need not go to the private people.

.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I would like to thank all the hon. Members. In all, 15 Members from different Parties have supported this Bill

I would like to express my gratefulness that there is still a heart in our hon. Members for the poor people for whom this Government has been working for the last five years relentlessly. I thank all of you for your support. Bhartruhari Ji, Jithender Reddy Ji and some other hon. Members have flagged up some issues. I would like to mention that we have ensured, while amending the Bill that no loophole is there and nobody should find a way to misuse it. If we describe it in too much detail, the people may misuse it. Therefore, with great legal acumen, this has been drafted. However, if there are still any other suggestions while framing the rules, we will ensure that there will be no possibility of misuse of any sort.

Bhartruhari Ji talked about the agencies other than the CBI. We have ensured that all this data is put into public domain and also the authorities can be designated who will study and take action even beyond the CBI. But we have not left it only to the States because you can see the situation here. If a particular State does not take action against such scheme, then the whole purpose of the Bill will be defeated. ...(*Interruptions*)

Madam, before concluding, I want to share one data between July, 2014 and May, 2018, that is, in four years, there were 978 cases of unauthorised schemes. ...(*Interruptions*) ऐसे 978 केसेज पर स्टेट लेवल को-ऑर्डिनेशन कमेटी में चर्चा की गई, उनमें से 326 केसेज केवल वेस्ट बंगाल में थे। एक-तिहाई से अधिक केसेज केवल पश्चिम बंगाल में थे।...(*व्यवधान*) इसलिए सभी माननीय सांसदों की भावनाओं को समझते हुए, इस

सरकार ने तेज गति से काम किया है, इस पर रोक लगाने का काम किया है...(व्यवधान) इस प्रकार से, कोई अड़चन डालकर, एक बार फिर कोई इस बिल को लटकाने-फटकाने-अटकाने की कोशिश करे, तो इसे देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी, वह इसका पूरा जवाब देगी...(व्यवधान)

मैं तो हैरान हूँ, स्कूल के बच्चे ऊपर बैठे हैं, यह जो दृश्य वे देख रहे हैं, इससे वे क्या मैसेज लेकर जाएंगे? ...(व्यवधान) इस देश में पश्चिम बंगाल का क्या संदेश जाएगा। यह हम सबके लिए दुख और आत्मचिन्तन का विषय है। ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय जी ने जो बात कही, मैं तो हैरान था कि ...* , कैसे ऐसा आरोप किसी भी जीते हुए लोक प्रतिनिधि पर लगाया गया (वह कितने भी वोटों से जीतकर आया, ये बातें यहाँ पर संबंधित नहीं हैं।), मुझे बहुत दुख है कि हमारे कई साथियों ने राजनीति का स्तर यहाँ तक गिरा दिया है...(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः एक बार सबका धन्यवाद करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि यह बिल पास हो जाए...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matter connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

* Not recorded.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definitions

Amendment made:

Page 5, line 6,-

after "Regulated Deposit Scheme"

insert, "as specified under column (3) of the First Schedule". (3)

(Shri Piyush Goyal)

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment no.6 to Clause 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Madam, I beg to move:

Page 2, line 19,-

after "bank or"

insert "co-operative society or". (6)

Madam, I am moving the amendment regarding a distinction between a bank and a cooperative society.

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 6 to Clause 2 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5**Wrongful inducement in
relation to unregulated
deposit schemes**

Amendment made:

Page 5, line 17,-

for "No person"

substitute "No person by whatever name called". (4)

(Shri Piyush Goyal)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 5, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

Clause 9**Central database**

Amendment made:

Page 8, line 34,-

for "designate an authority"

substitute "designate an authority (whether existing or to be constituted)".(5)

(Shri Piyush Goyal)

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 9, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 9, as amended, was added to the Bill.

Clauses 10 to 12 were added to the Bill.

Clause 13 Precedence of attachment

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 7, line 42,-

for “scheduled”

substitute “nationalised”. (7)

Page 8, line 4,-

after “property”

insert “after giving reasonable opportunity to the parties

for hearing”. (8)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.7 and 8 moved by Shri N.K.

Premachandran to clause 13 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 13 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15**Confirmation of attachment
by Designated Court**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 8, line 31,-

omit “or, if necessary, by private sale” (9)

Page 8, line 43,-

for “one hundred and eighty days”

substitute “ninety days”. (10)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos. 9 and 10 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 15 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 15 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.

Clause 16 was added to the Bill.

Clause 17**Payment in lieu of attachment**

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 9, lines 12 and 13,-

for “permission to deposit the fair value of the property

in lieu of attachment”

substitute “release of the attachment order with sufficient reason”. (11)

Page 9, line 15,-

for “deposit”

substitute “application”. (12)

Page 9, *for* lines 16 and 17,-

substitute “pass appropriate order on merit. (13)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment Nos.11, 12 and 13 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 17 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 17 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clause 18 Powers of designated Court

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, this is the last amendment of the Sixteenth Lok Sabha which I am moving. I beg to move:

Page 9, *for* lines 25 to 27,-

substitute “the attached assets by public auction.” (14)

HON. SPEAKER: I shall now put Amendment No.14 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 18 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 18 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 18 was added to the Bill.

Clauses 19 to 42 were added to the Bill.

First Schedule and Second Schedule were added to the Bill.

Clause 1 Short Title, extent and commencement

Amendment made:

Page 1, line 6, -

for “2018”

substitute “2019”. (2)

(Shri Piyush Goyal)

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for “Sixty-ninth”

substitute “Seventieth”. (1)

(Shri Piyush Goyal)

HON. SPEAKER: The question is:

“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill, as amended, be passed.

... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, we have supported this Bill. There were some observations from our side on this Bill but we have supported it. The question is that a few such funds like Sahara and CCPL are not being properly investigated. This is our allegation.

HON. SPEAKER: All will be investigated.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: This has to be taken care of.

Secondly, the Government of West Bengal has passed a more stronger Bill than this one. That has been forwarded to the Centre. I hope the Bill which has already been passed by the West Bengal Government under Mamta Banerjee Ji, will be taken up for consideration also and they will be allowed to function.

Madam, I want to ask the Government as to why the word ‘chit fund’ should be allowed to be used? Why the name ‘chit fund’ is a recognised

name? Why should any fund be projected as a 'chit fund' in the country?
...(Interruptions) Why should the Government not declare that the name 'chit fund' itself is banned? ...(Interruptions) People become confused.
...(Interruptions) Those people never say that we are the chit fund owners.
...(Interruptions) They come before us as regular businessmen. Nobody can detect them that he has a chit fund business. ...(Interruptions)

So, the chit fund business, as such, should be nipped in the bud. It should be lifted from the base. The name 'chit fund' should be abolished. They should not be allowed to function in the name of 'chit fund' in the country.
...(Interruptions)

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: It is okay.

... (Interruptions)

SHRI PIYUSH GOYAL: Madam Speaker, I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

...(व्यवधान)

12 57hrs**JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL (AMENDMENT) BILL, 2018**

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, खान मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि आइटम नम्बर 45, जलियांवाला स्मारक बिल है। इस जलियांवाला घटना को लगभग सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस बार 100वीं जयन्ती मनाई जा रही है। यह महत्वपूर्ण और बहुत छोटा बिल है। अगर सदन उदार हो तो यह बहुत जल्दी बिना चर्चा के भी यह पास हो सकता है। मेरा आग्रह है कि इसको लिया जाए, इसको पास किया जाए।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : लेना है न?

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम): हां लेना है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Do you want to take it up?

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : ज्यादा चर्चा मत कीजिए, एकाध कोई बोले और कर दीजिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, we will take up Item no. 45. Yes, hon. Minister.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: You can speak after the Minister moves the Bill.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND
 MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
 CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, with your permission,
 I beg to move:

“That the Bill further to amend the Jallianwala Bagh National
 Memorial Act, 1951, be taken into consideration.”

मैडम, देश की आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल, 1919 का दिवस एक काले दिवस के रूप में इतिहास के पन्नों में रहा है। इस घटना को आगामी 13 अप्रैल, 2019 में सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भारत की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 1951 में एक एक्ट के माध्यम से, हमारे देशवासियों ने खासकर अमृतसर के लोगों ने, निहत्थे लोगों ने जिस आजादी के आन्दोलन में अपनी आहूति डाली और अपना जीवन त्याग दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत ने अत्याचार किए और सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गवाईं। उस वर्ष 1951 के एक्ट में एक ट्रस्ट बनाया गया, उस घटना की यादगार युवा पीढ़ी के लिए बनी रहे। जिसमें नाम से श्री जवाहर लाल नेहरू, डॉ सैफुद्दीन किचलू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का नाम लिया, जीवन पर्यंत ये लोग हमारे ट्रस्टी रहेंगे। वर्ष 2006 में इसमें बदलाव लाया गया, क्योंकि इन तीनों ही लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। बदलाव लाकर, एक बदलाव यह लाया गया कि इनकी जगह पर देश के प्रधान मंत्री इस ट्रस्ट के चेयरमैन रहेंगे और विसंगति जो रह गई थी, उन विसंगतियों को आज ये सरकार इस बिल के माध्यम से लाई है। विसंगति थी कि आजादी के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया इस ट्रस्ट में, चाहे वह कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत हैं। जहां हमने देश के प्रधान मंत्री, पंजाब के गवर्नर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और सरकार द्वारा नामित तीन नामों को उसमें लिया। लेकिन ये जो तीन विसंगतियां रहीं, पहली विसंगति थी कि लीडर ऑफ अपोज़ीशन उसका सदस्य रहेगा। वर्ष 2014 में एक ऐसी स्थिति आई कि 10 प्रतिशत अंक भी कोई पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई और लीडर ऑफ अपोज़ीशन का जो पद था, उसकी विसंगति को दूर करने के लिए भारत

सरकार यह लाई है कि लीडर ऑफ अपोज़िशन के बजाय जो भी लार्जस्ट पार्टी हो, उसके नेता को यह जिम्मेदारी दी जाए।

13 00hrs

दूसरी विसंगति थी कि इन ट्रस्टियों का कार्यकाल पांच वर्ष तक के लिए था। मैं यहां नाम लेना नहीं चाहूंगा। अगर तीन ट्रस्टी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उस ट्रस्ट में किसी कारण से नहीं निभा पाए तो सरकार को यह हक नहीं था कि उनको बीच में से हटा सके। मैं इस बिल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सरकार को यह हक हो कि यदि कोई ट्रस्टी पांच वर्ष के अपने कार्यकाल को किसी कारण से पूरा नहीं कर पा रहा है, उसमें स्वास्थ्य और अन्य कोई भी कारण हो सकता है, तो सरकार को यह हक हो कि उसे कार्यकाल के बीच में भी हटाया जा सके।

तीसरी विसंगति थी कि किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष उस ट्रस्ट में राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं रहना चाहिए। हमने प्रधान मंत्री जी, गवर्नर और मुख्य मंत्री को यह जिम्मेदारी दी है तो फिर किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का रहना उचित नहीं है। इसलिए इस क्लॉज को हमने डिलीट किया है। हमने लीडर ऑफ ओपोजिशन को सम्मान देते हुए विपक्ष की लार्जस्ट पार्टी को, जो दस प्रतिशत संख्या भी प्राप्त नहीं कर पायी थी, उनके नेता को भी इसमें डालने के लिए अमेंडमेंट लाए हैं।

मैं समझता हूं कि राष्ट्र के हित में 13 अप्रैल, 2019 को बलिदान दिवस के रूप में भारत सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के सौ साल मनाएगी ताकि युवा पीढ़ी को यह ध्यान रहे कि हमारे देश के लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है। मैं माननीय सदन से अपील करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951, be taken into consideration.”

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Madam Speaker, we are all facing in two months' time the centenary of this absolute horror when, in cold blood, somewhere between 379 and 2,000 people were mowed down by General Dyer and his troops. It was a cold-blooded imposition of colonial will. This was not heat and dust, no one was using violence, and these were unarmed men, women and children. They were shot down. This was a great national tragedy and the fact is, it reflected a number of betrayals, the betrayal of the support given by India to the British during the First World War, the betrayal of the promises made of Dominion Status to our country, the betrayal also of the moral compact that binds those who rule and those who are ruled.

13 03 hrs

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

It was an act of wanton cruelty, it was a great tragedy in which innocent blood was spilled, and the fact is that at that time, I do want to stress, those British who were ruling the country tried to brush this sin under the carpet. They actually tried to exonerate General Dyer for his wrong-doing and when the House of Lords had actually passed a resolution supporting him, it actually took a British newspaper to conduct a campaign to raise money to reward him and he was given 26,000 pounds, which is almost an equivalent of a quarter of a million pounds today, with a bejewelled sword to honour him for killing Indians. So, there is no question in our minds that it was a national atrocity which made Indians out of many who had not seen themselves as Indians. Sir Rabindranath Tagore returned his knighthood in protest. It was a major national calamity.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I feel very sad that we are looking at politicisation by the Ruling Party of this great tragic event in our national history. This should have been a time when the House should stand up unanimously and demand an apology from the British on the centenary of this tragedy on 13th of April, 2019. That is what we should have been demanding and not taking petty action to remove the leader of the Indian National Congress from the Trust. Let me explain what the background of this was. It was the Congress that set up its own investigation because the British were trying to whitewash the crime. Jawaharlal Nehru personally went to Jallianwala Bagh, counted all the bullet holes, there was a detailed report given, and in that report, the Congress Party laid out the nature of this horrible cover-up the British were trying to do. It was the Congress Party, as the nationalist movement, that provided relief to the wounded, the dying, and the helpless people. In December, 1919, we had a Congress annual session in Amritsar presided by Pandit Motilal Nehru where it was decided that the Party should acquire the Jallianwala Bagh in order to build a National Memorial.

The British tried to block it. They tried to put other things in that site. But in fact, a resolution moved by Pandit Madan Mohan Malaviya, whom this Government has honoured with the Bharat Ratna was passed saying that the Congress Party should take over this site. It was passed on 27th December, 1919. Let me quote the words of Pandit Madan Mohan Malaviya. He said: "we have decided to raise the memorial not with any narrow motive, not to keep alive the dark deeds of General Dyer. We want it to be a memorial to the

Hindu-Muslim unity that had sprung out of the intermingling of Hindu and Muslim blood on that field of carnage.” It was said by Bharat Ratna Madan Mohan Malaviya. The Congress intended this monument to be a symbol of Hindu-Muslim unity in our country, something which sadly this present Government does not value.

A special committee of the Congress was appointed with leaders like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai and many others and they acquired the land. It was an extremely difficult process. The British even tried to set up a cloth market on the site in order to prevent the Congress from doing this. Mahatma Gandhi made an appeal to the nation to donate funds to the Congress for this purpose and as a result, can you imagine, in 1919-20, Rs. 10 lakh, which is like Rs. 10 crore today, was raised by the Congress for this purpose. Rs. 10 lakh in 1919 is an astonishing sum of money. Yet, it was mobilized by the party because of its faith in the values that we sought to memorialize.

A trust was established to oversee the development and maintenance of the memorial and by 1951, Jawaharlal Nehru was the last living member of that trust. That is why, the Congress decided to establish a statutory trust to oversee the site. It was Dr. Ambedkar, whom this Government pays lip service to, who actually moved the Resolution, the Bill in the Lok Sabha on the 21st April, 1951 to convert the Trust into a National Statutory Trust. In that Bill, he designated the President of the Indian National Congress as an ex-officio trustee. Why did he do that? It was because the Congress had bought the

land. The Congress Party had established the Trust; the Congress Party had roused the conscience of the nation on what had happened in Jallianwala Bagh. Therefore, because of the intimate connection between the Congress and the memorial, as Pandit Nehru himself said in the debate in Parliament that time, that is the only reason that the Congress Party President was placed as an ex-officio trustee.

For the BJP to have a Minister stand up here and demean this proud history of our nationalist movement by saying that it is merely the actions of a particular political party, to my mind, shows the mentality of those who are sitting in power today. We are facing a Government that does not respect the sacrifices of our heroes. Let me say, in fact that in 2003, the Parliamentary Standing Committee on Culture under the Chairmanship of senior CPI(M) leader Shri Nilotpal Basu, presented a report on this very subject to this very House and in that report he says : “the composition of the Jallianwala Bagh National Memorial Trust as prescribed in the parent Act was in order and the inclusion of the President of the Indian National Congress was in keeping with the contribution of the Indian National Congress to the freedom movement in general and the glorious struggle which led to the Jallianwala Bagh incident in particular.” This was the level of bipartisanship which existed in our politics.

Even our political opponents had the maturity to recognize the role played by the Congress Party in the freedom struggle. Today, this Government is trying to deny that history with this Bill by removing the Congress President from the Trust. ...(*Interruptions*). What a shame it is Mr. Deputy-Speaker?.

...(Interruptions) what is the heritage of those who want to deny our history?
...(Interruptions) the parent body of this party, the RSS, the Sangh Parivar have a shameless past in genuflecting before the British. ...(Interruptions). The man whose portrait they have hung in Parliament, Mr. Savarkar, wrote 11 letters of apologies to the British. ...(Interruptions). There are memos of the British Raj which said that the Sangh kept itself within the colonial law and refused to participate in the Quit India Movement. ...(Interruptions). Did you participate in the Quit India Movement? ...(Interruptions). You opposed even the Constitution of India and now you are trying to deny the role of our freedom struggle. You are betraying our nationalism. ...(Interruptions). Let me say to you, Mr. Deputy-Speaker, the Bill is worse than that it also gives the right to remove any trustee without assigning any reasons. Why is this Government fearing accountability? Why do they want to control a Trust? Why is it that they can change a nominated Trustee based on political reasons and pack this glorious Memorial of Hindu-Muslim unity with Hindutva ideologues and Government stooges?

You know, Sir, that they have packed people of certain ideology into the Nehru Memorial Library, into the Indian Centre of Cultural Research, in the Indian Council of Cultural Research.

In this situation, Mr. Deputy-Speaker, we have to say that this Government is betraying India. They may think that they are advancing the political interests of their party. They are betraying India. They are betraying the history of our country; and I must say that this is the same Government

under which the Sound & Light Show in the Memorial has been stopped because they have not been giving enough money. They have not given enough money to the Memorial.

How much money have you given to maintain this Memorial that now, you want to change the Trustees? Mr. Minister, you have to explain, please. Under the Kala Sanskriti Vikas Yojana, where you allot a lot of money to art, culture and other related activities, have you given one paisa for the Jallianwala Bagh Memorial? Having reduced this Budget, having cancelled the Light & Sound Show, the Son et lumiere (show) where people came from around the world to see, how can you claim to be defending the Jallianwala Bagh? In two months' time, it is a Centenary. This should be a time for national unity; we should all stand up, remembering the evil atrocities of the colonial empire. We should say, we fought for Freedom. We are Indians first; we are not BJP. There were no BJP blood spilt on the ground of the Jallianwala Bagh ...(*Interruptions*) It was Indian blood; and I want to say to you all. You are standing here re-inventing the past; you are mythologizing history; you are trying to erase lives; and I do want to say that you have not even put a single paisa into the Budget. ...(*Interruptions*) How can you plan a 100 Year Centenary when you have not even planned to memorialise such a major occasion.

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. Please conclude, now.

DR. SHASHI THAROOR : Hon. Deputy-Speaker, I would request the Government to please withdraw this Bill. Please repent that you ever had such

an unworthy thought. Do not expect the Members of this House, who believe in the unity of India, to stand for your divisive politics. You are trying to erase our history; you are trying to pack our institutions with Right Wing ideologues. You are neglecting the sites of our heritage. You are not getting money for the cause of our own history and our own memory. Do not demolish the secular fabric of our country.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Nishikant Dubey.

... (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR: Do not destroy the pluralism that is at the heart and soul of India. we will fight for the future of India ...(*Interruptions*)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। यह चोरी और सीनाजोरी का कितना बड़ा उदाहरण है, यह बात कांग्रेस पार्टी से पूरा देश समझ सकता है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती और जलियांवाला बाग कांड की 100वीं जयंती इस वर्ष 2019 में है। भारत सरकार स्वच्छता के माध्यम से महात्मा गांधी जी की भी जयंती मनाना चाह रही है और इस बिल के माध्यम से जो 100 वर्ष पहले जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इतना वीभत्स कांड हुआ था, इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो मुझे लगा कि जब महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने को मिलता था कि जब भारत आजाद हो गया, तो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि इस कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। आज जो इस तरह की तकरीर कांग्रेस पार्टी के नेता ने दी है, तो मुझे लगा कि महात्मा गांधी जी सही थे और उनकी बात को कांग्रेस पार्टी ने न मानकर बहुत भारी भूल की है।...(व्यवधान) आप यह समझिए कि आप अभी मदन मोहन मालवीय जी को क्वोट कर रहे थे। मैं अभी देख रहा था, जब पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट के पहले, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के समझौते के पहले, जब रिज़र्वेशन के ऊपर लड़ाई चल रही थी, तब मदन मोहन मालवीय जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ था। उसमें मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि आजादी का जो इतिहास है, वह इतिहास हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो शक्तियां हैं, वे शक्तियां भारत के विभाजन की तरफ बढ़ रही हैं और इसीलिए हमको रिज़र्वेशन देना चाहिए। अंबेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी के बीच में इस तरह की बात हुई थी।...(व्यवधान) आज आप समझिए कि इस तरह जिसने भारत का विभाजन किया।...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि पूना पैक्ट के पहले जो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, वह बात सही हुई कि इन लोगों ने हिन्दू और मुस्लिमान के नाम पर इस देश का बंटवारा कर दिया और उस बंटवारे की जो ताकत है, वह आज इस तरह के मॉन्यूमेंट को छीनने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह कल्पना कर सकते हैं कि 'बाप-बेटा पंच और वर्धा का नाम दस आना'...(व्यवधान) हमारे यहां एक कहावत है कि यदि बाप और बेटा पंच हों, आप यह समझ

सकते हैं कि यह जो जलियांवाला बाग है...(व्यवधान) आप यदि मानना चाहते हैं, अभी आरएसएस के बारे में कहा है। आपके जो वक्ता हमेशा बोलते हैं, मुझे लगता है कि उनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। वह केवल अच्छी अंग्रेजी बोल देते हैं और चले जाते हैं।

जो डा. हेडगेवार थे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी, क्या आपको पता है कि वह कांग्रेस के सदस्य थे? क्या आपको पता है कि कांग्रेस सेवा दल बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था? आप लोग बार-बार आरएसएस को जो गाली देते हो, क्या आपको हेडगेवार के इतिहास के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि जब चाइना के साथ भारत की लड़ाई हुई तो 1963-1964 एक ऐसा साल था, जब उस वक्त के प्रधान मंत्री, श्री जवाहर लाल नेहरू ने इंडिया गेट पर 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को भाग लेने के लिए बुलाया था? क्या आपको पता है? आप लोगों को इतिहास का कुछ नहीं पता है। आपको एक फैमिली को प्रोटैक्ट करना है। गांधी फैमिली आपके लिए काबा है, काशी है, मक्का है, मदीना है और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं।

महोदय, भारत सरकार यह जो बिल लेकर आई है, यह बहुत अच्छा बिल है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी जिसका अस्तित्व नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी जिसका लीडर ऑफ अपोजीशन नहीं माना गया। आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या सारे इंस्टीट्यूशंस को हम अपने कैमरे में कैद कर लेंगे? क्या हम उन्हें अपना बंधक बना लेंगे? सारा कुछ राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, जवाहर लाल नेहरू के नाम से, मोती लाल नेहरू के नाम से, सोनिया जी के नाम से या राहुल जी के नाम से - यह देश इसी गुलामी की मानसिकता के लिए स्वतंत्र हुआ है? केवल एक पार्टी का ही आदमी अध्यक्ष होगा, एक ही परिवार का आदमी अध्यक्ष होगा। आप यह बता दीजिए कि इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद अब प्रियंका जी और हो सकता है कि उनका बेटा भी अध्यक्ष हो जाए। एक पार्टी का आदमी अध्यक्ष होकर इस ट्रस्ट पर ट्रस्टी होना चाहता है। इसीलिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा बिल लेकर आए हैं।

आप देश को यह बतलाने और जतलाने आए हैं कि कांग्रेस ने किस तरह से सारी संस्थाओं का नुकसान किया, नाश किया। इस कारण से अब इसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी होंगे, जिसमें सेक्रेटरी (कल्चर), चीफ मिनिस्टर, गवर्नर इसके मैम्बर होंगे। तीन ऐसे नोमिनेटिड मैम्बर होंगे, जिन्हें केन्द्र सरकार नॉमिनेट करेगी। वे एमिनेंट होंगे, जिनको जलियांवाला बाग कांड के प्रति इमोशन हो। जो मरे होंगे, उनमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, आर.एस.एस. के लोग भी मरे, जनसंघ के लोग भी मरे। सिखों ने वहां इतना बड़ा बलिदान दिया है।

मैं आपको बताऊं कि आपके कारण उस वक्त दो ऐसे राज्य थे, जो आजादी के मूवमेंट में सबसे ज्यादा योगदान कर रहे थे। उसमें एक बंगाल था, जिसका आपने ईस्ट बंगाल और वैस्ट बंगाल के नाम पर बंटवारा कर दिया। आज वह देश बंट गया -एक बंगलादेश हो गया और हम लोग हिंदुस्तान में रह गए। उसी तरह पंजाबियों के साथ आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। उस वक्त आपने इस चीज को माना और इस कारण से पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान बन गया।

यदि आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि रावी तट पर लाहौर में जो रिजॉल्यूशन हुआ था, उस रिजॉल्यूशन में यह कहा गया था कि हम जलियांवाला बाग के प्रति नॉन-पार्टिजन अपना विषय रखेंगे। आपने करो या मरो का नारा दिया था, आजादी का नारा दिया था। आप कम से कम उस नारे को याद रखिए।

मैं कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार जो बिल लेकर आई है, उसका समर्थन करिए, अपनी पार्टी के अध्यक्ष को निकाल बाहर करिए और देश का कल्याण करिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारता।

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): Deputy Speaker, Sir, I rise today to speak as a historian and a humble, ordinary citizen of India. We have to rise above party in order to honour the martyrs of Jallianwala Bagh. The innocent men, women and children were gunned down in Amritsar nearly a hundred years ago on 13th April 1919. It was, of course, General Reginald Dyer's orders that were obeyed by the soldiers who had their fingers on the triggers. But there was also a British Governor, Michael O'Dwyer, who was holding festivities in Lahore in preparation for his departure from India. Curfew was imposed; crawling orders were given. There was a place in Gujranwala that was strafed from the air. What we need to remember today is that the blood of Hindus, Muslims and Sikhs mingled in the earth of Jallianwala Bagh, is the unity of all religious communities that we must strive for today.

Who were the leaders of the Punjab leading the movement, the satyagraha, in 1919? On the one hand, there was Dr. Satyapal and on the other hand, there was Dr. Saifuddin Kitchlew. The Committee that had been established by the Indian National Congress was chaired by none other than Madan Mohan Malviya and the Committee included Motilal Nehru and Mahatma Gandhi. We know that our great poet Rabindranath Tagore renounced his knighthood when he heard of this awful tragedy. He did not wish to wear any badge of honour that had been given by the satanic Government, the British Government of 1919. The Satyagraha that was being conducted was a campaign against a lawless law, the Rowlatt Act which would have enabled the British to hold Indians in prison without charge and without

trial in peace time. They were trying to have the wartime ordinances turned into a peace time legislation. The people of India resisted and the Amritsar Massacre marked the final psychological alienation between the British colonizers and the Indian people who had been colonized.

I would also like to add that there was an aftermath of the great Amritsar tragedy. Our revolutionaries like Bhagat Singh and Udham Singh were the products of the tragedy that took place on the 13th April, 1919. Ten years after 1919, Bhagat Singh and his comrades were in Lahore jail and there was a hunger strike, a hunger strike by political prisoners. The British tried in the Central Legislative Assembly here to pass another lawless law. They tried to say that these prisoners would be tried in absentia because they could not be brought to court. Our great nationalist leaders of that time opposed that move resolutely. And again as someone from Bengal, I would like to mention that of the hunger striking prisoners, Jatin Das died after two months of being on fast, after 64 days as Prof. Saugata Roy has been saying.

Now, when the body of Jatin Das was brought from Lahore to Kolkata, it was none other than Subhas Chandra Bose who presided over the funeral and he came back to his home with the *asthi* of Jatin Das and asked his sister-in-law Bivabati to preserve these immortal remains of our great revolutionary with care.

Finally, I would also like to mention another historical fact. In 1943, Netaji Subhas Chandra Bose travelled by submarine from Europe to Asia. He started his journey on the 9th February and he knew that he would be on

submarine for nearly three months. Therefore, he had left a recorded broadcast that went on the air on the 13th April, 1943 in order to pay tribute to the martyrs of Amritsar.

So, I would appeal to this Government that please do not bring a divisive Bill on this particular issue. Let us all join together and unitedly honour the memory of those who fell a hundred years ago on the 13th April, 1919. Let us leave all party bickering behind us. Let us all together say that we will strive for the unity of all religious communities of India and let us bow our heads in memory of the martyrs of Amritsar. Jai Hind.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy Speaker, Sir, some years ago I had visited the Golden Temple, and my children were also very much interested to pay a visit to that soil, to that place, Jallianwala Bagh. I had read about it since I was in my primary school. There was a chapter.

In Odisha, cutting across party lines, we still celebrate from 6th of April to 13th of April, those 8 days, as 'National Week'. This is something which is being observed for more than 100 years. Whatever programmes, agitations that were conducted during the colonial period by the Congress Party, invariably, these eight days covered them. Be it the Dandi Yatra, subsequently, be it the Resolution that was passed in Wardha to go in for 'Quit India Movement'-- all this was done during these eight days, which is termed as a 'National Week'.

I am just narrating the impression which my children had when they visited Jallianwala Bagh. Is this the passage through which General Dyer guided the army into this field, into this *maidan*? Was there not any other way to run out? When a large number of people had gathered here, how many of them could have climbed those walls? How many of them got drowned in that well? How many of them could have saved themselves? There was a small mosque where the Islamists or the Mohammadans used to pray. It was all inside that *maidan*. It is still there in the *maidan*. It is still today in a very shabby shape. A museum has been put forth by the so-called Trust. The photographs have already become very yellow. I had asked my children also to read through because they were there in the sacred soil. It was not displayed in a

very proper manner. The day when it was actually displayed, it might have been very great. But it is not being looked after as it should have been.

As Sugata Babu mentioned about two individuals, Dr. Satyapal and Dr. Saifuddin Kitchlew were there. Dr. Satyapal, in today's age, will say he is a Hindu. Saifuddin Kitchlew was a Kashmiri. Being a medicine practitioner, he was more famous in Amritsar. It was not 13th of April alone. It was on 6th of April, Gandhi Ji had declared that we would non-cooperate with the British Government.

I was waiting for this Bill to come up with bated breath because yesterday, when I suggested this, when the House was going to rise, I heard from one of my colleagues that this Bill is something which needs to be opposed.

I am really thankful to the Government and also to the Minister that they have brought this Bill and this House is discussing it today. There is nothing to debate on this Bill except one.

Before coming to that, I would say that on the 6th of April Gandhi ji was travelling from Bombay to reach Amritsar by a train. He was not allowed to enter the Punjab Province. He was arrested just before the train was supposed to cross Punjab border and was brought to Delhi. This information could not reach Amritsar, which had already declared that on 6th of April they would be observing a grand meeting in the presence of Mahatma Gandhi. On that day when Mr. Satya Pal and Dr. Kitchlew was addressing the gathering, Martial Law was imposed.

Subsequently, on 7th morning, curfew was imposed. I was trying to find out which was that street where some boys might have thrown some stones on the British Forces and there the Lieutenant Governor had declared, whoever would be crossing that street, had to prostrate and go crawling. For more than eight days people were not allowed to come out from their houses and the sanitation aspect was the casualty. There were ladies who were supposed to be taken to the hospital for deliveries. There were a large number of people who were suffering.

One can read the amount of suffering from a book written by Kishwar Desai – The True Story of Jallianwala Bagh, which has very recently been published.

Sugata *babu* has also very rightly mentioned about Gujranwala. There was also another place where Non-Cooperation Movement was in full swing, where aeroplanes were used and machine guns were used to terrify the people and they were butchered. This was a place where a large number of people perished.

I have read it from the documents that boys who were hardly seven years old or 11 years old were killed and limbs were amputated. For more than one month or so after the 13th April massacre, not a single body was allowed to be taken out to be cremated. Be it a Muslim, a Hindu or a Sikh. Requests were made before the Government in Lahore. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please try to conclude your speech. There are many Members to speak. This is the last day.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I understand it.

But that is the reason why Gandhi ji came out saying that violence is evil and he termed the British Government as *Shaitani Sarkar*. He went round the country saying 'इस सरकार को हटाना है, यह शैतानी सरकार है'।

We should also remember those leaders who raised it in the British Parliament. A report was manufactured sitting in Lahore as to what had actually happened and how the people were at fault by disobeying the Martial Law.

It was after six months that Gandhi ji who was part of that Fact-Finding Committee visited that place and met a large number of people in and around Lahore and Amritsar. A document was placed before the nation and that is why the figures vary whether they were 276 people who laid down their lives in Jallianwala Bagh or more than 3000 people who were killed. Many of them who were killed were not identified. They had come to pay their obeisance to the Golden Temple because of Baisakhi.

That is why, a large number of people from rural area had congregated there because that is the open space nearest to the Golden Temple. This is the manner in which a satanic Government played with the blood of Indians.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I would say here that the onus was on the then Congress Party, subsequently the first Government which came into being after Independence, to form a memorial and, quite rightly so, Dr. Ambedkar moved that resolution as the Law Minister, but as per what little I understand about civil law, when the trustees pass away without bequeathing the property

to subsequent trustees, that property becomes an escheat property because ultimately the escheat property will be vesting with the Government. Here, during that period, as many lawyers were part of the struggle for independence, they said that make it the property of the Congress or form a society where Congress leaders would be heading that property or society. That is the way in which in 1951, a memorial trust was created.

Now, amendments have come and I fully endorse the amendments that are there with the Prime Minister as the head of the trust, but I have one objection and that objection is to the proviso to clause 5 which says “before the expiry of the period of five years, by the Central Government, without assigning any reason”. You are having a trust which is headed by the Prime Minister and you give power to the Government to remove the trust or the trustees without assigning any reason. This actually is something by which you are belittling the office of the Prime Minister. This is not required.

You have added the Leader of the Opposition or the leader of the largest party in opposition in the Trust and that is a welcome step which was not comprehended when the Lokpal Bill was being moved in this House. Why should we have this proviso today? The Prime Minister is Prime Minister. When he is heading one of the national monuments today, why should you give power to the bureaucracy or to the Government that the Trustees nominated under clause (f), Section 1 of the 4, may be terminated before the expiry of the period of five years. This clearly says that those Trustees,

meaning the “eminent persons” which you have mentioned, can be removed without assigning any cause or reason. It is not natural justice.

I think, as we will be in the midst of election campaign during that period – I am not aware when the first date of election will be, but probably it will be between 6th and 13th of April – we all will miss celebrating that national week from 6th to 13th of April in a grand way, but I think, there will be larger number of people who will be observing this national week from 6th to 13th of April. I would just conclude my speech here.

The massacre of Jallianwala Bagh reverberated in Odisha. Utkalamani Gopabandhu Das got the nationalist fervour to Odisha as Bhagirath brought Ganga to Bharat. That is how the nationalist fervour came to Odisha. He dedicated his whole institution to the cause of Lala Lajpath Rai to the Servants of People Society. In everyway, this Jallaianwala Bagh had an impact on everybody’s mind.

Even today, when I look at my son and daughter, when I discuss about Jallianwala Bagh, tears swell into their eyes. What type of sacrifice these people have made? What would have happened to the mother and to the father who lost their 11 year old child? What happened to a seven year old boy whose arm was amputated because he had a bullet injury in his hand, and those amputations were done in a very crude way inside their house. Those who were injured could not be taken to the hospital for treatment. That was the pathetic situation which Punjab went through.

This whole nation bows its head in memory of those martyrs. While moving this Bill, I would request the Minister to build this National Memorial in a grand way.

13 42hrs

**MESSAGES FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA ***

SECRETARY GENERAL: Hon. Deputy Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

that Rajya Sabha:-

- (i) "I am directed to inform the Lok Sabha that the Personal Laws (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 7th January, 2019, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th February, 2019, with the following amendment:-

ENACTING FORMULA

That at page 1, line 1, for the word "Sixty-ninth", the word "Seventieth" be substituted,

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendment be communicated to this House.'

- (ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2019 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 13th February, 2019."

* Laid on the Table

2. Sir, I lay on the Table the Personal Laws (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha and returned by Rajya Sabha with amendment and the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha on the 13th February, 2019.

13 43hrs**JALLIANWALA BAGH NATIONAL MEMORIAL (AMENDMENT)
BILL, 2018 – Contd.**

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Thank you, Sir, we all just heard very emotional words by my colleague Shri Mahtab. I think as we rise over here to discuss the amendment on the massacre of the Jallianwala Bagh, being a Punjabi and a Sikh, I do think any Sikh should be welcoming it with more open arms than what is being done by my community and my Party today.

Intellectual people including from various parties said a lot of things but I would like to say over here that 13th of April is the founding day of Khalsa Panth of my *quam*, of my community. 13 अप्रैल सिख कौम के खालसा पंथ का सिर्जना दिवस है. They have gathered over there because of 13th April. Baisakhi is a day when our religion came into existence; it is the day our great Guru Gobind Singh, our father, made the Sikhs into an identity. It is on this historic day on the 13th of April that members of the Sikh community had congregated over here, before going and after going to pay obeisance at the Gurudwara, the Golden Temple. So, you can imagine that a large number of people belong to my community.

Today, it is being discussed by everybody. I totally appreciate that. But if anybody's views to be taken, it should be ours because while I totally agree - शहिदों का बलिदान एक देश की अमानत होती है। The sacrifices of the martyrs belong to the nation. It is as much as Mahtab *ji's* as it is Mr. Tharoor's, as it is of each

one of us. I totally agree to that. But when the massacre involves large number of people from my community, Sir, then, definitely the sensitivities of this community must be taken in.

I do not call it a celebration. First of all, I will object to the words 'celebrating 100 years' of Jallianwala Bagh. This is a massacre or bloodshed. It is the day to remember those sacrifices of those people, and not to celebrate them. Just commemorate it but definitely don't call it a celebration. Sir, while I appreciate the Government in 1919 and whoever came in power after that, as I am told that at that time, there was one major party in the country, decided in 1951 to take over and to build this into a memorial. I very much appreciate it. But, Sir, you cannot forget what all happened after that, what that party did and the President of the Congress Party did to my community. Who is going to forget that the same Congress Party went to the Golden Temple, attacked innocents who were praying on the Gurburab, on the Birthday of their Guru, attacked those, killed and massacred thousands of innocents just like General Dyer did?...(*Interruptions*) Who is going to forget that this same Congress Party, headed by the same family again, sent tanks into the Golden Temple and attacked our Akal Takht?...(*Interruptions*). In 1984, if the Congress Party did all this, I think it overrules what they did in 1919...(*Interruptions*)

सर, हमसे पूछिए, अगर इनको चेयरमैन बनाना है तो 1984 मैसेकर का चेयरमैन क्यों नहीं बनाते? शर्म आनी चाहिए। आप खड़े होकर बोलिए। ...(*व्यवधान*) बोलिए मुझे कि 1984 के कत्लेआम में कांग्रेस का हाथ नहीं था। ...(*व्यवधान*) क्या 1984 में अकाल तख्त साहिब के ऊपर अटैक नहीं हुआ? ...(*व्यवधान*) क्या 1984 में इनोसेंट्स को मारकर उधर बन्द नहीं किया गया?

क्या दरबार साहिब में हमारा सरोवर इनोसेंट्स के खून से लाल नहीं हो गया था? ...(व्यवधान)
आप कहते हैं कि आप इन लोगों को अध्यक्ष बनाएंगे जलियांवाला बाग का? ...(व्यवधान) शर्म
करिए, क्या जवाब देंगे आप वापस जाकर? क्या जवाब देंगे? अध्यक्ष बनाना है तो 1984 के
कत्लेआम का अध्यक्ष बनाइए। ...(व्यवधान)

Sir, it is shameful today and I am surprised to see how anyone can even
oppose this...(Interruptions). How can anyone oppose this! Who is the
Congress Party?...(Interruptions)

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Sir, I want to give Point of
Order....(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: What is the Point of Order? Under what Rule is it
the Point of Order?

... (Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Yes, please give the Point of
Order....(Interruptions) Under which Rule are you giving Point of Order?

DR. FAROOQ ABDULLAH : I want you to hear this...(Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Why should I hear
you?...(Interruptions)

DR. FAROOQ ABDULLAH: I do not object to your speech but please hear me.
...(Interruptions) One minute? Who was Bhindranwale? ...(Interruptions)

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, you are welcome to speak but I
am not interested in hearing you. ...(Interruptions) You can speak after me.
...(Interruptions) I will not hear you. ...(Interruptions) You are not a Sikh. I am
talking about the sentiments of my Community....(Interruptions) Sir, he is

welcome to speak after me. I am not yielding....(*Interruptions*) I am talking about Jallianwala Bagh, 13th April, on the day of Baisakhi when General Dyer, if we can condemn him, then we must condemn the Congress Party which behaved not less than General Dyer in 1984 on the 1st, 2nd and 3rd November in Delhi and in June 1984, in Amritsar....(*Interruptions*)

Sir, I totally congratulate this Government. I welcome this Government for eventually removing the name of the Congress Party from anything which has anything do with the Sikhs....(*Interruptions*) Sir, the Jallianwala Bagh belongs to the nation, it does not belong to the Congress Party, it does not belong to the Gandhi family. If anything belongs to the Gandhi family and the Congress Party, it is the massacre of thousands of innocents. If anything belongs to them, that is their own men who become the Chairmen of that Committee which is to look into what all the Congressmen had to do with 1984.

आज सज्जन कुमार जेल में क्यों है, बताइए? सज्जन कुमार जेल में क्यों है? जवाब दीजिए। ...(*व्यवधान*) मैं कांग्रेस के लोगों से पूछती हूँ कि सज्जन कुमार कांग्रेसी है या नहीं? सज्जन कुमार जेल में क्यों है? बोलिए, शर्म करिए। ...(*व्यवधान*) Sir, today, the court has said it and the Congressmen are in jail for the massacre of the Sikhs और ये कह रहे हैं कि जनरल डायर खराब था।...(*व्यवधान*) ये जनरल डायर से कैसे अलग हैं? ...(*व्यवधान*)

I totally welcome this Amendment and it is something which should have been done fifty years ago. I congratulate the hon. Prime Minister, I congratulate the hon. Minister for having brought in this Amendment. बैशाखी के दिन वहां पर सिख मरे हैं, ...(*व्यवधान*) मारने वालों को तो कन्डेम कर रहे हैं, ...(*व्यवधान*) लेकिन उसके बाद ...(*व्यवधान*) a lot of water has flown since 1919 and the Congress has

done a lot more than what they did in 1919. So, they are paying for their sins in jail today. I hope others would also go to jail. Definitely, this Congress Party should not be a committee of something where the Sikhs are concerned because they went to all extent to ensure that the Sikhs are wiped out. First, they attacked the Golden Temple, then they kept thousands of innocents inside the Golden Temple and then they massacred them in Delhi.

And their Prime Minister said that when a big tree falls, the earth shakes. So, kill the Sikhs? ...*(Interruptions)* Today they are in jail for that. Sir, they are rewarding them even today. Today one of the accused people of the 1984 Sikh massacre has been made a Chief Minister by them. What can be more shameful? ...*(Interruptions)* There are eyewitnesses to his encouraging people to go and massacre Sikhs. They are rewarding him. You want people who reward the massacre of Sikhs to be made Chairmen of Jallianwala Bagh Memorial? ...*(Interruptions)* Sir, Shaheed Bhagat Singh, Shaheed Udham Singh, Shaheed Sukhdev, these are the people who had fire of revenge in their hearts. Their sacrifices belong to each and every one of us. They do not belong to the Congress Party. ...*(Interruptions)* Sir, I thoroughly welcome this amendment and hope the House passes it unanimously. ...*(Interruptions)*

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, जालियांवाला बाग स्मारक समिति के न्यास के जो नियम हैं, उनमें कुछ बदलाव लाने के लिए यह बिल लाया गया है...(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए...(व्यवधान) पहली बात यह बुरी लग रही है...(व्यवधान) मैं मैडम के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन हम बिल क्या लाए हैं और एक-दूसरे पर राजनैतिक आरोप लगाने का यह कोई समय नहीं है, क्योंकि जालियांवाला बाग में जो मौसेकर हुआ, उस वक्त हजारों लोग मारे गए, उनके लिए आदर और श्रद्धा अर्पित करने के लिए है...(व्यवधान) यह कोई सेलेब्रेशन नहीं है...(व्यवधान) माननीय थरूर जी जो बात कर रहे थे तो वह कांग्रेस कौन-सी थी? उन्होंने जो कहा है कि मालवीय जी ने यह कहा है, वह कांग्रेस अलग थी। आप उसकी शकलें लिए हुए हैं। आप तो ए टू जेड कांग्रेस हो, आप तो कांग्रेस(आई) वाले हो। आप वह कांग्रेस की बात नहीं करिए क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष वहां रहना चाहिए। वह कांग्रेस अलग थी। वह देश के लिए लड़ रही थी। वह देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984 में जो हुआ, जब यहां सिखों पर हमले हो रहे थे, उस वक्त मुंबई में हमारे वंदनीय बाला साहेब ने कहा था कि सिखों के बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए। महाराष्ट्र और मुंबई में सिखों के बाल को भी धक्का नहीं लगने दिया, शिव सेना ने नहीं लगने दिया, यह भी याद रखिए। हम मेनस्ट्रीम में हैं। हमारी बहन जो है, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ।
...(व्यवधान)

परसों वहां लाइट एंड साउंड शो बंद हुआ है। आप जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन राजनीति न हो। किसी को भी हटा देने का जो कानून लाए हैं, वह सही नहीं लगता है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude.

...(व्यवधान)

श्री राजन विचारे (ठाणे): उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलने दें क्या चल रहा है?...(व्यवधान) अभी उनको बोलने दिया।

श्री अरविंद सावंत: यह क्या चल रहा है? क्या आप हमें बोलने नहीं देंगे? हम अच्छा बोल रहे थे। क्या हमें बोलने नहीं देंगे? हम बर्दाश्त करते हैं, इसका मतलब यह हो गया? ... (व्यवधान)

श्री राजन विचारे: हर टाइम उनको बोलने देते हैं, इनको क्यों नहीं बोलने देते हैं... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : हम बर्दाश्त करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है। उनके लिए भी समय की पाबंदी होनी चाहिए, केवल हमारे लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा बोलने वाला भी नहीं था।

कल तय हुआ था कि यह बिल बिना चर्चा के पास किया जाएगा। आज क्या हुआ कि इतिहास बताया जा रहा था। हम इतिहास सुन रहे थे। हमें अच्छा लगा कि हमें कुछ अच्छी चीजें मालूम पड़ रही हैं। दोनों सदस्यों ने जो इतिहास बताया है, हमको इतनी जानकारी थी कि तुम्हारी वह कांग्रेस अभी वह कांग्रेस नहीं है।

अब अमेंडमेंट की बात है। जालियांवाला बाग के बारे में उन्होंने एक अच्छी बात कही है यह किसी धर्म, मजहब और किसी प्रांत का नहीं है, यह सारे देश का दर्द है। उस जालियांवाला बाग के स्मारक समिति, ट्रस्टी के बारे में जो अमेंडमेंट लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि उसको राजनैतिक नहीं बनाएं, उसको देश का स्मारक बनाएं। वे देश के लिए समर्पित हुए लोग हैं। उन्होंने बैशाखी की बात की, वे लोग उस बैशाखी में मारे गए। उनके प्रति हमारी भावना अलग से होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मैं फिर दोबारा इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री एम. बी. राजेश (पालक्काड): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केरल से चुन कर आया हूँ, लेकिन मेरा जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ था। इसलिए मैं भावनात्मक तौर पर पंजाब से भी जुड़ा हुआ हूँ।

Deputy Speaker, Sir, a couple of months ago, I took my family to Jallianwala Bagh because I wanted my school going daughters to learn the sacrifices made by our great martyrs in Jallianwala Bagh. I was shocked to see that the light and sound show was cancelled due to lack of funds. The staff told me that we have no money and we have stopped light and sound show. I have written a letter on 6th February to the hon. Prime Minister who is the Chairman of the National Trust but I have received no reply. Then, I tried to raise this in the House time and again. Yesterday, I got an opportunity and I raised this issue.

I am thankful to Mahtab-ji, Saugata Roy-ji and Arvind Sawant-ji. All of them joined with me in demanding the release of funds except BJP MPs. I do not know what is their problem with Jallianwala Bagh.

Deputy Speaker, Sir, what is the true lesson of this sacrifice of thousands of our martyrs in Jallianwala Bagh? The true lesson is – anti-imperialism, the secular unity of the people of our country and protection of democratic values. Deputy Speaker, Sir, these are the core values which form the idea of India and which is still relevant to the idea of India.

Deputy Speaker, Sir, this inspired people like Bhagat Singh and Udham Singh. Udham Singh kept this revenge for two decades and he went to London and he avenged the Jallianwala Bagh massacre on General Dyer. When he was produced before the court, the judge asked: “What is your name?”.

Udham Singh replied: "My name is Ram Mohammad Singh." That was the spirit of Jallianwala Bagh massacre. That was the spirit of martyrdom because the blood of Hindus, Muslims, Sikhs and all was spilled on the soil of Jallianwala Bagh. Deputy Speaker, Sir, that is the true lesson of Jallianwala Bagh.

Rabindranath Tagore returned his knighthood in protest against that massacre, like our great intellectuals and artists had done *ghar wapsi*, like Bhupen Hazarika's family refused to accept Bharat Ratna.

Sir, I will not take much time. I rise to demand that the House should adopt a unanimous resolution seeking an apology from the British for this massacre. Sir, I oppose this Bill. This is very important. I oppose this Bill because this is an attempt to distort and change history. This Government and the party which is leading the Government has mastered the trick of stealing the history; it has mastered the trick of changing the history because they have no role in the freedom struggle. Whatever role they had is the role of betraying the freedom struggle. So, that is why they are trying to steal the history of our freedom struggle.

Sir, I am concluding. They have privatised; they have outsourced the upkeep of many historical sites. Red Fort was given to a business group. The famous INA trial was held in Red Fort. The slogan which was raised by millions of people in the streets – "Laal Qille se aayi aawaz Shah Nawaz Dhillon Sahgal." That was the slogan which inspired millions of people in the late 40s in our freedom struggle.

Deputy Speaker, Sir, through you, I would like to request this Government that please do not play petty politics over the martyrdom, over the sacrifice of thousands of our freedom fighters in Jallianwala Bagh. Please, withdraw this Bill and ensure that sufficient funds are made available for the upkeep of Jallianwala Bagh national memorial.

HON. DEPUTY SPEAKER: Prem Singh Chandumajra-ji, you have five minutes.

14 00 hrs

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दस मिनट बोलूँगा। हमारी जितनी कुर्बानियाँ हैं, उतना ध्यान रखिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please, speak very briefly.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह छोटा-सा बिल है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह देर आये, दुरुस्त आये वाली बात है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वह यह बिल लेकर आयी है। मैं समझता हूँ कि आज़ादी के संग्राम में कोई सबसे बड़ा खूनी साका हुआ है, तो वह जलियावाला बाग का हुआ है। एक हज़ार से भी ज्यादा निहत्थे, निर्दोष लोग एक ही जगह मारे गये। वह वैशाखी का दिन, खालसा पंथ का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल-दरबार साहिब गये थे और उन निहत्थे लोगों को मार डाला।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल आया, हमारे मित्र शशि थरूर जी कह रहे थे कि जवाहर लाल नेहरू जी ने वहाँ गोलियों के निशान गिनकर दिखाये। बाद में उनको तो ट्रस्ट का प्रेसीडेंट बना दिया गया, लेकिन जिनके बच्चे मारे गये, जिनके परिवार मारे गये और जिन्होंने बदला लिया, इंग्लैंड जाकर, उस अंग्रेज के घर जाकर Dyer को गोली मारी और शहीद उधम सिंह जी ने बदला लिया। क्या उनके परिवार में से किसी को कभी ट्रस्टी बनाया? कभी सोचा कि उनके परिवार में से, उनकी विरासत में से किसी को ट्रस्टी बनाया जाए? क्या लाशों पर कुर्सियाँ रखनी हैं? क्या शमसान घाट पर प्रधानगी करनी है? यह कांग्रेस की विरासत है।

मैं मंत्री जी से परेशान हूँ, मुझे आश्चर्य है कि इन्होंने नाम ही नहीं लिया कि वह किस पार्टी का प्रेसीडेंट था। सब जानते हैं कि जिस पार्टी ने ट्रस्ट की प्रधानगी की, वह एक नेशनल मोन्थूमेंट था, उसके लिए क्या किया है?

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभारी हूँ, इस ट्रस्ट ने रूल बना दिया, जिससे वहाँ शहीद उधम सिंह जी का स्टैच्यू नहीं लाने दिया गया। हमने यहाँ आवाज़

उठाई। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी ने सारे रूल-उसूल पीछे करके 70 वर्षों के बाद जलियावाला बाग के गेट पर शहीद उधम सिंह जी का स्टैच्यू लगाया।

मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूँ। जहाँ यह बिल आया है, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक रेजोल्यूशन लाया जाए, मैं सभी पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूँ, सरकार की ओर से एक रेजोल्यूशन आना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार को इस खूनी साके पर माफी माँगनी चाहिए। खूनी साके पर माफी माँगवाने के लिए प्रिवेल करना चाहिए क्योंकि कामागाटामारू के जहाज को कनाडा वालों ने वापस कर दिया था। बंगाल में बज़-बज़ घाट पर लाकर उनको मार डाला। इस पर कनाडा वालों ने माफी माँगी, तो ब्रितानिया सरकार क्यों नहीं माफी माँग सकती है? हमें इस बात को यूज करना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि इस देश में राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और अन्य किसी-किसी को भारत रत्न दिये जाते हैं, यदि सही मायने में भारत रत्न का कोई हकदार है, तो वे शहीद उधम सिंह हैं और शहीद भगत सिंह हैं। शहीद भगत सिंह ने जलियावाला बाग के खूनी साके में प्रभावित होकर जो कानून बनाया था, वे यहाँ आकर, वहाँ कुर्सियों पर बैठकर बम फेंका और मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी यादगार मनाने के लिए शहीद उधम सिंह और शहीद भगत सिंह को भारत रत्न देना चाहिए।

हम जो सौवाँ वर्ष मनाने जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम दिखाया जाता था, उसे बंद कर दिया गया, वह दुबारा चालू होना चाहिए। हमारा जो इतिहास है, उसे हमारी पाठ्य-पुस्तकों में पढ़ाया जाना चाहिए। श्री महताब जी ने उसे पाठ्य-पुस्तकों में पढ़ा। यह दुखदायी है कि हमें औरंगजेब, बाबर, हुमायूँ की बात तो पढ़ायी जाती है, लेकिन खैबर दर्रे के रास्ते को रोकने वाले सरदार हरिसिंह नलवा और श्याम सिंह अटारी जैसे जनरलों, उस रास्ते से अफगानिस्तान से लोग आते थे, जो हिंदुस्तान की बहू-बेटियों की इज्जत लूट लेते थे, मंदिरों का सोना लूट लेते थे, उनका रास्ता जिन जनरलों ने रोका, उनके नाम भी पुस्तकों में नहीं पढ़ाये जाते हैं।

आज जब हम ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, यह कोई नेशनल हेड मैगजीन का ट्रस्ट नहीं है, यह नेशनल मॉन्यूमेंट है। इसमें राष्ट्रियता की भावना होनी चाहिए। इसमें किसी एक परिवार की सरदारी, जो 70 वर्षों से चल रही थी, उसे इस सरकार ने खत्म किया। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और उन शहीदों को सत्कार देना चाहता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक सहमति जताई कि देश की आजादी के आंदोलन में जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सबकी यह राय थी कि पार्टी लाइन और धर्म-जाति-बिरादरी से ऊपर उठकर जिन्होंने शहादत दी, वे इस देश के लोग थे, इस महान् भारत के लोग थे। हम उनकी शहादत को आने वाली युवा पीढ़ियों को बताते रहें। हम उनकी शहादत को आने वाली युवा पीढ़ियों को आगे बताते रहें। इसलिए 100 सालों के पूरा होने का जो समय 13 अप्रैल को आ रहा है, उस दिन के जलियांवाला बाग का विषय थरूर साहब ने उठाया। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि तीन विषय सामने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों में आपत्ति कहां पर है? क्या पांच सालों से पहले -भर्तृहरिजी, मैं आपका विषय भी क्लियर कर दूँ - जो तीन नामित सदस्य हैं, सिर्फ उन्हीं को हटाने की बात है। सरकार द्वारा जो तीन सदस्य नामित किए जाते हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। श्री वीरेन्द्र कटारिया जी, श्रीमती अंबिका सोनी जी और श्री एच. एस. हंसपाल जी - ये तत्कालीन सरकार द्वारा नामित लोग थे। उस ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री मुखर्जी जी अपॉइंट किए गए थे। हमारी सरकार ने उस सरकार का सम्मान करते हुए - 26 मई को उनकी टर्म पूरी हुई - हमने एक दिन पहले भी उन्हें नहीं हटाया। हमने 26 मई की तारीख का इंतज़ार किया। ये लोग होते तो शायद पता नहीं क्या करते। हमने 26 मई का इंतज़ार किया। हम लगातार हरसिमरत जी, चन्दूमाजरा जी और सब के संपर्क में थे। हमने कहा कि नहीं, उन्होंने गलत किया है। हमें भी उसकी पीड़ा थी। जैसे आप गए, वैसे ही मैं भी तीन बार होकर आया। मुझे लग रहा था कि उसका रख-रखाव, जिस ढंग से होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा था। जो लाइट एंड साउंड शो था, वह बहुत दुर्गति की हालत में था। हमने उस पर फैसला किया, 24 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा। उस पर नए डिजिटल लाइट एंड साउंड शो - जो हिस्टॉरियंस द्वारा प्रमाणित होंगे - को करने की व्यवस्था की है। उस पर काम चालू हो गया है। इसलिए इन तीन लोगों को नामित करने का विषय सिर्फ इन तीन लोगों तक सीमित था।

हम दूसरा विषय एल.ओ.पी. का लाए हैं। आप बताइए कि अगर एल.ओ.पी. एक शब्द होता और हमारी भावना कांग्रेस के प्रति खराब होती, तो हम उसे चलने देते? यह हमारा दोष नहीं है। यह देश के लोगों से पूछिए कि आपकी यह दुर्गति क्यों हुई कि आप एल.ओ.पी. की स्थिति में आने के लायक नहीं रहे। यह देश के करोड़ों लोगों से पूछिए कि आज वह कांग्रेस पार्टी, जो अपने इतिहास में लिखने जा रही है कि हमने बहुत बड़ा योगदान किया। Shashi Tharoor ji, we have respected that. We have given this word, कि एल.ओ.पी. के बजाए जो लार्जैस्ट पार्टी का नेता हो, उसे यह दे दिया जाए।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): It is not a question of the largest Party....(*Interruptions*)

DR. MAHESH SHARMA: I hereby question, why should the Head of a particular political Party be the Trustee there....(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you address the Chair.

... (*Interruptions*)

डॉ. महेश शर्मा : पॉलिटिकल पार्टी का हैड क्यों? ...(व्यवधान) अब सवाल यह है कि हमने 26 मई तक इनके लोगों को नहीं हटाया ...(व्यवधान) लेकिन मैं इनकी करतूत भी बताना चाहता हूँ।
...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, 16 मई, 2014 को इस सरकार को देश के लोगों ने बहुमत दिया कि देश में सरकार बदली जाएगी। ...(व्यवधान) 16 मई, 2014 को देश जान चुका था, विश्व जान चुका था कि अब सरकार बदली जा रही है। मैं एक शर्मनाक घटना बताना चाहता हूँ।

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, you please address the Chair.

... (*Interruptions*)

डॉ. महेश शर्मा : नेहरू मेमोरियल का अध्यक्ष 16 मई की शाम को बदला गया और तीन लोगों के दस्तखत एक दिन में हुए - कल्चरल सेक्रेट्री, कल्चरल मिनिस्टर और देश के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के दस्तखत एक दिन में हुए। ... (व्यवधान) नेहरू मेमोरियल के अध्यक्ष को 13 सालों के लिए अपॉइंट किया गया। ... (व्यवधान) हमने यह नहीं किया। ... (व्यवधान) हमने 26 मई का इंतज़ार किया, हमने पांच साल की सरकार में से चार साल इंतज़ार किया, फिर हम यह बदलाव लाए हैं। ... (व्यवधान) मैं समझता हूँ आदरणीय निशिकान्त दुबे जी, सुगत बोस जी, जो आपने कहा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान) आपने कहा था पाटी लाइन से ऊपर उठकर हमें बात करनी चाहिए। ... (व्यवधान) हम वही बात कर रहे हैं।

महताब जी, मैं समझता हूँ कि आपका विषय मैंने क्लीयर कर दिया है। धन्यवाद हरसिमरत जी, आप इसमें लगातार हमारी प्रेरणास्रोत बनी रही हैं। अरविन्द सांवत जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी शहादत पर किसी भी तरह का कष्ट ये सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने महात्मा गांधी जी का 150 साल मनाया। हमने अम्बेडकर जी का 125 वां पंचतीर्थ मनाया। हमने सरदार पटेल का मनाया। हमने सुभाष चन्द्र बोस का मनाया। हमने गुरु नानक देव जी का 550 साला मनाया। गुरु गोविंद सिंह जी का सवा तीन सौ साला हम मना रहे हैं। गुरु रामसिंह जी का दो सौ साला हम मना रहे हैं। आखिरकार ये लोग क्या प्रश्न उठाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? राजेश भाई कुछ कह कर चले गए। वह कांग्रेस और थी। हम पचास साल बाद पैदा हुए थे, हमारा दोष थोड़े ही है। जो पचास साल पहले, सौ साल पहले पैदा हुए थे, उनको आज़ादी की लड़ाई में लड़ने का मौका मिला। हमारा दुर्भाग्य था कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को किसी भी तरह से न आंका जाए। आज़ादी के बाद देश महान पुरुष जिन शहीदों के सपनों का भारत बनाने का सपना छोड़ गए थे, वह सपना नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरा कर रही है। उन शहीदों को सम्मान भी दे रही है और हम लोग उनकी ऐनिवर्सरीज आदि भी सेलीब्रेट कर रहे हैं। आई.एन.ए., लाल किला की बात कही। आप अपना ज्ञान पूरा कर लीजिए। आई.एन.ए. ने जिस बैरक के अंदर बहस शुरू हुई

थी, आज उसको स्थान, उसको सम्मान, इस सरकार ने दिया है। वह बैरक, जिसमें आई.एन.ए. की सुनवाई हुई थी, वहां सुभाष चन्द्र बोस का, जलियांवाला बाग का, याद-ए-जलियां के नाम से और आज़ादी के दीवानों के नाम से भव्य म्यूजियम बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको जाकर देखें, देखिएगा सुभाष चन्द्र बोस कौन थे। चन्दू माजरा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बहस में पार्टिसिपेट किया। मैं राष्ट्र हित में और मैं समझता हूँ कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, हमने जो भी तीनों बदलाव लिए हैं, वे देश के हित में लिए हैं, इस संस्थान के हित में लिए हैं। अपने सभी शहीदों के सम्मान से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश एक है, देश के नाम से जो शहीद हुए हैं, वे देश के लोग थे। वे हिन्दू थे, वे सिख थे, वे किचलू जी थे, मुसलमान थे, वे सब थे। उनके प्रति सम्मान देते हुए मैं सदन से अपील करता हूँ कि इस बिल को पास किया जाए। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will call your name to move the amendment. I will call you to speak. ... (Interruptions)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Hon. Deputy Speaker, Sir, this piece of legislation has been brought by the Government only for one purpose, that is, to remove the Congress President from the Trust. It is only for that purpose. You know about the freedom struggle. The Jallianwala Bagh struggle was led by the Indian National Congress. Everybody knows about it. Those who have studied the History of India know about it. The BJP does not know about the freedom struggle. Their leaders did not participate in the freedom struggle. They supported the killers of Mahatma Gandhi. Now also they are justifying the killers of Mahatma Gandhi. This is negative politics.

Hon. Deputy Speaker, Sir, this is a clear-cut negative politics. They can remove the Congress President from the Trust for one month. They can

removehim, but, the country and the people will decide who will be going to the Trust. Therefore, as per the directions of my Party leader, we are walking out.

14 14 hrs

At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members left the House.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

There is an amendment to clause 2 by Shri K.C. Venugopal. He has already left the House.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1 Short Title

Amendment made:

Page 1, line 4,-

<i>for</i>	“2018”	
<i>substitute</i>	“2019”.	(2)

(Dr. Mahesh Sharma)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for “Sixty-ninth”

substitute “Seventieth”. (1)

(Dr. Mahesh Sharma)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

DR. MAHESH SHARMA: I beg to move:

“That the Bill, as amended, be passed.”

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill, as amended, be passed.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 3.00 p.m.

14 17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15 01hrs

*The Lok Sabha reassembled at One Minute past
Fifteen of the Clock.*

(Hon. Speaker *in the Chair*)

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :राज्य सभा से जो अमेंडमेंट होकर आया है, हम केवल उसको कर लेते हैं।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Consideration of amendment made by Rajya Sabha – वह केवल तारीख और कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)

15 02 hrs

***PERSONAL LAWS (AMENDMENT) BILL, 2019**

Amendment made by Rajya Sabha

विधि और न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): अध्यक्ष महोदया, यह बहुत छोटी-सी बात है। रिपब्लिक के 69 वर्ष को 70 वर्ष करना है। मैं उसके लिए बिल मूव करता हूँ।

Madam, I beg to move:

“That the following amendment made by Rajya Sabha in the Bill* further to amend the Divorce Act, 1869, the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, the Special Marriage Act, 1954, the Hindu Marriage Act, 1955 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, **for** the word “Sixty-ninth”, the word “Seventieth” be **substituted.**”

HON. SPEAKER: The question is:

“That the following amendment made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Divorce Act, 1869, the Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, the Special Marriage Act, 1954, the Hindu Marriage Act, 1955 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, be taken into consideration:-

*The Bill was passed by Lok Sabha on the 7th January, 2019 and transmitted to Rajya Sabha for its concurrence. Rajya Sabha passed the Bill with an amendment at its sitting held on the 13th February, 2019 and returned it to Lok Sabha on the same date.

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, for the word "Sixty-ninth", the word "Seventieth" be substituted."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: We shall now take up amendment made by Rajya Sabha. I shall now put amendment No. 1 made by Rajya Sabha to the vote of the House.

The question is:

"ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, for the word "Sixty-ninth", the word "Seventieth" be substituted."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the amendment made by Rajya Sabha in the Personal Laws (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha, be agreed to.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, I beg to move:

"That the amendment made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

HON. SPEAKER: The question is:

"That the amendment made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

15 04 hrs

VALEDICTORY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : अब हम शुरू कर लेते हैं। Now, we will start Valedictory References.

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, Shri K.C. Venugopal. After you, Dr. M. Thambiduraiji will speak.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, I would like to thank you for your kind attitude towards the Opposition. ... (*Interruptions*) Even though, the Government is not ready to approve us as a recognised Opposition Party, we cooperated in a larger way for a healthy legislative process. Of course, these are going to be the last minutes of the 16th Lok Sabha. ... (*Interruptions*) Even though we have limitations, we have reservations to several legislations which were brought by the Government, the role of the Opposition is to convey the sentiments of the people of the country, to the Government, through you, Madam. At our level, we think we have done a good job in that area. Though there are some issues, I am not going to narrate them here. In democracy, we say that Government has its own way and the Opposition has its own say. That is the essence of democracy.

We, as Indian National Congress, tried to cooperate with you, Madam, and also with the Government in each and every legislation and in all Government business. At the same time, we are very much for expressing the general sentiments of the people. Sometimes, we had to take some aggressive steps

also. On such occasions you advised us and you used to criticize also in stronger words sometimes. For a healthy democracy, we feel that our job is to express the sentiments and anger of the people in this august House. That is the role of the Opposition. During the previous Lok Sabha also, the party that sat on the Opposition Benches did the same thing.

Now, our future lies in the hands of the people. We are going to face the electorate. We think that the people would take their own decision based on what this Government has done during the last five years. We have very good expectations from the people.

Madam, we, the Congress Party, are very much thankful to you for all the cooperation and opportunities extended by you during the last five years. We also thank all the Ministers. We, along with all other Opposition parties, are united and fight the elections together. In the end, I sincerely express my thanks to all of you. Thank you.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, I rise to express our gratitude from the core of our heart. The Sixteenth Lok Sabha was full of excitement, tensions, anxiety, agitations, few good quality speeches, few unwanted and unexpected economic decisions and many other activities. All this brought life to the House.

Madam, you have been successful in bringing the situation under control and sometimes you could not. But your patience is remarkable and praiseworthy. Following the traditions of parliamentary democracy, I always expressed my view when you convened the meetings of Leaders of Parties that the House belongs to the Opposition. But in this House, we could not feel this vibration because many times the Ruling Party, with their brute majority, actually tried to gag the voice of the Opposition. But you stood up for us and gave opportunity to us on many occasions. We express our gratitude to you.

Madam, I am personally grateful to you. When the demonetization measure was taken in 2016, during the Winter Session, I took a major lead at that time and Parliament could not function even for a day. When I was sent to jail, you are the only person who talked to my wife because I have no other family, we are a two-member family. You enquired with my wife about my health condition. I was very badly affected. God has saved me from a very serious and dangerous condition.

Madam, I wholeheartedly feel that I do not know what will happen after elections, whether they will come to this side or we will go to that side. We are in expectation that we will go to that side. So, naturally, we will miss you at that time. I will also be interested to know from you personally whether you are going

to contest again or not in the coming Lok Sabha elections. I always want that you stay in good health and you live long Madam Sumitra Mahajan. This is my prayer to God. Our personal attachment which we set up, I am of the opinion that it will certainly continue.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I recollect the day when I was sharing the Bench along with Mulayam Singh Ji, where today Chandrakant Khaire Ji and Ananth Ji are sitting. The day you took the position of the hon. Speaker in that Chair, that day I had mentioned that we have seen very few women who have presided over the administration in India and most of them have excelled. I mentioned about Maharani Ahilyabai of Indore, who was a devoted person to the religious fraternity, had compassion for her subjects, and also wielded tremendous power to make things change in her society. Whenever we look back to history, that period shines in a very glorious way. Though she very much hailed from the Central Indian part, she had her influence throughout the nation, even Odisha was influenced by her. During the last four years and ten months, we have seen you exhibiting that same vibrance, while you are presiding over this House. You are compassionate, but at the same time very resolute and that has made the 16th Lok Sabha more fruitful. During this 16th Lok Sabha, the country witnessed, after a lapse of 30 years, a Government which had a mandate of the full majority. The last this Lok Sabha had witnessed in 1984, when the Treasury Bench had more than 410 Members. But after that, the country repeatedly gave a fractured mandate. So, should we blame the people for that or it was because of the fact that there was fracture in our politics that was getting reflected in the House. Political scientists will be debating on those issues. But in 2014, the country gave a full majority, and at the same time, we should also understand the country also gave a fractured Opposition. It was in such a situation, the major Opposition Party did not get the requisite numbers to be the Leader of

Opposition. I would only hope that in future such things do not happen again. In 2014, Biju Janata Dal became the fifth largest party in Lok Sabha. We were, because of you, Madam, able to ventilate our point of view, hopefully forcefully, in this House whenever the situation asked us to do.

I would also mention here, Madam, that during these days in the 16th Lok Sabha, many changes have been made and a new history has been created. But there are certain instances, which we should forget as bad dreams. It is necessary, today, that we should do away with blame game, and we should look forward to 2022 when this nation will be celebrating its 75th Anniversary of Independence. This is the year, as I had said earlier also, when we will be celebrating many historic moments; and I would hope that when this country will be going to exercise its mandate, a new era will emerge and that morning will definitely be for a better tomorrow, for a better nation-building.

With these words, I commend to you, Madam, that the manner in which you presided over this Lok Sabha, it has added a glorious chapter to our parliamentary history.

Thank you, Madam.

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आज हमारे सेशन का आखिरी दिन है और आपने आखिरी दिन में बोलने का अच्छा अवसर दिया है। जब भी आप चेयर पर बैठती हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। इसका कारण यह है कि पहले आप मराठी हैं और बाद में इंदौर की हैं। पौने पाँच साल का जो भी कार्यकाल हुआ, रियली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कार्यकाल हुआ। हमारी सरकार की तरफ से देश हित के और जनता के हित के बहुत से काम हुए। यह हमें स्वीकारना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या सरकारी पक्ष हो। बहुत दफा मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे देश की प्रतिमा दुनिया में बहुत ऊँची लेकर गए हैं। यह भी हमें गर्व महसूस होता है। जब भी हम सदन में आते हैं तो अच्छे-अच्छे विषयों पर चर्चा होती है और चर्चा का आउटपुट भी अच्छा होता है। मैं भी पाँच दफा इस सदन में चुनकर आया हूँ। जब हमारी एनडीए की सरकार बनी तो सरकार में हमारा भी नम्बर अच्छा बढ़ा। हमारे 18 सांसद शिव सेना के चुनकर आए हैं और जो भी सहयोग हमें देना चाहिए, वह देने का प्रयास खुले दिल से किया है। इसलिए हमारे जो सत्ता पक्ष के मंत्रिगण हैं कि अच्छे रिलेशन भी बन पाए। एक दूसरे के प्रति हम प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। जो भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनके प्रति तो हमारा आदर था, है और रहेगा भी। अभी कल ही स्वर्गीय अटल जी का पोर्ट्रेट, जिसका इनोगरेशन हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हुआ, पूरे साथी वहाँ हम लोग थे। यह भी हमें बहुत अच्छा लगा, उनकी याद हमेशा के लिए हमारे सेंट्रल हॉल में जब भी हम जाएँगे तो हमें याद आएगा। चुनाव तो आता रहता है, हार-जीत तो होती रहती है।

हम यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि एक बार फिर बहुमत से हमारी आने वाली सरकार एनडीए की सरकार बने। जो बात आदरणीय महताब जी ने उठाई कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और विपक्ष का खुद का अपना कानूनी विपक्ष का नेता भी होना चाहिए, हम यह भी अपेक्षा करते हैं। अगर दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है, तो अगर हमें मजबूती से चलना है, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी होना जरूरी है। मैं यह अपेक्षा करता हूँ, हमारी एक अलग सी संस्कृति बनी है हमेशा हंगामा करने की। यह किसी के भी हित में जरूरी नहीं है। जब हम गाँव में जाते हैं, तो जो ग्राम पंचायत होती है, पंचायत के लोग हमसे बोलते हैं कि आप इतने बड़े सदन में बैठते हैं, अगर हमने यहाँ हंगामा किया, तो

क्या फर्क पड़ता है। हमारी संसद को जो यह चित्र जा रहा है, वह अच्छा नहीं है। हमारे पास सब नियम हैं। जिस हिसाब से जहाँ से जो भी बोलना है, जो भी करना है, रूल्स एंड रेग्युलेशंस के अनुसार हमें जो बोलना और करना है, वह हम कर सकते हैं। अगर किसी ने गलत बात की है, तो उसका जवाब देने के लिए भी हमें मौका मिलता है। हमें यह भी करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ।

महोदया, आपने तो हमेशा मुझे और मेरे साथियों को और अन्य सभी को, मुझे तो कभी यह दिखाई नहीं दिया कि आपने किसी के साथ पार्शियलिटी की है। आपने हर एक को बोलने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी यह आसन तो बड़ा आसन है ही, लेकिन अगर अगली बार और भी कुछ हो सके, तो भगवान आपको प्रदान करे, मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): इससे ऊपर राष्ट्रपति हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद): इन्हें राष्ट्रपति होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप लोग न बोलें।

श्री आनंदराव अडसुल: इसके साथ-साथ प्रधान मंत्री जी, आदरणीय मंत्रीगण, मेरे सभी साथीगण, विपक्ष के साथीगण, मैं इन सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और आने वाले चुनाव में वे चुनकर आएँ और फिर इस सदन को हम रूल के मुताबिक चलाएँ, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Madam Speaker, let me thank you one last time in the 16th Lok Sabha for allowing me to speak.

I rise on this occasion to express my gratitude. My journey, and that of my fellow Party Members in the Telangana Rashtra Samithi as well, started only because of our leader K. Chandrashekar Rao who deemed us fit to represent the people of Telangana. We have highlighted the tremendous works carried out in our State and have worked hard, to our best, to represent the aspirations of our people. We have steered the debate of this House in a constructive manner. Our voices have cut through the ruckus of this House and we have fought for the rights of our people. When I say the rights of our people, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत ही संघर्ष के बाद, 14 साल के संघर्ष के बाद में 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेन्ट्स, मैं कह सकता हूँ कि तेलंगाना के योद्धा लोग लड़कर, हम लोगों ने 16वीं लोक सभा के अंदर पैर रखे थे जिस दिन हम यहाँ पर आए थे, हम बहुत ही अपेक्षा के साथ आए थे और हमने आपसे विनती की थी कि आप हमारी ताई हैं, हमारी माँ जैसी हैं और हम एकदम न्यू स्टेट हैं, हमारा छोटा स्टेट है।

अभी हम उभर रहे हैं और हमें मौका दीजिए। आपने हमें भरपूर मौका दिया, हमें बात करने का भरपूर मौका दिया। हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। आपने हमें इतना मौका दिया कि दूसरे पार्टी वाले हैरान हो रहे थे कि जितेन्द्र को इतना मौका कैसे मिलता है, कैसे वह अपनी उंगली उठाता है और उसे मौका मिलता है। लेकिन, चौदह साल वहां पर लड़ाई करके जब हम यहां आए तो यहां पहले ही दिन से हमारी लड़ाई चालू हो गयी। पहले दिन ही ऑर्डिनैस लगाकर हमारे सात मंडलों को आंध्र प्रदेश की साइड ले लिया गया था। हमने उस ऑर्डिनैस के ऊपर भी लड़ाई की कि ये जो सात मंडल हैं, ये ट्राइबल एरिया वाले हैं, ये हमारे हैं। उस समय यहां पर जो प्रधान मंत्री और मिनिस्टर थे, हमारे बारे में उनका दूसरा विचार था। कौन दोस्त थे, कौन दुश्मन थे, उसे वे लोग पहचान नहीं सके। लेकिन, धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि हम तेलंगाना वाले हमेशा एक दोस्त हैं और हम दिल देकर दिल लेने वाले लोग

हैं। इस तरीके से हमने अपना व्यवहार चालू किया और हम हर मंत्रालय तथा हर मंत्री के पास गए और अपनी जायज मांगें कीं। हमने आज तक एक भी नाजायज मांग नहीं मांगी। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हक के माफिक हमें जो मिलना था, उसके लिए हमने मांग की। हाउस के अन्दर हमने बहुत बार नारा लगाया, हम प्लेकार्ड्स लेकर आए, लेकिन कभी भी हमने सभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। हमने अपने ऊपर तकलीफें लीं और प्रेम के साथ आप लोगों को समझा कर कि हमारे यहां एम्स होने दीजिए, हमारे यहां हाई कोर्ट होने दीजिए, हमारी सिंचाई परियोजनाओं के लिए जितने भी एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस हैं, उन्हें होने दीजिए, हमारे यहां रेलवे का काम होने दीजिए, फाइनेंस का काम होने दीजिए, ऐसा कह कर हर चीज को हमने आप लोगों से प्यार से लिया। आपने हमें बहुत ही सहयोग दिया, इसके लिए हम आभारी हैं।

मैडम, हम पहले 11 सांसद थे और उस 11 में 3 और जुड़ गए तो हम लोग यहां पर 14 सांसद बन गए, पर हम सोचते हैं कि अगली लोक सभा के अन्दर पूरे 17 के 17 सीट्स पर टी.आर.एस. पार्टी आएगी। हम पूरे 17 के 17 सीट्स पर आने वाले हैं और हम आपके सामने फिर पेश होंगे। इसी तरीके से, आप हमें सहयोग दें, जिस तरीके से एक माँ की तरह आपने हमें ट्रीट किया, हमारे तेलंगाना का फायदा किया, उसी तरह और भी फायदा करेंगे। हमारे बहुत-से काम हो चुके हैं, लेकिन एक काम और है।

मैं प्रधान मंत्री जी से आखिरी विनती करना चाह रहा हूँ। यह आखिरी सिटिंग है। मैं इसी मंच से बोलना चाहता हूँ कि हमारे बाइसन ग्राउण्ड का मामला, जो आपके सामने पेंडिंग है, डिफेंस लैंड, अगर वह भी हमें सैंक्शन कर दें तो खुशी-खुशी सोलहवीं लोक सभा के अन्दर फ्लोर लीडर के रूप में मुझे जो कार्य सौंपा गया था, मैं समझूंगा कि वे पूरे हो गए।

मैं यह अभिलाषा करता हूँ कि इस सेशन के पूरे होने के पहले यह हो जाए, हमें बाइसन ग्राउण्ड मिल जाए। मैं इसलिए इसकी मांग कर रहा हूँ कि इसके अन्दर एक आलीशान सेक्रेटैरिएट बिल्डिंग बननी है। तेलंगाना का एक सेपरेट सेक्रेटैरिएट बिल्डिंग बनाकर हमारे मुख्य मंत्री जी का जो सपना है, उसे भी हमें पूरा करना है।

मैडम स्पीकर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दायित्व दिया था कि मैं फुड कमेटी का चेयरमैन बनूँ। फुड कमेटी का चेयरमैन बनकर आपके सहकार से, आपके आशीर्वाद से, मैं समझता हूँ कि इस हाउस में मैंने सबको हैदराबादी बिरयानी खिलाई है।

माननीय अध्यक्ष: क्या इसके कारण लड़ने की ज्यादा ताकत आ गई?

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, न केवल हैदराबादी बिरयानी, बल्कि पीयूष गोयल जी के सहकार से, क्योंकि वे भी रेल मंत्री हैं, तो हमने उनसे मिल कर, उनके साथ चर्चा करके हर स्टेट के फुड को रखा, ताकि कोई नाराज न हो। जैसे एक दिन पंजाब फुड फेस्टिवल, एक दिन कर्नाटक फुड फेस्टिवल, एक दिन आंध्र प्रदेश फुड फेस्टिवल, एक दिन मध्य प्रदेश फुड फेस्टिवल, एक दिन राजस्थान फुड फेस्टिवल रखकर इस तरह से हर सप्ताह हमने रोटेशन के तहत सबको अच्छा खाना खिलाया। मुझे मालूम है कि एक दिन प्रधान मंत्री जी ने तारीफ की थी कि आपका खाना बहुत अच्छा है। इस तरीके से यह सदन चला है। हंसते-खेलते, अच्छाई और बुराई करते हुए जो काम चला है, आपकी अध्यक्षता में बहुत ही अच्छा हाउस चला है। Thank you very much. I hope that all of you come back in the Seventeenth Lok Sabha and we all will meet again. Thank you. Jai Telangana. Jai Bharat.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam, this is the last Session of the Sixteenth Lok Sabha. I am sorry to say that I was unable to attend the House last week fully because of severe fever and chest infection. But I thought I should come here before the Session ends.

Madam, there are a number of inspiring occasions as well as emotional occasions that you have witnessed for the last five years. As stated by other Members, it is the duty of the Opposition to raise the issues of the people. Sometimes, it may be in the form of shouting or of coming to the Well. I always remember your smiling face. Sometimes, you may be angry but you are unable to hide your smile even when you are angry. Of course, as far as the Chair is concerned, it is really a herculean task when such issues come up because there may be contradiction of interest on both the sides, from the Treasury Benches and also from the Opposition. I think the Opposition has participated in almost all the legislative business and also, day-to-day we have raised other issues.

It is said that the essence of democracy lies in discussion, debate and decision, and it is possible only if both the sides co-operate. There are a number of occasions where we felt that the rules of procedures were violated. As you know well, Madam, in order to conduct the business, there is the 'Rules of Procedure'. Many times, we are forced to question when the rules of procedure are violated but you are unable to do it. We know why such situation has come. Anyway, of course, people have witnessed these discussions either in the form of legislation or in the form of decisions on other issues. I am sure democracy in our country, no doubt, would not be shaken. There may be attempts from any side

but the people of India would not tolerate any kind of attempt to weaken the democracy. The essence of democracy is the secular nature. We should not forget that at any cost, because lakhs and lakhs of people have fought and also sacrificed their lives for the success of democracy. That is why, we are sitting here and conducting these businesses.

Madam, we could not forget your great contribution, especially, in the last five years. As far as I am concerned, I have experienced over the other periods also. There may be a number of such instances where the Opposition and the Treasury Benches came in contradiction. So, it has become the duty of the Chair to keep the House in order, and you have done a lot of works on this issue.

Madam, I would like to say about only one issue before the Prime Minister. I have got three chances to raise the flood situation in Kerala. Madam, you yourself have allowed me thrice. Others have also raised that issue.

I am sorry to say still Kerala has not addressed the damage that was caused. We lost Rs.31,000 crore. We lost the valuable lives of about 300 people. I request, especially, in the last Session of this sitting of Lok Sabha, that our Prime Minister and the Government should show some more kindness to the State of Kerala. Though it is a small State, it is known to all, either in the matter of education or health or of any other issues.

We have a federal set up in our country. Federal set up does not mean that only one side gets stronger. There should be a strong Centre as well as strong States. When the States face difficulties, the Centre should come forward. I think the Prime Minister and the Government should take such a positive attitude.

We know that we are nearing the General Elections. Of course, when we discuss things, there may be different views and that is natural. At the same time, whatever may be the discussions or the propaganda, the democracy in India should win. The Members of this House may come again or not, which does not matter, but one or the other Government will continue. In such a situation, we should have a very strong will as far as Members are concerned.

Madam, on behalf of my party, I thank you for your very great contribution in conducting the business for the last five years. Thank you.

श्री मुलायम सिंह यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब सदन बंद होने जा रहा है, कितने सदस्य दोबारा जीत कर आएंगे, कितने नहीं आएंगे। इसलिए आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारी कामना है कि अभी जितने भी माननीय सदस्य हैं, वही सदस्य फिर जीत कर आएँ, यह मेरी शुभकामना है। ... (व्यवधान) लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सदन चलाना बहुत कठिन काम है। आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं, पूरे सदन के नेताओं और सदस्यों को संतुष्ट करना बहुत कठिन काम है। सभी को संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमारा अनुभव है, जब हम लोगों से बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपने सदन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए प्रयास किया।

मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी आपने भी सब से मिलजुल कर और सबका काम किया है। यह सही है कि हम जब-जब आपसे मिले, किसी काम के लिए कहा, तो आपने उसी वक्त आर्डर किया। मैं आपका यहां पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास किया है। आपने जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई है, सब को खुश रखना बड़ा कठिन काम है, फिर भी आपके पेपर के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसलिए मैं आपको विशेषकर बधाई और धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है, जितने भी माननीय सदस्य हैं, वे दोबारा फिर जीत कर आएँ। यह हमारी इच्छा है, यह मेरी शुभकामना भी है। मैं तो यह भी चाहता हूँ कि हम लोग तो इतना बहुमत में नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप फिर प्रधानमंत्री बनें। इस सदन में हम सब आपके साथ हैं।... (व्यवधान)

हम चाहते हैं कि सब स्वस्थ रहें, सदन में जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, सभी स्वस्थ रहें, फिर सब मिल कर सदन चलाएं, यही मेरी कामना है। हमारे तीन सूत्र हैं। ... (व्यवधान) आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूँ। यह कुर्सी बड़ी कठिन है, सबको संतुष्ट करना कठिन है, लेकिन आपने प्रयास किया। मैं प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी सबको खुश करने का और जायज काम करने का हमेशा प्रयास किया है। इसलिए हम इस अवसर पर आपको तो बधाई दे ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको भी बधाई देना चाहते हैं।... (व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों के बारे में मेरी कामना है कि वे सब के सब जीत कर दोबारा आएँ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम आपको अध्यक्ष की हैसियत से और जिस शानदार तरीके से पिछले पांच साल लोक सभा में कार्य संचालन किया, के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सैक्रेट्री जनरल, अधिकारी, कर्मचारी और यहां तक कि वॉचमैन, को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद है। मैं अपोजिशन के सारे साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, हम तो यहां 1977 से हैं, नौ बार लोक सभा में आए, एक बार राज्य सभा में गए। यहां आज हम लोगों का अंतिम दिन है। इसके बाद सब अपने क्षेत्र में जाएंगे। पार्लियामेंट सबसे बड़ी संसद ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा पंचायत स्थल है। स्वाभाविक है कि जो लोग गांवों से आते हैं, गांवों की समस्याओं को सदन में रखते हैं। सब अपने दायरे में बंधे हुए हैं। सरकार अपने दायरे में बंधी हुई है, अपोजिशन अपने दायरे में बंधी हुई है और चेयर का भी अपना दायरा है। इसके बावजूद भी चेयर के ऊपर बहुत निर्भर करता है। यह लोकसभा का अंतिम साल है और चुनाव का अंतिम साल होली के समान होता है। इसमें कौन सा रंग कहां से निकलता है, कहां फेंका जाता है? चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर सब इसी सदन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर बैठ जाएंगे।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के घटक दल हैं। प्रधान मंत्री जी आपको गुस्सा हो सकता है, मैं अपनी बात कहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री से समय लेने में भले ही हो सकता है किसी को विलंब हो, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी 24 घंटे काम ही करते रहते हैं, कभी प्लेन में ही 20 घंटे तक भी रहते हैं। अगर एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी से पांच मिनट का समय लीजिए तो वे 25 मिनट समय देते हैं। मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेता रहे हैं, हम सोशलिस्ट मूवमेंट में थे, हम 1969 से एमएलए रहे हैं। भले ही अपोजिशन को वह ऊपर से कठोर नज़र आए, लेकिन मैं इससे 100 परसेंट सहमत हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार मिलने के बाद कोई शिकायत नहीं रहती है। सरकार का जो काम होता है वह मेंहदी के समान होता है। मेंहदी का पत्ता बहुत हरा होता है लेकिन उसे दबा दें तो लाल रंग निकलता है। सरकार का काम आचार, वाणी, व्यवहार में मेंहदी के पत्ते के समान होना चाहिए लेकिन एक्शन में हमेशा दृढ़ होना चाहिए। इन्होंने जो भी एक्शन पिछले पांच सालों में लिया है, वह आगे आने वाला

समय साबित होगा, भले ही आज कितना ही क्रिटिसाइज कर लें, जीएसटी, नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक पर कर लें।

हम गरीब परिवार से आते हैं। सरकार का काम क्या होता है? कोई भी पार्टी किसान के संबंध में बता दे, एमएसपी ज्यादा किया, फसल बीमा योजना लागू की गई, 2022 तक किसान की आय दुगुनी करने की बात की गई, 6000 रुपये सहायता राशि किसान को दी जाएगी, इतना ही नहीं बल्कि खेतिहर मजदूर, पहली बार अनऑर्गेनाइज सैक्टर में 3000 रुपये साठ साल होने के बाद गरीबों को दिए जाएंगे, यह बहुत ही हिस्टॉरिक कदम है। इसी तरह से बहुत सी योजनाएं हैं। परिवार को क्या चाहिए - घर चाहिए, 2022 तक घर। उसके बाद रोशनी चाहिए - हर घर में बिजली। तीसरा क्या चाहिए - शौचालय - हर घर में शौचालय। चौथा क्या चाहिए - गैस का चूल्हा, यह हो गया। पांचवीं बात हैल्थ की है, 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये, यह आसान चीज नहीं है।

मुद्रा योजना है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, जो हमें याद नहीं है स्टैंडअप योजना है, स्टार्टअप योजना है, जन-धन योजना है। लेकिन, इसके बाद जो सबसे बड़ा काम हुआ है, मैडम हम लोग 1977 से हैं, हम लोग सोशलिस्ट मूवमेंट से निकले हैं। मुलायम सिंह यादव भी उसी मूवमेंट से आए हैं। हम लोगों ने कभी-भी जात-पात की राजनीतिक नहीं की। हम दलित वर्ग में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नेता माना, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर एस.सी., एस.टी. के लिए लड़ते रहे, मंडल कमीशन के लिए लड़ते रहे। मन में एक कसक थी कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को उसी कैटेगरी में लाया जाए। आज हमको इस बात की खुशी है कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने एस.सी., एस.टी. एक्ट, जो पड़ा हुआ था, जिसके लिए हम लोगों को गाली सुनने को भी मिला हो, लेकिन एस.सी., एस.टी. एक्ट, जिसको 1989 में बनाया गया था, इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में खत्म कर दिया था। उस एक्ट को लाकर इसी पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास किया गया। ओ.बी.सी. कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम भी इसी पार्लियामेंट में किया गया। तीसरा, ऊंची जाति के गरीब लोगों का जो मामला था, उनको भी दस परसेंट आरक्षण देने का काम किया गया। ... (व्यवधान) मैं थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सभी लोग लेते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का 26, अलीपुर रोड,

नागपुर और लंदन के घर को खरीद कर म्यूजियम बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर का ही नहीं, लौह पुरुष, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा अनेक महापुरुषों का म्यूजियम बनाया गया। यह जो सामाजिक समरसता और हमारी इकोनॉमी है, उसका देश-विदेश में नाम हुआ है। मैं कहना चाहूंगा कि देश की जनता महान है, अपोजिशन ने अपना काम पांच साल तक किया है, हम लोगों ने भी अपना काम पांच साल तक किया है। लोग हमें मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। हमने तीन साल पहले कहा था कि 2019 में प्रधान मंत्री पद की कोई वैकेन्सी नहीं है। 2024 के लिए आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। हम लोग फिर से आएं और जो अधूरे काम हैं, उनको नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम करेंगे। आपको फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam Speaker, thank you very much. On behalf of my Party I thank you and the Minister of Parliamentary Affairs for the five years that we have spent together. We have had our good moments and some sober moments. I think, through you, we got an opportunity to learn so much. The Speaker's Research Initiative has been one of the main contributions in the last five years and helped all of us to make better speeches. So, I congratulate the entire Speaker's Office and the SRI for the contributions that they have made. I would like to thank you especially and would like to compliment you for bringing in the Opposition in the two big Conferences that you had organised. We had an opportunity of meeting legislators from all over India. I think we all learnt so much through you and through these two Conferences that you had organised.

Today, I definitely would like to pay homage to the late Anantha Kumar ji. For the five years that we had been there and every time the quorum was incomplete, the one man I miss today is Shri Anantha Kumar ji. Shri Tomar and Shri Meghwal have tried their best to keep the whole flock together and work together. But I would like to pay deep homage and condolences to his family and remember his smile always. Thank you.

THE MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL): Madam Speaker, on behalf of my Party, the Shiromani Akali Dal, I would like to congratulate you on the last five years of your performance being par excellence. I think you had done a commendable job in the way that you have run this House. I know that you are one of the longest serving woman Members. I think, probably out of very small number of women that are here, you are one of the longest serving woman Members. As a second time M.P., it gave me great pleasure to see for the second time a woman on the Speaker's Chair.

I know that we all thought that our favourite Tai, when she sat on the Chair with soft face, may be very too soft for this Chair. But you have showed that you are made of steel. That is why I think that everybody, be it a small Party like mine with a very few speaking Members or a big party or any of the Opposition parties, has agreed that you have run this House impeccably and given everybody a chance. I too thank you for that. I think you have proved that the daughters of India चाहे बेटी छोटी हो या ताई की उम्र की हो, बेटी किसी भी आदमी से कम नहीं है and you have run this House better than any male Speaker. I can say that when my husband was an MP, I used to watch the proceedings. Some of the men used to sit in your Chair. I used to wonder as to how does anyone have the guts to even speak in front of them because they were so scary and they were rather rude also at times. But I must compliment you.

It reminds me of the first time in this House, in this Government when I became a Minister; it was day two of the Parliament and my question was at No. 1. So, you can imagine, a first time Minister, a second time MP and on day two

having to answer the question and I know how nervous I was. But your two words of praise after that, gave me that strength and the commitment to ensure the work even better.

I would also say here that, being in that post when the ruling party is in such brute majority, then to give everybody a chance and make them feel that their voices were heard, I think really that credit goes to you. You probably realised over your eight terms that how important it was for everyone to be heard.

I would also like to take this opportunity, on behalf of my Party, to thank the hon. Prime Minister. I know that people say a lot of things. But I would say on behalf of my Party that it is only because a party came in with a strong majority, there were certain decisions which took place, which were not being able to be taken over the last 70 years. Though I congratulate the Prime Minister for a number of those decisions, I will not get into the politics.

When I speak about Shiromani Akali Dal and I speak on behalf of the Sikhs, Madam, I think, this 16th Lok Sabha would be incomplete if I do not highlight the few things which have really touched my community.

Madam, regarding GST on langar, जो गुरुद्वारों में मुफ्त लंगर करोंड़ों लोगों को हर साल खिलाया जाता है, यह परम्परा सदियों से चलती आ रही है और 70 साल में जितनी सरकारें इधर बैठती थीं, उस लंगर के ऊपर सेंट्रल टैक्स लगाया जाता था। यह हमारे लिए एक इमोशनल चीज हो गई, क्योंकि हमारे राज्य की सरकार ने इसे एक ट्विस्ट देकर एकदम ऐसे कर दिया, जैसे मोदी साहब ने जीएसटी लाकर लंगर के ऊपर टैक्स लगा दिया है। लोग इसे जजिया टैक्स बोलने लगे। यह बिल्कुल गलत था, लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में जब अफवाहें फैलती हैं तो आग की तरह फैलती हैं और यह बात हमारी कम्युनिटी में इतना फैल गई कि मोदी साहब ने पता नहीं कौन सा टैक्स लगा दिया। मैं प्रधानमंत्रीजी को धन्यवाद देती हूँ। मैंने इनसे जाकर मांग की, हमारी सेंसिटिविटीज को

देखते हुए, लोग कहते हैं कि माइनोंरिटीज की आवाज नहीं सुनी जाती, मैं बोलना चाहूंगी कि एक छोटी सी माइनोंरिटी जिसकी पोपुलेशन तीन-चार प्रतिशत होगी, लेकिन हमारे लिए इतनी बड़ी चीज एक मीटिंग पर, एक बार में, एक फैसला उन्होंने सुनाया। अकेले सिखों के लिए नहीं, चाहे कोई मन्दिर हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे कोई गुरुद्वारा या कोई चर्च हो, जहां पर भी गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने उसका सेंट्रल टैक्स माफ किया है, भोजन योजना लाकर। यह एक चीज है, लेकिन मेरी बात इनकम्पलीट रह जाएगी, यदि मैं करतारपुर कॉरीडोर की बात न करूं। 70 सालों से हमारे सिखों के किसी गुरुद्वारे में, सुबह, दोपहर और शाम, जितनी भी अरदासें होती थीं कि हमारे धार्मिक स्थानों से, जहां से हमारे गुरु नानक देवजी ने हमारा धर्म शुरू किया था, उन गुरुद्वारों के दर्शन दीदार हमें नसीब हों और हम वहाँ मत्था टेक सकें। पंजाब के बॉर्डर से तीन किलोमीटर दूर, जो आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, लेकिन उधर जाना कभी हमारे नसीब में नहीं था। आज प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि इस सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर का फैसला लेकर, वहां पर काम भी शुरू कर दिया है।

सदियों से जो आस्था रही है, वह आस्था पूरी करने का इस सरकार ने काम किया। आज से पहले किसी सरकार ने देश को तोड़ जरूर दिया था और हमारे धार्मिक स्थान उधर छोड़ दिए, लेकिन हमारी सरकार ने उनके साथ फिर से जोड़ने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं सरकार का तहे दिल से शुक्राना अदा करती हूँ।

मैं इसमें किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस तरफ झांकूंगी भी नहीं, लेकिन वर्ष 1984 के कत्लेआम के दोषियों को सजा देने के लिए एसआईटी बनाई। 34 साल के बाद हमारे देश में सिखों में आज रेफरेंडम 2020 की बात दुनिया में क्यों फैल रही है, क्योंकि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ था। हजारों लोगों के मरने के बाद जस्टिस की कोई बात नहीं होती है, लेकिन आज मरहम लगाने का काम एसआईटी और अदालत ने किया है और दोषी लोग जेल में जा रहे हैं। इस वजह से देश की अमन शांति ही नहीं बल्कि बार्डर स्टेट की अमन शांति कायम रखने के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। यह काम तभी हो सका है, क्योंकि एक मजबूत सरकार आई है, एक डिसाइसिव

प्रधान मंत्री ने देश के भले के लिए बहुत सारे फैसले लिए हैं, जिनमें से मेरे लिए सबसे बड़ा यह है कि किसानों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, इसके लिए मैं शुक्राना करूंगी।

महोदया, मैं एक बार फिर आपका शुक्राना करूंगी कि इतने डिसाइसिव फैसलों को आपने उस कुर्सी में बैठकर, नेविगेट करके हमेशा स्माइल के साथ, कभी गुस्सा न दिखाते हुए जिस तरह से हाउस को चलाया है, वह काबिले तारीफ है और मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपकी बेहद तारीफ करती हूँ।

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Speaker, I am so happy that you have called me today to speak. Please do not restrict me to speak only for three minutes. I hope that I have got the liberty to share my experience.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I came to this House in 1991. The Narasimha Rao Government did not have full majority, but even then the contribution made by Shri Narasimha Rao as the Prime Minister and Dr. Manmohan Singh as the Finance Minister with regard to the economic reforms, liberalisation, industrialisation, etc. is immense, and these things have changed. The situation at that time was such that this country was about to go into a debt trap. I used to participate in every Session from that day.

Our hon. Prime Minister is sitting here. Let me be frank that the financial restraints were so much that we had to approach the World Bank and IMF. I am not going to deal with this matter at length, but I would like to mention only one thing. I have seen all the coalition Governments, namely, Dr. Manmohan Singh's coalition Government, late Shri Vajpayee's coalition Government, etc. in these 29 years sitting in this House barring about 22 months as I was defeated in 1999 and I came back in 2002.

I must congratulate your good-self.

HON. SPEAKER: Thank you.

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): You have given an opportunity to all political parties to express their views before we depart from here.

I have seen Shri Vajpayee as the Opposition Leader; Shri Somnath babu was the Opposition Leader; Madam Sonia Gandhi was the Opposition Leader; and today, Shri Kharge ji's Party, though has not got the majority, but even then you have recognised him as an Opposition Leader for the purpose of giving certain decisions on issues like Lokpal and such other issues.

This House never missed the opportunity of debating on the issues of farmers. I would just like to recall my events. This is the 16th Lok Sabha. I came to this House and I moved a 193 Discussion, and your good-self suggested that the Business Advisory Committee (BAC) has to clear it. It was not possible because I approached the BAC Members also, but the matter was not taken up. Why am I telling this? It is because if the smaller Parties, like us, having one Member or two Members or three Members want to discuss something under the Rules, then there are certain procedures.

16 00hrs

You will not be able to carry forward. That is how I have been not given sufficient opportunity to discuss in this House. You know how from the beginning I fought for the farmers. I am not going to deal with that matter now.

The question of corruption issue is not new for us. In the last 60 years, I have been watching. People have come to the conclusion that all politicians are corrupt. This atmosphere is there; irrespective of the political parties, we are all responsible. People have lost trust in leaders. Only for gaining our reputation we

are all destroying ourselves. I beg of you, this type of debate about the political office is going to damage the entire system.

Hon. Prime minister is sitting here. In the elections there were some exchanges of words. If you get more than 276 seats, I am going to resign. This is what I told. When he got 282 seats, I went to see him, to offer my resignation. He told me, don't take it seriously. You are one of the experienced politicians, you must not resign. That is what I told him. I met him three-four times. I have no grouse against anybody.

Madam Sonia Gandhi, as Leader of the Opposition, I also watched her performance. Some people would debate on her citizenship. In these 30 years, let us be honest, that is not an issue. But some people have raised the issue. On one occasion, she was unable to become the Prime Minister.

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAIBAREILLY): I didn't want to.

SHRI H.D. DEVEGOWDA : No. Just a second. What has happened, I would tell you. This is not your desire. Some atrocities have happened.

SHRIMATI SONIA GANDHI : That is another time.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Vajpayee *ji* was a great man. He went for a *Prayaschit Satyagraha* near Rashtrapati Bhavan. In Bhopal, I told that Vajpayee *ji* is a great man. Why did he go there to offer one day *Upwas Satyagraha*. It is not going to help; you must take decision based on the constitutional powers. At that time, press people asked me as to why am I asking resignation of Vajpayee *ji*. I told them, why not? They asked: Who is the next Prime Minister? Why not Madam Sonia Gandhi, the Leader of the Opposition? What is the citizenship issue? I myself raised that issue in Bhopal. That is what I am telling.

SHRIMATI SONIA GANDHI: I see.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: Let me be very frank. All of us are departing today. There is no personal animosity against anybody. Here, I met some of the Ministers personally. Irrespective of my position as the former Prime Minister, or whatever maybe, I met personally Sushma Swaraj *ji*, Rajnath Singh *ji* is here. Surface Transport Minister is not here. I went to the offices of Commerce Minister, the Railway Minister personally to take up certain problems concerning my constituency and my State. All of them obliged. I am highly grateful to all of the Ministers who are sitting here. I have no ill will about anybody. Today is my last speech. You have given me an opportunity.

I met the Prime Minister four times. Always he used to ask about my health. With happiness I tell you that my health is all right. Age is also one of the factors. Advani *ji* is sitting here. We were in jail in Bangalore. Always we exchange words with each other. I am grateful to you to give me this opportunity to speak before departing.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL) : I reached Parliament for the first time with two Members from my Party. I must say today that it has been an enriching experience to see how this great Institution works, how every voice is heard and how every ideology across the country gets space like a flower in the beautiful bouquet.

Although, the five years of the 16th Lok Sabha have been full of disruptions over a range of issues affecting different States across the country, at the same time, several historic Bills have also been passed by the 16th Lok Sabha.

I want to take this opportunity to congratulate our hon. Prime Minister, Narendra Modi ji, on the passage of various important Bills like the ones granting Constitutional Status to the Other Backward Classes Commission, the Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Bill, the GST and such alike and that also talks of a beautiful balance that we have in our Parliamentary Democracy where both the Treasury Benches as well as the Opposition takes sides and taking charge of the House.

That also tells us as to how difficult the job of the Speaker Madam is. I have seen you sit here for longer hours than anyone of us and be alert all the time listening to each and every word that each one of us says. It is really not an easy thing to do.

I take this opportunity today to thank you, Madam, for giving me several opportunities to speak in the House, to voice my concerns and also to other Members of the House. I express my gratitude towards you for being you and for conducting this House in the best possible manner.

Madam, I represent the Other Backward Castes of India, the marginalised section of society whose voices must be heard in this great Institution – the Parliament of India. I only hope today that in the next Lok Sabha and in the subsequent Lok Sabhas, the voices of the marginalised section of society will be heard and also the concerns of my State of Uttar Pradesh will be paid attention to and taken care of by the subsequent governments.

I want to conclude by saying that India has seen a tremendous leader and a dynamic Prime Minister in Narendra Modi ji and we have more of him to see in future. So, I only hope that the 17th Lok Sabha sees a grand come back of the NDA under his leadership with the *Mool Mantra* of 'Sabka Sath Sabka Vikas'. Thank you very much, Madam.

HON. SPEAKER: Kaushalendra ji, please speak for only half a minute. I am sorry.

श्री कौशलेन्द्र कुमार(नालंदा): मैडम, जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से आपने मुझे हर विषय पर बोलने का जो मौका दिया, मुझे ही नहीं, बल्कि सभी सांसदों को आपने जो मौका दिया, आपने प्यार और मोहब्बत से संसद चलायी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ।

देश के प्रधान मंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने पूर्वांचल से लेकर हर तरफ 'सबका साथ, सबका विकास' का जो नारा दिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो नारा दिया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, आपने तो आज सुबह में अपना लास्ट अमेंडमेंट कर दिया था।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन(कोल्लम): मैडम, लास्ट अमेंडमेंट हो गया। I want to express my sincere thanks and gratitude on behalf of my Party; I am a single-member party. But I have never felt that I am a single member from my party in the House because of you, Madam. So, I am very thankful to you and grateful to you for giving me such an opportunity.

Madam Speaker, I would like to make one suggestion. All of us talk about the 'discussion', 'debate' and 'decision' but at the same time, there should be 'dissent' also. The dissent of the Opposition should be respected and honoured. Then only the beauty of the democracy will be there. Unfortunately, the dissent in the form of amendment or cut motions, it is not respected and it is not taken care of. That precedent and convention has to be changed.

Madam, in the Legislative Assemblies, especially in Kerala Legislative Assembly, if an Opposition Member brings an amendment and if that amendment is constructive and positive, I was also a Minister in the State Government, we accept the amendment and we would be thankful to the hon. Member.

Like that, a precedent and convention also has to be set in this House so that constructive and positive proposals coming from the Opposition are recognised and accepted and the legislation as well as the policy making becomes more fruitful and bring benefit to the country.

Madam, I would like to place it on record that though hon. leader of the single largest party, Shri Mallikarjun Kharge, has not been able to speak today owing to throat infection, he has been present in the House from 11 in the morning till now. We have to recognise that and appreciate the way he interacted with the Government, made the demands from the Opposition's side, expressed

the sentiments of the people of this country, at the same time cooperating with the Government.

Madam, we the Opposition played a very constructive role. Yesterday also we passed the Finance Bill. We cooperated with the Government on the passage of Budget. At the same time when the controversial issues came up on the floor of the House, in a constructive way the opposition has cooperated.

I would like to place on record one more thing, Madam, with regard to the services being rendered by the Parliament Library, especially the LAARDIS. How are we Members able to make all our contributions here? It is because of the support provided by the Library. Also, Madam, the Speaker's Research Initiative, which is an innovative instrument brought in by you, has also helped us a lot in bringing the genuine and timely issues of the people before the Parliament. For all this, we are thankful and grateful to you.

Once again we extend our sincere gratitude and thanks to the Government as well as the Opposition, Hon. Speaker, Hon. Deputy Speaker and all the Members of this House. With these words I conclude. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : दुष्यंत जी, आप एक मिनट में अपनी बात बोलिए।

आप सब मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम प्रेमचन्द्रन जी का एक भी अमेंडमेंट हो, तो आपको उसे मानना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं 26 साल की आयु में इस हाउस में आया था। जिस दिन पहली बार आपने स्वागत किया, मुझे याद है कि मैं वहां पीछे बैठा था और मेरी टांगें कांप रही थीं, मगर इस दौरान पांच सालों में जो आपका आशीर्वाद मिला, उससे दो सदस्यों के दल से आज एक अलग पार्टी के अंदर, जहां मुझे बोलने का आपने निरंतर मौका दिया। तीस सेकेंड हों या तीस मिनट हों, हाफ एन आवर डिस्कशन तक मैं आपने मुझे जो मौका दिया, मैं उसके लिए आपका और खास तौर पर डिप्टी स्पीकर महोदय का धन्यवाद करूंगा कि आप दोनों ने इस हाउस को इतने अच्छे तरीके से पांच साल चलाया। अगर आप दोनों न होते, तो शायद इतने लंबे समय तक यह सेशन, देर रात एक-एक बजे तक बैठकर जो हाउस चला, इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam Speaker, hon. Members, today is the last day of the 16th Lok Sabha. I, in my capacity as Deputy Speaker, would like to take this opportunity to thank all those who helped me in the discharge of my official responsibilities.

First and foremost, I would like to thank the former Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma Jayalalithaa and also our Prime Minister Narendra Modi-ji for discussing, deciding and asking me to take this Chair. I am very grateful to you also, hon. Prime Minister, for giving me this opportunity to take this place. All the other political parties also elected me unanimously and supported me. Because of your support only I was able to manage to run the show under your guidance, Madam.

Also Madam, yesterday was a remarkable day when Prime Minister Modi-ji and others unveiled the portrait of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee-ji in the Central Hall. I served as Cabinet Minister under Vajpayee-ji holding five portfolios – Law, Justice, Company Affairs, Surface Transport and Shipping. I used to sit in the first row at that time along with him. I had that opportunity then and now I am here. Most of my colleagues who were there know me that I served under him as a Minister.

Therefore, when his portrait was unveiled yesterday, I remembered all those things as to how he helped me to implement so many programmes throughout India, especially the four-lane projects. That was the dream of Vajpayee-ji. He gave me an opportunity to fulfil that dream. I took that opportunity. He laid the foundation stone for the project in January 1999 in Bengaluru. That is the occasion when this country got a stretch of long four-lane road because our

former Prime Minister helped me and guided me. Also, I feel proud that I had the opportunity to implement that programme.

Madam, there is another historical thing that I want to tell about my Party AIADMK. Madam Jayalalithaa-ji, in 2014 contested in Tamil Nadu all the 40 seats. She made a history by winning 37 seats. Now, we are the second largest Opposition party. It is a historic thing that a regional party got so many seats. It is because of our efforts and of our programmes. That has helped us to come over here and participate in so many debates and so many discussions. She is no more now. That is our problem and we are feeling that. That cannot be filled by anyone. But still in Tamil Nadu, she is in everybody's heart. That will guide us further to proceed in the coming elections. That will help us.

Also, what Mahtab-ji said is one thing and how I became Deputy Speaker is another issue. Generally, Deputy Speaker comes from the Opposition party. In 1984, when Rajiv Gandhi got full majority and formed the Cabinet, there was no Opposition party. At that time, Telugu Desam Party got nearly 32 seats and therefore could not achieve 54 seats. Therefore, they elected me as the Deputy Speaker at that time, that is, 30 years ago. The history has been repeated now. Modi-ji got the majority in 2014. There is no opposition which could fulfil the 54 number and therefore I have again become Deputy Speaker, Lok Sabha. That is one cycle. As Mahtab-ji said that is one cycle. After 30 years, once again, Modi-ji got the majority. He made me the Deputy Speaker, Lok Sabha. That is the opportunity. Therefore, I do not know whether it is the fate which made me to become Deputy Speaker after 30 years and once again I am sitting here. Next where will I sit, I do not know. I do not mind or worry about it. God alone can say

whether I am going to come here or not. People have to decide that. Whichever row I do not know. That is another thing.

I am very grateful to the Prime Minister for cooperating with me. Whenever we asked certain projects for Tamil Nadu, he helped us. At the same time, in the last Budget speech, I vehemently spoke demanding more funds for Tamil Nadu which we are due to get, nearly Rs.14,000 crore. I fought for that also because I belong to a regional party. At the same time, I have to fulfil the expectations of the people of Tamil Nadu. I have to express my regional feelings also. Even though, India is one, we are all so many parties here representing so many cultures. That is the greatness of the unity of India. Therefore, Tamil Nadu is always the pioneer in bringing so many legislation especially, reservation.

Today, you brought this reservation bill. First in Tamil Nadu only reservation started for the backward classes. That was approved in Parliament when Nehru-ji was the Prime Minister. These things came afterwards only. Therefore, the Dravidian Party especially in Tamil Nadu created this kind of reservation for backward castes people. That is why, we are always fighting for more rights of the States. As the Prime Minister is always advocating, we have cooperative federalism. He was also the Chief Minister of Gujarat. He knows the problems the States are facing. Therefore, he always tells that cooperative federalism is more important. That spirit must be continued. We must not dilute our Constitution by taking over the States' rights and bringing subjects into the Concurrent List as I said yesterday. It should not happen as India is having a different culture. That different culture is very important. It is the fabric and strength of this country. I hope that it will continue. For that only, our Madam

Jayalalithaa, and also our MGR – my leader the *puratchi thalaivar* - made me Deputy Speaker at that time. When Rajiv Gandhi was Prime Minister, he made me. *Puratchi thalaivi* Amma along with Modi-ji made me Deputy Speaker again.

Therefore, I have to be grateful to all of them for giving me the opportunity to sit here. I am also thankful to you that you have cooperated with me and guided me well to do all these things. I hope, this good spirit of cooperative federalism will continue. Our State's rights especially Tamil Nadu rights will be fulfilled in due course of time, whoever comes. Thank you very much.

प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी) :अध्यक्ष महोदया जी, मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से और मेरी तरफ से इस सोलहवीं लोक सभा के पूरे कार्यकाल को अध्यक्ष के रूप में जिस धैर्य के साथ, संतुलन के साथ और हर पल मुस्कराते रहते हुए आपने सदन को चलाया, इसके लिए आप अनेक-अनेक अभिनंदन की अधिकारी हैं।

देवी अहिल्या बाई जी का जीवन और उनकी शिक्षा का आपके मन पर बड़ा प्रभाव है। उनसे पायी हुई शिक्षा को, उनसे पाए हुए आदर्शों को यहां चरितार्थ करने के लिए आपने हर पल कोशिश की है। उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए कभी दाईं तरफ के लोगों को तो कभी बाईं तरफ के लोगों को आपने उस तराजू से तोलकर कठोर निर्णय भी किए हैं। लेकिन वे मूल्यों के आधार पर लिए गए, आदर्शों के आधार पर लिए गए निर्णय हैं और लोक सभा की उत्तम परिपाटी को बनाने के लिए वे सदा-सर्वदा उपयुक्त रहेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।

आपने जिस SRI संगठन की शुरुआत की, मैं समझता हूं कि वह नये सदस्यों के लिए अपने आप में एक बहुत उपकारपूर्ण काम आपने किया है। उसने डिबेट को, उसके कंटेंट को, जानकारियों को और अधिक समृद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2014 में मैं भी उन सांसदों में से एक था, जो पहली बार चुनकर आए थे। मैं न इसकी ज्योग्राफी जानता था, किस गली से कहां जाते हैं, यह भी पता नहीं था। मैं बिलकुल नया था और हर चीज को बड़ी जिज्ञासा से देखता था कि यह क्या है, यहां क्या है? यह सब देख रहा था। जब मैं यहां बैठा तो ऐसे ही देख रहा था कि ये बटन किस चीज के लिए हैं और समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने यहां एक प्लेट देखी। उस प्लेट पर, मेरी जानकारी है कि मुझ से पहले 13 प्रधान मंत्री बने, जिन्होंने इस स्थान पर बैठकर अपना दायित्व निभाया है, लेकिन जब मैंने प्लेट देखी तो उस पर केवल तीन ही प्रधान मंत्रियों के नाम हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या तर्क होगा? लिबरल विचार के जो बहुत बड़े विद्वान लोग रोज उपदेश देते रहते हैं, वे जरूर इस पर चिंतन करेंगे और कभी न कभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यानी हर चीज मेरे लिए नई थी, इसलिए मेरे अंदर जिज्ञासा थी और मैं देख रहा था।

करीब-करीब तीन दशक बाद एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस गोत्र की नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। कांग्रेस गोत्र नहीं था, ऐसी मिलीजुली सरकार अटल जी की बनी थी और कांग्रेस गोत्र नहीं है, ऐसी पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार वर्ष 2014 में बनी। इस सोलहवीं लोक सभा में 17 सत्र हुए। आठ सत्र ऐसे रहे, जिसमें 100 प्रतिशत से अधिक काम हुआ। अगर हम औसतन देखें, तो करीब 85 प्रतिशत आउटकम के साथ आज हम विदाई ले रहे हैं। संसदीय मंत्री का अपना एक दायित्व रहता है। अभी तोमर जी संभाल रहे हैं। प्रारंभ में वेंकैया जी देखते थे। उन्होंने कुशलता से निभाया है। वह अब उपराष्ट्रपति पद पर हैं और हमारे वरिष्ठ सदन के संचालक के रूप में भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनंतकुमार जी की कमी हमें जरूर महसूस हो रही है। हमारे एक हंसते-खेलते-दौड़ते साथी की, लेकिन इन सबने जो काम किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यह 16वीं लोक सभा है, इस बात के लिए भी हम हमेशा गर्व करेंगे, क्योंकि देश में इतने चुनाव हुए, उसमें पहली बार सबसे ज्यादा महिला सांसदों वाला हमारा यह कालखंड है... (व्यवधान) उसमें भी 44 महिला सांसद पहली बार आई थीं और पूरे कार्यकाल में देखा गया है कि महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व, पार्टिसिपेशन और बातचीत की ऊंचाई हर प्रकार से हमको रजिस्टर करनी चाहिए। सभी महिला सांसद अभिनंदन की अधिकारी हैं। देश में पहली बार कैबिनेट में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं और देश में पहली बार सिक्योरिटी से संबंधित कमेटी में दो महिला मंत्री प्रतिनिधित्व कर रही हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। यह भी अपने आपमें और यह भी खुशी की बात है कि पहली बार स्पीकर भी महिला हैं, इसके साथ ही साथ हमारी सेक्रेट्री जनरल भी महिला के रूप में विराजमान हैं। इसलिए लोक सभा सेक्रेट्री जनरल और उनकी सारी टीम को और यहां के पूरे परिसर को संभालने वाला हर कोई अभिनंदन का अधिकारी है। मैं उनको भी बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस सदन में, कोई इसका अर्थ यह न लगाए कि मैं यहां पर कोई गवर्नमेंट की उपलब्धियां बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो काम इस सदन ने किए हैं, अगर पांच साल के उस ब्यौरे को देखें और हम सब इसके हिस्सेदार हैं। विपक्ष में रहकर भी इसकी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। पक्ष में रहकर भी उसकी मदद की है। इसलिए सदन के सभी साथियों का उसमें गौरवपूर्ण योगदान रहता है। हमारे लिए बीते साढ़े चार वर्षों में, इस कार्यकाल में, हम सबके लिए

खुशी की बात है कि आज देश दुनिया में 6वें नंबर की इकोनामी बना है। इस कार्यकाल के लिए भी यह गौरव का काम है। हम सभी इसके भागीदार हैं, नीति-निर्धारण यहीं से हुआ है। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी बनने की दिशा में हम दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी में हैं। हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए भी इस सदन की गतिविधियों का अपना बहुत बड़ा रोल है।

आज भारत का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है और आगे बढ़ने के लिए बड़ी ताकत होती है- आत्मविश्वास, जीतने की ताकत होती है- आत्मविश्वास, संकटों से जूझने का सामर्थ्य होता है- आत्मविश्वास। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस सदन ने जिस सामूहिकता के साथ, जिस गति के साथ, जिस निर्णय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास को पैदा करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज विश्व की सभी प्रतिष्ठित संस्थाएं, विश्वमान्य संस्थाएं, भारत के उज्ज्वल भविष्य के संबंध में, बिना हिचकिचाहट एक स्वर से उज्ज्वल भविष्य के संबंध में अपनी संभावनाएं बताती रहती हैं। यह देश के लिए स्वाभाविक रूप से, यही कालखंड रहा है कि भारत डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुका है। अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में और ऊर्जा बचत के क्षेत्र में। दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा कर रही है।

इस ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में यह देश है, जिसने इंटरनेशनल सोलर एलायंस को लीड किया और जिस प्रकार से आज विश्व में पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले देशों के गठबंधन की एक ताकत बनी है, वह दिन दूर नहीं होगा, जब भारत के इस निर्णय का असर आने वाले दशकों में नज़र आएगा। उतनी ही ताकत के साथ इंटरनेशनल सोलर एलायंस एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई, पर्यावरण की रक्षा की चिंता, लेकिन दुनिया को एक ऑल्टरनेट जीवन देने की व्यवस्था करने में मैं मानता हूं कि यह कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है।

स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लांच करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की ताकत को बढ़ा रहा है। एक लांचिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है। वह इकोनोमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है।

मेक इन इंडिया की दिशा में मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है। कभी-कभी मैं कहता हूँ, लोगों को एक भ्रम होता है कि मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इनके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाह-वाही हो रही है। लोग वह कहते होंगे, लेकिन रियलिटी जो है, वह और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकॉग्नाइज करती है। 30 साल का हमारा बीच का काल खंड, वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद वर्ष 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है, वह जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैनडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत को इस बार मैंने पांचों साल अनुभव किया है कि विश्व में देश का एक स्थान बना है और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है, न सुषमा जी को जाता है, सवा सौ करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है।

उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बंगलादेश - इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सोल्यूशन किया। यह बहुत बड़ा काम किया है। भारत विभाजन से विवादास्पद बंगलादेश बनने के बाद यह संकट के रूप में चला आया, लेकिन उसका समाधान भी इसी सदन ने किया और मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी यह विशेषता रही है कि हमने मिल-जुलकर इस काम को किया और सर्वसम्मति का यह संदेश दुनिया को बड़ी ताकत देने वाला संदेश गया है। मैं इसके लिए इस सदन का विशेष रूप से दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं सभी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

इसी प्रकार से हमारी विदेश नीति का एक नया पहलू उभरकर आया है। दुनिया में ह्यूमैन राइट्स, ह्यूमैन वैल्यूज जाने-अनजाने में जैसे दुनिया के किसी एक छोर का ही अधिकार रहा है, बाकी लोगों को तो इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। हम तो जैसे मानव अधिकार विरोधी, इसी प्रकार की हमारी छवि बन गई। जबकि मानवता और वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करने वाला यही देश है, लेकिन न जाने क्यों ऐसी छवि बन गई। लेकिन पिछले पांच सालों में हम देखेंगे, नेपाल में भूकम्प आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका में

अचानक साइकलोन की मुसीबत आई हो, बंगलादेश में वहां के लोग म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा झेलते रहते हों, हमारे जो लोग विदेशों में फंसे थे, यमन में फंसे थे, उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो। नेपाल में 80 देशों के लोगों को निकालकर हमने यहां सुरक्षित भेजा। इस तरह मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है।

महोदया, योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। यूएन में अब तक जितने रेजोल्यूशन पास हुए हैं, सबसे तेज़ गति से, सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो योग का पास हुआ है।

यूएन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब अंबेडकर के सवा सौ वर्ष मनाए गए हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई है और गांधी जी की 150वीं जयंती, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो हम लोगों की रगों में है, आज 150वीं जयंती दुनिया के सवा सौ देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव भजन को उस रूप में गा कर के महात्मा गांधी को बहुत बड़ी श्रद्धांजली दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पॉवर कैसे ले जायी जा सकती है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा होगा कि महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए, 26 जनवरी की झांकियों में सभी राज्यों ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया, यानी 150वीं जयंती और महात्मा गांधी जी को स्मरण करना। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया। हमने इस सदन में, इस कार्यकाल में बाबा साहब की 125वीं जयंती पर विशेष चर्चा की। हमने ही सदन में, इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए समय दिया और सबने मिल कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संबंध में चर्चा की। यह अपने आप में नई-नई परिपाटियां इसी कार्यकाल में, इसी सदन में आपके नेतृत्व में संभव हुआ है। इसलिए इस सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं।

महोदया, इस सदन में करीब 219 बिल इंट्रोड्यूज हुए और 203 बिल पारित हुए। इस सदन में जो आज सांसद हैं, 16वीं लोक सभा के संबंध में, अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी को बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे, तब भी बताएंगे और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की

आदत होगी तो कोई जीवनी लिखेगा, तो जरूर लिखेगा कि वे उस कार्यकाल के सदस्य थे, जिस कार्यकाल में उन्होंने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया है। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे, वे इस सदन ने बनाए और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। विदेशों में जमा हुए कालेधन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया। बेनामी संपत्तियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया। आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूँ कि इन पांच सालों में इस सदन और इस कार्यकाल ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए, इसके लिए जो कुछ करना चाहिए, उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित कर के देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की है। इसलिए इस सदन को, आपके नेतृत्व को अनेकानेक अभिनंदन, न सिर्फ इस पल बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

महोदया, यही सदन, जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व वित्त मंत्री और उस समय के राष्ट्रपति के हाथों से जीएसटी को लागू किया, ताकि सबको इसका हक मिले। सबका साथ, सबका विकास उसमें भी चले, इसका भी एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है, जिसने आधार बिल को, एक बहुत बड़ी कानूनी ताकत दी। आधार दुनिया के लिए अजूबा है। इस देश ने इतना बड़ा काम किया है, विश्व इसको जानने की कोशिश कर रहा है। इस कार्यकाल के सदन ने इस काम को कर के विश्व में बहुत बड़ा काम किया है।

महोदया, देश आजाद हुआ, लेकिन पता नहीं वह कौन सी हमारी मानसिकता थी कि हम शत्रु संपत्ति पर निर्णय नहीं कर पाते थे।

बहुत कठोरतापूर्वक शत्रु सम्पत्ति बिल पारित करके भारत के 1947 के उन घावों के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा था, उस पर काम करने का काम किया है। इस सदन ने सामाजिक न्याय की दिशा में भी बहुत ही लम्बे अरसे तक समाज पर प्रभाव पैदा करे। उच्च वर्ण कहे जाने वाले लोगों के

लिए यानी गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बिना कोई कटुता, इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि बिना कोई उलझन, किसी के मन में आशंका न रहते हुए समाज के दबे, कुचले एक वर्ग को उनकी बातों को वजन दिया गया और उनको विश्वास देते हुए कानून पारित किया। दोनों सदन के सभी दलों के सभी सांसद इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं और इसके लिए मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा काम यह 10 प्रतिशत आरक्षण का हुआ है। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए कमीशन बनाने वाला विषय हो या एससी/एसटी एक्ट की सुप्रीम कोर्ट के बाद जो मिस-अंडरस्टैंडिंग हुई उसको ठीक करने का काम हो।

मैटरनिटी बेनिफिट बिल, विश्व के समृद्ध देश भी इस बात को सुनकर आश्चर्य होता है कि क्या भारत में 12 हफ्ते से लेकर मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते कर दी है? इस बात को आज विश्व, भारत की एक आगे की सोच वाले देश के रूप में देख रहा है। यह काम इसी सदन ने किया है। सदन कानून बनाता है, लेकिन इस बात के लिए भी यह कार्यकाल देश और दुनिया याद रखेगी कि जो कानून बनाने वाला यह वर्ग है, उन्होंने कानून खत्म करने का भी काम किया। 1400 से ज़्यादा कानून खत्म इसी सदन के सदस्यों ने करके, एक जंगल जैसा कानूनों का बन गया था, उस पर रास्ते खोजने की दिशा में एक शुभ शुरुआत की है। 1400 करने के बाद भी मैं कहता हूँ कि शुभ शुरुआत हुई है। अभी भी करना बहुत बाकी है और उसके लिए मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद दिया ही है।

एक बहुत बड़ा काम और मैं मानता हूँ कि देश को इसको अच्छे ढंग से जैसे पहुँचना चाहिए था, हम पहुँचा नहीं पाए हैं। हम सभी सांसदों पर एक कलंक हमेशा लगा रहता था कि हम ही लोग हमारे वेतन तय करते हैं। हम ही लोग मर्जी पड़े उतना बढ़ा देते हैं, हम देश की परवाह नहीं करते हैं और जिस दिन सांसदों का वेतन बढ़ता था दुनिया भर की टीका-टिप्पणियाँ हमारे पर होती थीं और यह पिछले 50 साल से हो रही थीं। पहली बार इस समय के सभी सांसदों ने मिलकर इस आलोचना से मुक्ति का रास्ता खोज लिया और एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था बना दी कि उस संविधान की व्यवस्था के तहत औरों का जब होगा, इनका भी हो जाएगा। अब स्वयं इस काम के भागीदार सांसद अकेले नहीं होंगे और सांसदों को बहुत बड़ी मुक्ति आलोचना से मिल गई। लेकिन इतने उत्तम निर्णय कि जिस

प्रकार से उसको रजिस्टर होना चाहिए था, जिसकी वाहवाही और कई सालों से सांसदों को गालियाँ सुननी पड़ी हैं, बड़े-बड़े वरिष्ठ नेताओं को गालियाँ सुननी पड़ी हैं उससे मुक्ति देने का काम किया।

हमारे जितेन्द्र जी ने अच्छा खाना तो खिलाया, लेकिन बाहर हम आलाचेना सुनते थे कि कैटीन के अंदर पैसा बहुत कम है और बाहर महँगा है। एमपी क्यों ऐसा करते हैं? मुझे खुशी है कि जितेन्द्र जी की कमेटी ने मेरी भावना को स्वीकार किया, स्पीकर महोदया ने भी स्वीकार किया और जो बहुत सस्ते में यहां दिया जाता था, आपको जेब में थोड़ा ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन उसमें से भी मुक्ति पाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाया है और पूर्ण रूप से पहुँचने में भी आने वाले दिन में हमें अच्छी ताकत आकर हम वह भी कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

उसी प्रकार से इस सदन को और बहुत सी बातों का ज़रूर आनन्द आएगा। हम कभी-कभी सुनते थे भूकम्प आएगा, लेकिन पाँच साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कोई भूकम्प नहीं आया। कभी हवाई जहाज उड़े और बड़े-बड़े लोगों ने हवाई जहाज उड़ाए, लेकिन लोकतंत्र और लोक सभा की मर्यादा इतनी ऊँची है कि भूकम्प को भी पचा गया और कोई हवाई जहाज उसकी ऊँचाई पर नहीं जा पाया है।

यह इस लोकतंत्र की ताकत है, इस सदन की ताकत है। कई बार तीखी नोक झोंक भी हुई, कभी उधर से हुई, कभी इधर से हुई, कभी कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ होगा, जो नहीं होना चाहिए। इस सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा, ज़रूरी नहीं कि इस तरफ के, उस तरफ के भी, इस सदन के नेता के रूप में मैं ज़रूर “मिच्छामी दुक्कड़म” कहूँगा। क्षमा प्रार्थना के लिए जैन पर्युषण पर्व में “मिच्छामी दुक्कड़म” एक बहुत बड़ा संदेश देने वाला शब्द है और उस भावना को मैं प्रकट करता हूँ। मल्लिकार्जुन से हमारा भी थोड़ा बहुत रहता था। अच्छा होता कि आज उनका गला ठीक होता, तो आज भी कुछ लाभ मिलता। कभी-कभी मैं उनको सुन नहीं पाता था, तो बाद में मैं पूरा डिटेल् देख लेता था और यह आवश्यक भी था, लेकिन उसके साथ-साथ मेरी विचार चेतना को जगाने के लिए उनकी बातें बहुत काम आती थीं। एक प्रकार से मेरे भाषण खाद-पानी वहीं से डल जाता था। उसके लिए भी मैं खड़गे साहब का बहुत आभारी हूँ। मैं कहूँगा, जैसा कहा गया कि लंबे समय तक, पूरा समय बैठना, किसी समय हम देखते थे कि आडवाणी जी सदन में पूरे समय बैठते थे। मैं खड़गे जी को देखता

हूँ कि वे पूरा समय बैठते हैं। यह हम सांसदों के लिए सीखने वाला विषय है। यह भी कम बात नहीं है कि करीब-करीब 50 साल उनके जनप्रतिनिधित्व के होने को आए हैं। उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि के नाते मिली हुई जिम्मेदारी को जिस बखूबी आपने निभाया है, मैं आदरपूर्वक आपका अभिनन्दन करता हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया था, मुझे बहुत सी चीजें नई जानने को मिलीं, जिसका मुझे कुछ अर्थ ही जिन्दगी में पता नहीं था। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। यह मुझे पहली बार पता चला। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सदन में आँखों से गुस्ताखियाँ होती हैं। ये आँखों की गुस्ताखियों वाला खेल भी पहली बार इसी सदन में देखने को मिला और देश की मीडिया ने भी उसका बहुत मजा लिया। संसद की गरिमा बनाए रखना हर सांसद का दायित्व रहता है और हम सबने उसकी भरपूर कोशिश की है। इस बार हमारे सांसद महोदयों के टैलेंट का भी बड़ा-बड़ा अनुभव आया। अभी जब मैं एक दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भाषण कर रहा था, इस सदन में मुझे ऐसा अट्टहास सुनने को मिलता था, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले हैं, उनको इस प्रकार के अट्टहास की जरूरत है, यू-ट्यूब से इतना देने के लिए अलाऊ कर देना चाहिए। शायद अच्छे-अच्छे कलाकार भी ऐसा अट्टहास नहीं कर पाते होंगे, जो यहाँ पर सुनने को मिलता था। उसी प्रकार से ऐसी वेशभूषा और यहाँ हमारे टीडीपी के साथी नहीं हैं, लेकिन टीडीपी के हमारे सांसद नारामल्ली शिवप्रसाद जी क्या अद्भुत वेशभूषा पहनते थे। सारा टेंशन उनके अटेंशन में बदल जाता था। इन हँसी, खुशियों के बीच हमारा यह कार्यकाल बीता है। मुझ जैसे एक नये सांसद ने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। आप सबकी मदद से नया होने के बावजूद भी आपने मुझे कभी कमी महसूस होने नहीं दी। आप सब साथियों, सभी तरफ से, सबने और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में एक प्रथम पारी की मेरी शुरुआत में जो मदद की है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मैं भी आदरणीय मुलायम सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, उनका स्नेह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।

सबके लिए मूल्यवान है। सभी वरिष्ठ जनों का स्नेह मूल्यवान होता है। मैं फिर एक बार आपको हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। इस परिषद् से जुड़े हुए सभी स्टाफ लोगों को भी अन्तःकरण से अभिनन्दन देता हूँ, जिन्होंने सभी सांसदों की देखभाल की। कार्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ती थी, उसे की। मैं सभी सांसदों को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक स्वस्थ

लोकतांत्रिक परंपरा के लिए जब हम जनता के बीच जाने वाले हैं तो हम स्वस्थ परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं, एक तन्दुरुस्त स्पर्धा कैसे करें, उस तन्दुरुस्त स्पर्धा को लेकर लोकतंत्र को तन्दुरुस्त बनाने में हम अपनी भूमिका कैसे अदा करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ

मैं फिर एक बार नत मस्तक होकर इस सदन के सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय सदस्यगणा मैं हमारे गौरवपूर्ण लोकतंत्र की इस महान संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में इस सभा के सभी सदस्यों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिए गए सकारात्मक समर्थन और सहयोग के लिए सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। सोलहवीं लोक सभा के अंतिम सत्र के समापन पर मैं ऐसा महसूस करती हूं कि अब उचित समय आ गया है जब हम इस बात का आत्मावलोकन करें कि विगत पांच वर्षों में जन अपेक्षाओं की कसौटी पर इस सभा की उपलब्धियां क्या रहीं और किन विषयों पर हमें और काम करना है, इसका हम निष्पक्ष विश्लेषण करें।

मुझे इस बात की खुशी है कि इन पांच वर्षों में अनेक अच्छे एवं ऐतिहासिक पल मिले एवं देश के लोगों के लिए काम करने का, इस सर्वोच्च पद की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य मिला। वहीं दुःखी भी हूं क्योंकि कुछ अच्छे साथी, कुछ मार्गदर्शक हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। माननीय अटल जी, जॉर्ज फर्नांडीस जी, हमारे सोमनाथ जी, प्रिय अनन्त जी एवं लोक सभा के हमारे कई साथी उनमें सम्मिलित हैं। एक दार्शनिक के अंदाज में अगर कहूं तो 'क्या खोया क्या पाया।' पर जीवन का सत्य यही है - 'चरैवेति चरैवेति', अर्थात् चलते रहो, चलते रहो, निर्बाध, सतत और निरंतर। हमें संतोष है कि हमने सही दिशा में बढ़ने का प्रयास किया है और देश आगे की तरफ चल रहा है। विकास का चक्र चला है। जनता की अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं बढ़ी हैं। साथ ही, लोगों की लोकतंत्र में आस्था अडिग बनी हुई है।

सोलहवीं लोक सभा का गठन 18 मई, 2014 को हुआ था और सभा की पहली बैठक 4 जून, 2014 को हुई थी। कुल मिलाकर आज तक इसमें 331 बैठकें हुईं।

6 जून, 2014 को इस सभा ने, आप सभी ने अध्यक्ष के सम्मानित पद पर निर्विरोध चुनकर मुझे अपार सम्मान दिया, जिसके लिए मैं आप सभी का विनम्र आभार व्यक्त करती हूं। मेरे साथी, डॉ. एम. तंबिदुरै, उनको भी 13 अगस्त, 2014 को उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था। संविधान की गरिमा के अनुरूप एवं अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार पर मैंने और हमारे उपाध्यक्ष जी ने अपनी क्षमताओं के अनुसार इस सदन की कार्यवाहियों और

चर्चाओं के निष्पक्ष संचालन के साथ-साथ सभा की गरिमा को बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। जिस कर्तव्यनिष्ठा और सुयोग्य रीति से प्रतिष्ठित सभापति-तालिका (Panel of Chairpersons) के साथियों ने सभा की कार्यवाहियों का संचालन किया है, मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। लोकतंत्र में जनता की सामूहिक अभिलाषा, अपेक्षाओं एवं आशाओं पर सकारात्मक ढंग से विचार करने एवं उन्हें पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई थी, उसी के अनुरूप सदन ने कार्य करने का प्रयास किया है, ऐसा मैं मानती हूँ।

इस सम्माननीय सभा की पीठासीन अधिकारी के रूप में, मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि सभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सभी प्रतिनिधियों को अवसर देकर सभी मुद्दों पर गुणवत्तापूर्ण वाद-विवाद को प्रोत्साहन दिया जाए और सभा के कार्य-संचालन को सरल, सहज और सुव्यवस्थित बनाया जाए।

भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि इसके लोकतांत्रिक मूल्यों, सिद्धांतों एवं आदर्शों का पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। हमारा लोकतंत्र एक जीवन्त लोकतंत्र का उदाहरण है तथा भारत के अन्दर और बाहर अन्य देशों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है। पूरे विश्व के लोग उत्सुकता से संसदीय कार्यवाही को देखते हैं एवं उस पर नज़र रखते हैं। किसी भी वैचारिक मंच पर अनेक प्रकार के विचारों का प्रकटीकरण चलता है और लोकतंत्र में सहमति-असहमति अस्वाभाविक नहीं है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन कई बार सहमति-असहमति से परे जाकर मर्यादा का उल्लंघन भी होता है और गतिरोध की स्थिति बन जाती है। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च प्रतीक— लोक सभा, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, उसमें हम सभी से स्वीकार्य मर्यादाओं के अनुरूप ही आचरण अपेक्षित है, ताकि संसद की प्रतिष्ठा एवं शुचिता अक्षुण्ण रहे।

संसदीय स्थायी समितियों और संसदीय समितियों का कार्यकरण (functioning) भी वर्तमान लोक सभा के दौरान प्रभावी और कुशल रहा और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी कीं। लोक सभा की स्थायी समितियों ने 730 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय सदस्यों ने लगभग सभी अवसरों पर समितियों के समक्ष आए मुद्दों और समस्याओं पर निष्पक्ष रूप से विचार किया है।

कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने हेतु प्रश्न पूछना सदस्यों के हाथों में एक महत्वपूर्ण साधन है। 16वीं लोक सभा में 6,460 स्टार्ड क्वैचंस सूचीबद्ध हुए, जिनमें 1,178 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। मैंने अलग-अलग दलों, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनके सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करने का भरसक प्रयास किया। 73,405 अनस्टार्ड क्वैचंस, उसके साथ शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर भी सभा पटल पर रखे गए। आधे घंटे की 5 चर्चाएं (Half an hour discussion) ये भी चर्चा हेतु ली गईं।

सोलहवीं लोक सभा के दौरान 219 विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए, 205 सरकारी विधेयक सभा द्वारा स्वीकृत हुए और 9 सरकारी विधेयक वापस लिए गए। सोलहवीं लोक सभा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिसमें कुछ विधेयक निम्नलिखित हैं :-

1. The Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Bill, 2015;
2. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2015;
3. The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;
4. The Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2016;
5. The Constitution (One Hundred and First Amendment) Bill, 2016 regarding introduction of the Goods and Services Tax and to confer simultaneous powers on Parliament as well as the State Legislatures, including Union Territories with legislatures;
6. The Integrated Goods and Services Tax Bill, 2017;
7. The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Bill, 2016;
8. The Mental Healthcare Bill, 2017;

9. The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Bill, 2018 regarding constitution of the National Commission for Backward Classes under the newly inserted article 338B of the Constitution;
10. The Fugitive Economic Offender Bill, 2018;
11. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill, 2018 and the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Bill.

(जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों और राज्यों के अधीन सेवाओं में प्रारंभिक नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आरक्षण से संबंधित है।)

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य हैं, 16वीं लोक सभा के दौरान 1,117 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए। महत्वपूर्ण विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प पारित किए गए।

सोलहवीं लोक सभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 23,808 पत्र सभा पटल पर रखे।

इस लोक सभा के दौरान, सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और उस दिन की बैठक के अंत में 6,244 अविलंबनीय लोक महत्व के मामले शून्य काल में उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 4,718 मामले उठाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में, मैंने विनम्रतापूर्वक सदस्यों को महत्वपूर्ण मामले उठाने के अधिकतम अवसर प्रदान करने का प्रयास किया और यही दृष्टिकोण अपनाते हुए, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की भी अनुमति प्रदान की, जिसे ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया।

17 00hrs

माननीय सदस्यगण, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं दीं। अविश्वास प्रस्ताव पर 11 घंटे से अधिक चर्चा चली और मत-विभाजन के बाद यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत बड़ी संख्या में मामलों के लिए अनुमति प्रदान की, जिससे सदस्यों को उनके द्वारा उठाए

गए मामलों के उत्तर मंत्रियों से प्राप्त करने में मदद मिली। वास्तव में, इस अवधि के दौरान 18 ध्यानाकर्षण के मामले उठाए गए। मंत्रियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर करीब 679 वक्तव्य दिए।

सोलहवीं लोक सभा के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर नियम 193 के अधीन 33 अल्पकालिक चर्चाएं हुईं, जिनमें से लगभग 9 अल्पकालिक चर्चाओं पर आंशिक चर्चा हुई।

इस लोक सभा के दौरान, मैंने सदस्यों की सहायता के लिए एक पहल के रूप में अध्यक्षीय शोध कदम (एसआरआई) का गठन किया। एसआरआई ने विभिन्न विषयों पर अनेक प्रस्तुतीकरण किए, जिनसे चर्चा के दौरान सदस्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन अध्ययन के लिए प्रभावी सहभागिता करने में मदद मिली। सदस्यों से प्राप्त फीडबैक के बारे में अभी लोगों ने कहा, उसके अनुसार इससे उन्हें सभा में सक्रिय भागीदारी एवं गंभीर चर्चा में सहायता मिली। एसआरआई के तत्वावधान में विविध विषयों पर 37 वर्कशॉप आयोजित किए गए। इसके साथ ही एसआरआई द्वारा दो सम्मेलन भी आयोजित किए गए, जिनमें 5-6 मार्च 2015 को आयोजित नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कन्फ्रेंस प्रमुख थी, जिसकी थीम “एम्पॉवरड वुमेन एम्पॉवरिंग नेशन ” थी। एसआरआई द्वारा युवा विद्यार्थियों हेतु एक व तीन महीने का इंटरनशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया गया, जिसमें युवाओं ने बहुत रुचि दिखाई है और विदेश की अनेक संसदों ने भी इससे लाभान्वित होने की इच्छा व्यक्त की है। इसका उद्देश्य इतना ही था, हमारे जो युवा हैं, जिन्होंने बारहवीं पास की है, जो ग्रेजुएट हैं, वे यहां आकर सदन का कार्य देखें और समझें, What is Parliament? समितियों का काम कैसे होता है, इसे युवा यहां आकर समझते हैं। इसके साथ ही साथ एसआरआई के अंतर्गत संसदीय प्रणाली एवं कामकाज से संबंधित विषयों पर शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए फेलोशिप स्कीम भी प्रारंभ की गई है। मैं इंटरनशिप एवं फेलोशिप समितियों, इसमें सदस्यों की ही समितियां बनाई हैं, जो ये सब काम देखते थे। मैं इन सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ।

बीपीएसटी, ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज एंड ट्रेनिंग के तत्वावधान में लोक सभा सचिवालय ने राज्यों के पत्रकारों के लिए हमने एक अलग तरीके से कार्यकरण और जो डिस्ट्रिक्ट के पत्रकार हैं, प्रदेश के पत्रकार हैं। जो यहां बहुत कम आ सकते हैं, वे यहां आकर लोक सभा की कार्यवाही को समझें, यह कैसे चलता है, उसको देखें। ऐसे विधान सभाओं के मीडियाकर्मियों के लिए

कई प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए, जिनसे खुशी होती है 23 राज्यों के करीब 435 पत्रकार एवं मीडियाकर्मी लाभान्वित हुए।

इंडियन पार्लियामेंटरी ग्रुप के तत्वाधान में वर्ष 2018 में नेशनल लेजिस्लेटर्स कन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम 'वी फॉर डेवलपमेंट' थी। इसमें देश के 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष, विषय विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ संसद सदस्यों ने प्रतिभागी जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन किया। माननीय सदस्यगण, इस सचिवालय को कागज रहित (पेपरलैस) बनाने की दिशा में एक पहल करते हुए मैंने सभा पटल पर सदस्यों द्वारा सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एक ई-पोर्टल की शुरुआत की है। यह परियोजना काफी सफल रही है और सदस्यों ने विभिन्न सूचनाओं को सभा पटल पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि संसदीय ग्रंथालय (पार्लियामेंट लाइब्रेरी) को डिजिटल बना दिया गया है और हाल ही में सदस्यों की सुविधा के लिए एक नया पोर्टल, ई-पार्ल (e-parl) शुरू किया गया है। इसमें हमारे अधिकारीगण तथा विशेष रूप से श्री अहलूवालिया जी, आज आए नहीं हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है, बाकी भी अन्य सदस्यों का बहुत सहयोग रहा, मैं उन सबकी बहुत आभारी हूँ।

आप सभी जानते हैं कि कल 12 फरवरी, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल जी के तैल चित्र का अनावरण किया गया। मेरे कार्यकाल में माननीय अटल जी को यह सम्मान प्राप्त होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए मैं पोर्टेल्स कमेटी के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देती हूँ।

जैसा कि हम जानते हैं कि लोक सभा ने 1612 घंटे से अधिक घंटे की बैठकें कीं। सदन में अव्यवस्थाओं में व्यर्थ हुआ समय कुल 422 घंटे 19 मिनट रहा। सभा ने 728 घंटे से अधिक देर तक बैठकर सभा के नियत कार्य को पूरा किया।

आज जब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो रही है, मेरे मन में मिश्रित भाव आ रहे हैं। जहां मैं एक ओर संतुष्ट महसूस करते हुए आप सभी के साथ यह भाव विनम्रता के साथ साझा कर रही हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी एवं शुद्ध अंतःकरण के साथ सर्वोच्च संसदीय परंपराओं के तहत इस सदन

की कार्यवाही संचालित करने और सभी माननीय सदस्यों को कार्यवाही में भाग लेने एवं अपनी बात रखने के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराने तथा अध्यक्ष के उच्च संवैधानिक पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश की है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मेरा सदा प्रयास रहा है कि सदस्यों की राजनीतिक संबद्धता को ध्यान में न रखते हुए मैं इस सभा और सभी माननीय सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ रक्षा कर सकूँ और हमारी संसदीय प्रणाली के उच्च आदर्शों को आगे बढ़ा सकूँ।

अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों के निर्वहन में हम सब पांच सालों से एक परिवार की तरह साथ में रहे। अब हमारे लोकतंत्र की उच्च स्थापित परम्पराओं के अनुरूप जनता-जनार्दन से पुनः आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सभी उनके पास जाएंगे। इसलिए इस अवसर पर मेरे हृदय में संतोष के साथ बिछड़ने की भी अनुभूति है।

हमने मिलकर, देर रात तक बैठकर इस पवित्र सदन में देश के हितों के मुद्दों पर अनेक बार चर्चाएं कीं, एक दूसरे के विचार सुने, उत्तम निष्कर्ष निकाले एवं कई परिवर्तनकारी विधानों का निर्माण किया। सभा ने कई ऐसे फैसले किए जिससे नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है जिनसे हमारी तरक्की एवं गरीबों तथा वंचितों को अधिकार दिलाने की महत्वपूर्ण पहल की गई।

एक बार फिर, समाज के सभी वर्गों के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए मैं सभा का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। हालांकि हम सम्मानीय सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कुछ आशाएं पूरी नहीं हो पाई होंगी, कभी-कभी कुछ साथियों के मन में निराशा और मायूसी का भाव भी आया होगा। परंतु मैंने अपनी सर्वोच्च क्षमता एवं निष्ठा के साथ सदन के संचालन की कोशिश की। इस सदन के सुचारू संचालन में सहयोग और समर्थन देने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी, सभी विपक्षी दलों के नेताओं, बीएसी के सभी सदस्यों, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री स्व. श्री अनंत कुमार जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है, वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री एवं उनके सहयोगी राज्य मंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ। इस सदन के पीठासीन अधिकारी का महत्वपूर्ण कर्तव्य साझा करने के लिए मैं माननीय उपसभापति डॉ. एम. तंबिदुरै जी - उन्होंने तो ऐसा किया है कि जितनी देर कहूँ वह सभा के संचालन

के लिए बैठते थे, कभी उन्होंने न नहीं कही, इसके लिए मैं वास्तव में बहुत आभारी हूँ। सभापति पैनल के सदस्यों, श्री आनंदराव अडसुल जी, श्री अर्जुन चरण सेठी जी, श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी, श्री के.एच. मुनियप्पा जी, श्री के. नारायण राव जी, डॉ. पी. वेणुगोपाल जी, श्री प्रह्लाद जोशी जी, श्री रमेन डेका जी, डॉ. (श्रीमती) रत्ना डे नाग जी और श्री कलराज मिश्रा जी को धन्यवाद देती हूँ। मैं सभी दलों एवं समूहों के नेताओं एवं सभी माननीय सदस्यों को हमारे संसदीय लोकतंत्र को चलाने में उनके सहयोग एवं योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्षपीठ के प्रति दर्शाए गए सम्मान के लिए उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।

इस सम्माननीय सभा के संचालन में सतत् शक्ति स्रोत और सहयोगी बने रहने के लिए लोक सभा की महासचिव और उनकी टीम के अधिकारियों, दोनों मार्शलों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सतत् उनका सहयोग मिलता रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। लोक सभा सचिवालय के साथ-साथ मेरे अपने अध्यक्ष कार्यालय के सभी कर्मचारियों के प्रति लोक सभा से संबंधित सभी कार्यों का प्रतिबद्ध, कुशल और पेशेवर रूप से निष्पादन करने के लिए अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैं संसदीय कार्य कवर करने के लिए और लोकतंत्र के सजग प्रहरी बने रहने के लिए सभी मीडियाकर्मियों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

संसदीय सुरक्षा सेवा, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों, जो सजगता से संसदीय परिसर की संरक्षा कर रहे हैं, उनकी भी मैं प्रशंसा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बागवानी विभाग, क्योंकि आप आते हैं तो अच्छे-अच्छे फूल देखकर सबका मन उल्लासित रहता है, तो बागवानी विभाग और अन्य सहयोगी एजेंसियों सहित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपना मूल्यवान सहयोग दिया।

माननीय सदस्यगण, 16 वीं लोक सभा, जो सभी प्रभावी उद्देश्यों के लिए आज समाप्त हो रही है, उसके साथ मैं भी लोक सभा अध्यक्ष के रूप में इस सभा में आपको संबोधित कर रही हूँ। लोकतंत्र के एक विनम्र सेवक के रूप में मुझे इस महान संस्था के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ है।

इस देश के नागरिकों एवं प्रवासी भारतीयों से लोक सभा अध्यक्ष की भूमिका रूपी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर संस्था एवं संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप तथा मेरे सैद्धांतिक रुख पर प्राप्त व्यापक जनसमर्थन एवं सराहना से मुझे विनम्र संतोष की अनुभूति हो रही है।

संसद के दोनों सदनों के कार्यों में समन्वय के लिए मैं राज्य सभा के वर्तमान तथा पूर्व सभापति महोदय के प्रति भी आभारी हूँ। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा पूर्व राष्ट्रपति जी को भी उनके द्वारा दिए गए कुशल मार्गदर्शन के लिए अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ।

सोलहवीं लोक सभा की अवधि पूर्ण होने वाली है। संविधान के अनुरूप शीघ्र ही, अब लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होगा, जिसमें जनता-जनार्दन को अपने बहुमूल्य मतदान का अवसर मिलेगा। मुझे आशा है कि आप सभी ने अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया होगा और आशा करती हूँ, आज आशीर्वाद भी मिला है माननीय मुलायम सिंह जी का, कि भविष्य में भी आप उनकी आशाओं एवं अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और जन सेवा के प्रति समर्पित रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, आप सभी ने मुझे जो यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए पुनः सभी का आभार मानती हूँ। एक बात और भी कहूँगी। हो सकता है सभा के संचालन के समय किसी से कुछ कटु शब्द बोले होंगे, कुछ थोड़ा ऊंचे स्वर में मैंने बोला होगा, वह भी केवल सभा सुचारु रूप से चले, इसलिए बोला होगा, मगर इसके लिए अगर किसी का दिल दुखा हो, तो आज मैं हृदय से उनसे माफी मांगती हूँ कि यह केवल सभा के लिए किया गया था। इस महान संस्था का काम भी निकटता से, मैंने इस काम-काज को, इसके समग्र गौरव तथा वृहत्तर सफलता के साथ पूरा होते मैंने भी देखा। मेरे कर्तव्य निभाने के प्रयास में किसी को कष्ट हुआ हो तो पहले ही कहा कि मैं क्षमाप्रार्थी हूँ। आगामी लोक सभा के चुनाव में सफलता के लिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे लगता है, हम सभी ने मिलकर के इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, अपने स्वयं के लिए भी हम सभी मिलकर एक प्रार्थना करें-

“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्॥”

किसी को भी कभी दुःख नहीं हो, हम इसलिए काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। इसलिए मैं आप सभी को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ। आपको स्कूल जैसा लगा होगा, आप बोलते भी हैं कि मैं एक कठोर टीचर भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, तो जाते जाते हो भी गया।

अब राष्ट्रगीत होगा और समापन होगा।

17 15hrs

NATIONAL SONG

National Song was played.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

17 16 hrs

The Lok Sabha then adjourned sine die.
